



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय सूची		
विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xiv
भाग—अ		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के कार्यकलाप		
परिचय		
सामान्य	1-2	1-2
जवाबदेही तन्त्र	3-4	2-3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5-6	3-4
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश	7-9	4-5
भाग—I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम		
अध्याय—I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1	7
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन	1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण	1.3	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	10-11
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	1.6	11-12
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	1.7.1-1.7.2	12-13
अकार्यरत राज्य ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का समापन	1.8	13
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.9-1.19	13-20
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	1.20	20-22
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.21	23
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	1.22	23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुगामी कार्यवाही	1.23-1.25	23-24
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली	1.26	25
अध्याय—II		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
ऊर्जा विभाग		
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड		
पारेषण लाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय	2.1	27-28
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	2.2	28-30

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
भाग-II		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)		
अध्याय-III		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	3.1-3.2	31-32
राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	3.3-3.4	32-33
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण	3.5	34
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	3.6	34-35
उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	3.7	35
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.8	35-37
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	3.9	37
अकार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का समापन	3.10	37
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	3.11	37-38
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	3.12-3.23	38-46
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	3.24-3.25	46-48
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	3.26	48
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	3.27-3.29	48-49
अध्याय-IV		
राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
लोक निर्माण विभाग		
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		
परिहार्य व्यय और राजस्व की हानि	4.1	51-52
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.2	52-53
ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.3	54-56
शहरी विकास विभाग		
उत्तर प्रदेश जल निगम		
विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान	4.4	56-57
भाग-ब		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं इकाइयां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)		
अध्याय-V		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	5.1	59
विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा	5.2	59-60

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	5.3	60
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	5.4	60-61
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही	5.5	61-62
इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति	5.6	62-65
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ	5.7	65-66
अध्याय-VI		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
ऊर्जा विभाग		
सरकारी प्राप्ति का सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना	6.1	67-68
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
बिना शुल्क के पूर्वव्यापी उच्चतर एफएआर की अनुमति के द्वारा विकासकर्ता को अनुचित लाभ	6.2	68-69
लखनऊ विकास प्राधिकरण		
दोषयुक्त अनुबंध प्रावधान के कारण प्रतिभूति जमा पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	6.3	70-71
ठेकेदार को अनुचित लाभ	6.4	72-73
मेरठ विकास प्राधिकरण		
उपाध्यक्ष के लिए आवास के निर्माण पर अतिशय व्यय	6.5	73-75
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण		
विकासकर्ता को अनुचित लाभ	6.6	75-76
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार		
प्रीमियम तथा पट्टा किराया आरोपित एवं वसूल नहीं किया जाना	6.7	76-77
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग		
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण		
उच्च दर पर सफाई का अनुबंध प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय	6.8	77-78
लेखापरीक्षा प्रभाव		
कार्य की अतिरिक्त मद के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय	6.9	78-79
	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
नवीनतम वर्ष के अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.1	81-82
इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज में 31 मार्च 2019 तक जीओयूपी एवं अन्य द्वारा किये गये निवेश	1.2	83
लेखाओं के बकाया की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) में किये गए निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया हैं	1.3	84
2018-19 के दौरान लाभ/हानि अर्जित करने वाली पीएसयूज का विवरण	1.4	85

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के चार उपक्रमों में संचारित किये गये कोष को दर्शाता हुआ विवरण	1.5	86
मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज की हानि दर्शाता हुआ विवरण	2.1	87
इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन वर्ष के लिये अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	3.1	88-90
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं हैं	3.2	91-95
इस अध्याय में शामिल किये गये राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का 31 मार्च 2019 से सम्बंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	3.3	96-98
31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के बीच पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	3.4	99-102
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.5	103-104
2000-01 से 2018-19 की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में संचारित किये गये कोष को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.6	105-109
त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों एवं अधिक अनुबंधित भार के कारण कोनिया एसपीएस (अनुबंधित भार 2000 केवीए) में विद्युत शुल्क के परिहार्य भुगतान को दर्शाता विवरण	4.1	110-113
त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के कारण दीनापुर एसटीपी (अनुबंधित भार 1200 केवीए) में विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान को दर्शाता विवरण	4.2	114-116
लखनऊ विकास प्राधिकरण में विकासकर्ता को नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) के भुगतान से छूट के कारण हानि को प्रदर्शित करने वाला विवरण	6.1	117
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क लगाए बिना उच्चतर एफएआर अनुमन्य करने के कारण विकासकर्ता को अनुमन्य लाभ प्रदर्शित करने वाला विवरण	6.2	118-120
एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली भूमि के कुल अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क को शामिल नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण	6.3	121
प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण	6.4	122
जीएनआईडीए द्वारा केन्द्रीय ब्रशों एवं वर्दियों की आधिक्य विश्लेषित लागत	6.5	123

यह प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र के विभागों और इकाइयों एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कम्पनियों और वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है। प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मानित सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखे की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करता है। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियां सीएजी द्वारा किये जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था तत्सम्बंधी अधिनियमों के तहत निर्धारित की जाती है, जिसके तहत ये निगम स्थापित किये गये हैं। सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं। भाग-अ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप से सम्बंधित है और भाग-ब उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त सरकारी विभागों और इकाइयों के कार्यकलाप से सम्बंधित है।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2018-19 में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये एवं गत वर्षों में संज्ञान में आये थे परंतु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2018-19 के बाद की अवधि से सम्बंधित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बंधित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुपालन में ही लेखापरीक्षा की गयी है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित हैं:

- भाग—अ** : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)
प्रस्तावना : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप
अध्याय—I : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप
अध्याय—II : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण
अध्याय—III : राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप
अध्याय—IV : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण
भाग—ब : आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभाग एवं इकाइयाँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)
अध्याय—V : आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप, एवं
अध्याय—VI : आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सम्मिलित किये गये लेखापरीक्षा परिणाम का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 324.44 करोड़ है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये आठ प्रकरणों में ₹ 47.98 करोड़ की वसूली हुई।

भाग—अ: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2019 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे, जिनमें छः सांविधिक निगम एवं 108 सरकारी कम्पनियां (46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सहित) थी। इस प्रतिवेदन में 35 पीएसयूज शामिल हैं जिनके लेखे तीन वर्षों अथवा उससे अधिक समय से बकाया नहीं थे एवं कार्यरत थे/परिसमापन के अर्न्तगत नहीं थे। इस अध्याय में शामिल कार्यरत पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 71,473 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018—19 के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.63 प्रतिशत के बराबर था। 79 पीएसयूज जिनमें ₹ 9,423.77 करोड़ का निवेश है, को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(प्रस्तर 1.1, 1.4, 3.1, 3.2 एवं 3.4)

अध्याय—I: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में से, 11 पीएसयूज जो कि कार्यरत थे एवं जिनके लेखे 2016—17 तक अथवा उसके पश्चात की अवधि के लिए तैयार किये गये थे, को विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के लिये चयनित किया गया है।

इन 11 पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 2018—19 के दौरान ₹ 61,856 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.01 प्रतिशत के बराबर था जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.4)

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की हिस्सेदारी

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में 31 मार्च 2019 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,97,352.73 करोड़ था। निवेश में पूँजी 59.75 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 40.25 प्रतिशत था। इसमें से जीओयूपी का ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश ₹ 1,23,483.54 करोड़ था जिसमें पूँजी के ₹ 1,17,911.72 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 5,571.82 करोड़ सम्मिलित थे।

(प्रस्तर 1.4 एवं 1.9)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज द्वारा वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में वहन की गयी हानि क्रमशः ₹ 11,143.21 करोड़ एवं ₹ 13,460.89 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ₹ 14,398.96 करोड़ हानि हुई। इन पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, दो पीएसयूज ने ₹ 126.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज ने ₹ 14,525.35 करोड़ की हानि उठाई जिसमें उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उठायी गयी ₹ 8,118.80 करोड़ की महत्वपूर्ण हानि शामिल है।

(प्रस्तर 1.10)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 3,53,573.44 करोड़ आगणित होता है। 2000-01 एवं 2018-19 के मध्य की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की कुल आय ऋणात्मक रही जो कि यह दर्शाता है कि निवेशित धनराशि पर राजस्व उत्पन्न करने के स्थान पर, ये पीएसयूज सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाये। 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल के ₹ 21,579.60 करोड़ के सापेक्ष इन ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज ने ₹ 14,398.96 करोड़ की हानि उठायी।

(प्रस्तर 1.12)

निवल मूल्य का क्षरण

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज की 31 मार्च 2019 को कुल संचित हानियाँ ₹ 1,62,180.07 करोड़ थी। इनमें से, नौ पीएसयूज ने वर्ष 2018-19 में हानियाँ उठाई, संचित हानियाँ ₹ 1,63,356.12 करोड़ थी एवं दो लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज का ₹ 1,176.05 करोड़ का संचित लाभ/आधिक्य था। 11 पीएसयूज में से छः का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया एवं 31 मार्च 2019 तक इन पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 72,338.46 करोड़ के सापेक्ष निवल मूल्य (-) ₹ 74,102.48 करोड़ था। पाँच पीएसयूज जिनका निवल मूल्य मार्च 2019 के अन्त में धनात्मक था, में से दो का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था जो उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है।

(प्रस्तर 1.13)

पूँजी पर प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों (यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल अपनी सहायक कम्पनियों की स्थिति में) के माध्यम से धन का निवेश किया गया था, से सम्बंधित प्रतिफल (आरओई) की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि पूँजी पर 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थीं जो कि यह इंगित करता है कि संचित हानियों ने सम्पूर्ण अंशपूँजी को समाप्त कर दिया।

(प्रस्तर 1.15)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) 2016-17 से 2018-19 की अवधि में ऋणात्मक रहा तथा यह (-) 23.51 प्रतिशत से (-) 57.65 प्रतिशत के मध्य था।

(प्रस्तर 1.16)

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुत्थान

उदय के प्रावधानों के अनुसार, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ के अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल ऋण का 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान अधिग्रहण किया। इसके अलावा, जीओयूपी ने वर्ष 2017-18 में ₹ 669 करोड़ (2016-17 की हानि का 5 प्रतिशत) एवं वर्ष 2018-19 में ₹ 1,417 करोड़ (2017-18 की हानि का 10 प्रतिशत) की सब्सिडी प्रदान किया।

हालाँकि, उदय के अन्तर्गत परिचालन लक्ष्यों की प्राप्तियों के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर (डीटीज) पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग एवं एसीएस-एआरआर में अन्तर के क्षेत्रों में डिस्कॉम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। आगे, राज्य के डिस्कॉम्स की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि 2019-20 तक 14.86 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 30.30 प्रतिशत थी। इसलिए, राज्य डिस्कॉम्स एटीएण्डसी हानि में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

(प्रस्तर 1.20.3 एवं 1.20.4)

लेखाओं की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 01 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान 28 लेखापरीक्षित लेखाओं में से, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 19 लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की। 16 लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 70 दृष्टान्त थे।

(प्रस्तर 1.21)

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तीन मामलों में ₹ 29.01 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 1.26)

अध्याय-II: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सारांश निम्न है:

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक नहीं था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत एवं उधार लिए गए धन पर ब्याज पर ₹ 2.08 करोड़ की हानि के अतिरिक्त क्रय की गयी सामग्री पर ₹ 4.21 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हुयी।

(प्रस्तर 2.1)

ठेकेदार से ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली समयबद्ध तरीके से नहीं करने के कारण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 99.27 लाख की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.2)

अध्याय—III: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश में 99 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे जिनमें 56 कार्यरत पीएसयूज (50 कम्पनियां एवं छः सांविधिक निगम) एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) शामिल हैं। 99 राज्य पीएसयूज में से, 24 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। इन 24 पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 2018-19 के दौरान ₹ 9,617 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.62 प्रतिशत के बराबर था।

(प्रस्तर 3.1 एवं 3.2)

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 24 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में 31 मार्च 2019 तक, कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 13,127.56 करोड़ था। निवेश में पूँजी 40.34 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 59.66 प्रतिशत सम्मिलित थे। इसमें से जीओयूपी ने 15 पीएसयूज में ₹ 4,991.35 करोड़ का निवेश किया है जिसमें पूँजी ₹ 2,217.33 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 2,774.02 करोड़ निहित है।

(प्रस्तर 3.4 एवं 3.12)

बकाया लेखें

56 कार्यरत पीएसयूज में से, केवल सात पीएसयूज ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखाओं को प्रस्तुत किया था एवं 49 कार्यरत पीएसयूज के 208 लेखे बकाया थे। 43 अकार्यरत पीएसयूज (परिसमापन वाले 12 पीएसयूज शामिल हैं), एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड) ने अपने 2018-19 के लेखे प्रस्तुत किये थे एवं 40 पीएसयूज¹ के 653 लेखे बकाया थे। 89 राज्य पीएसयूज जिनके लेखे बकाया थे, में से 27 पीएसयूज में जीओयूपी ने ₹ 3,685.90 करोड़ (पूँजी: ₹ 48.84 करोड़, ऋण: ₹ 1,161.24 करोड़ एवं अनुदान: ₹ 2,475.82 करोड़) का निवेश लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान किया था।

(प्रस्तर 3.8 एवं 3.8.1)

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

24 कार्यरत पीएसयूज द्वारा वर्ष 2016-17 में अर्जित किया गया ₹ 55.62 करोड़ का लाभ वर्ष 2018-19 में घटकर ₹ 42.48 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन पीएसयूज में से, 15 पीएसयूज ने ₹ 374.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज ने ₹ 416.83 करोड़ की हानि उठाई। 2018-19 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 15 पीएसयूज में से, पाँच पीएसयूज एकाधिकार श्रेणी से सम्बंधित हैं, नौ पीएसयूज निश्चित आय स्रोत श्रेणी से एवं एक पीएसयू प्रतिस्पर्धी वातावरण से सम्बंधित हैं। इस प्रकार इन पीएसयूज का लाभ या तो एकाधिकार का लाभ या बजटीय सहायता, आय, बैंक जमा पर ब्याज, कमीशन आदि निश्चित आय स्रोत के कारण हैं।

(प्रस्तर 3.13)

¹ इसमें दो पीएसयूज शामिल नहीं हैं यथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड जो कि परिसमापन के अर्न्तगत था, परिसमापन में जाने के तिथि तक जिसके कोई लेखे बकाये में नहीं हैं।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा 15 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 6,657.36 करोड़ आगणित होता है। 2000-01 से 2004-05 के अवधि के दौरान, इन पीएसयूज ने समग्र हानि उठाई लेकिन 2005-06 से 2009-10 के अवधि के दौरान इन पीएसयूज ने निवेशित धनराशि के लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित किया। हालाँकि, वर्ष 2010-11 से 2012-13 के अवधि के दौरान, यद्यपि इन पीएसयूज ने लाभ अर्जित किया, फिर भी इनका कुल लाभ पीएसयूज में किये गए निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम था। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयूज में पुनः वर्ष 2013-14 से लगातार हानि हो रही थी।

(प्रस्तर 3.15)

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)

प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र के पीएसयूज में शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों ऋणात्मक थी इसलिए इनकी आरओई की गणना नहीं की जा सकी। एकाधिकारी वातावरण वाले पीएसयूज के सम्बंध में उनके एकाधिकारी अवसर के बावजूद 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान आरओई ऋणात्मक थी जबकि निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज की आरओई 2016-17 से 2018-19 की अवधि में धनात्मक थी।

(प्रस्तर 3.16)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2017-18 एवं 2018-19 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,783.00 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 998.51 करोड़) में नियोजित पूँजी में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 24 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की आरओसीई 2016-17 के दौरान 1.60 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 0.51 प्रतिशत हो गयी। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दो पीएसयूज की आरओसीई 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऋणात्मक थी क्योंकि सभी तीन वर्षों में ब्याज एवं कर से पूर्व की आय (ईबीआईटी) ऋणात्मक थी।

(प्रस्तर 3.17)

निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2019 को 24 पीएसयूज में से, 12 पीएसयूज की ₹ 3,057.98 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इन 12 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने वर्ष 2018-19 में ₹ 416.38 करोड़ की हानि उठाई। इनमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनंग कम्पनी लिमिटेड) शामिल था, जिसने वर्ष के दौरान ₹ 11.69 करोड़ की हानि उठायी। आगे, चार पीएसयूज ने वर्ष 2018-19 में हानि नहीं उठायी, जबकि उनके पास ₹ 1,410.99 करोड़ की संचित हानि थी।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दोनों पीएसयूज को शामिल करके सात पीएसयूज के निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था तथा 31 मार्च 2019 को इनमें पूँजी निवेश ₹ 1,162.17 करोड़ के सापेक्ष इनका निवल मूल्य (-) ₹ 1,686.44 करोड़ हो गया था।

(प्रस्तर 3.19)

लाभांश का भुगतान

2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज, जिन्होंने जीओयूपी को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया, की संख्या शून्य से सात के मध्य थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2016-17 के 2.87 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़कर 4.73 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, 2018-19 में लाभ अर्जित करने वाले किसी भी पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.20)

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान कार्यरत पीएसयूज द्वारा 35 अन्तिमीकृत लेखाओं में से, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की एवं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के तीन वर्षों के लेखाओं अर्थात् वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिकूल राय दी थी। 18 लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 80 दृष्टान्त थे। सीएजी ने भी तीन लेखाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2013-14 के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2015-16 के लिए एवं इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रतिकूल प्रमाण-पत्र निर्गत किए थे।

(प्रस्तर 3.24)

अध्याय-IV: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सारांश निम्न है:

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड अधिशेष मृदा की बिक्री के लिए अपने स्वयं के आदेश का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष मृदा के निस्तारण पर ₹ 3.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जो अंततः जीओयूपी द्वारा वहन किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय खजाने को ₹ 1.41 करोड़ के राजस्व से वंचित किया गया।

(प्रस्तर 4.1)

अनुचित लेखांकन प्रणाली के कारण **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड** अपनी आय और अग्रिम कर देयता का सही आकलन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 4.2)

एक ठेकेदार को कार्य के आवंटन और कार्य के निष्पादन में अनुचित लाभ देने के कारण **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड** को ₹ 2.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश जल निगम ने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों एवं अधिक अनुबंधित भार के सत्यापन के कारण ₹ 3.54 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान किया।

(प्रस्तर 4.4)

भाग-ब आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं इकाइयाँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-V: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश सरकार के 18 विभाग आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19
ऊर्जा	33,976.69	17,265.50 ²	31,270.17 ³
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	6,296.11	1,740.56 ⁴	4,114.53 ⁵
आवास एवं शहरी नियोजन	2,888.06	723.39 ⁶	983.69 ⁷
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,721.56	2,987.80	3,051.80
वन	1,231.72	808.21 ⁸	811.33

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

(प्रस्तर 5.2)

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

विभागों/इकाइयों में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये पाँच प्रकरणों में ₹ 18.97 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 5.7)

अध्याय-VI: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सारांश निम्न हैं:

राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की ₹ 102.01 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे से बाहर रखी गई।

(प्रस्तर 6.1)

² 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सब्सिडी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

³ 2018-19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि, विद्युत (सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता तथा अन्य व्यय), विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों के कारण थी।

⁴ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

⁵ 2018-19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः दूरसंचार पर व्यय और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, अन्य व्ययों और सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत व्ययों में वृद्धि के कारण थी।

⁶ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

⁷ 2018-19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

⁸ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

बिना किसी शुल्क को प्रभारित किये ही हाई-टेक विकासकर्ता को पूर्वव्यापी उच्चतर तल क्षेत्र अनुपात की अनुमति देने के **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग** के निर्णय के कारण विकासकर्ता को ₹ 170.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 6.2)

अनुबंध में प्रतिभूति जमा की कटौती के लिए मानक प्रावधान को शामिल नहीं करने के कारण **लखनऊ विकास प्राधिकरण** को ₹ 2.40 करोड़ का ब्याज देना पड़ा।

(प्रस्तर 6.3)

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पाइल कार्य के अतिरिक्त मद को अधिक दरों पर निष्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.41 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 6.4)

राज्य सरकार के मानदण्डों के उल्लंघन में **मेरठ विकास प्राधिकरण** ने अपने उपाध्यक्ष के एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए ₹ 5.36 करोड़ के भूमि के भूखण्ड पर ₹ 2.94 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 6.5)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ₹ 2.51 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क की वसूली न करके विकासकर्ता को अनुचित लाभ दिया।

(प्रस्तर 6.6)

वन एवं वन्यजीव विभाग गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 22.53 करोड़ के प्रीमियम तथा पट्टा किराया को आरोपित करने एवं वसूलने में विफल रहा।

(प्रस्तर 6.7)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लागत विश्लेषण तैयार करने में सम्यक सतर्कता के अभाव के कारण दो सफाई अनुबंधों को उच्च दर पर दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अनुबंध के पूर्ण होने तक ₹ 3.04 करोड़ तक बढ़ जाएगा।

(प्रस्तर 6.8)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के पश्चात **ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण** ने ठेकेदार से ₹ 1.10 करोड़ की वसूली की।

(प्रस्तर 6.9)

भाग—अ
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिये की गयी है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2019 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 पीएसयूज थे, जिनमें छः सांविधिक निगम¹ एवं 108 सरकारी कम्पनियां (जिनमें 46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सम्मिलित हैं) थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान सात नई कम्पनियों को शामिल किया गया। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष के दौरान किसी भी पीएसयूज को बंद या अन्य पीएसयूज में समामेलित नहीं किया गया था।

2. उत्तर प्रदेश में पीएसयूज की प्रकृति एवं उनके लेखाओं की स्थिति तालिका 1 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 को बकाया थे (बकाया कुल लेखे)
		2018-19 ² तक के लेखे	2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कम्पनियां ³	62	15	15	25	55	47 (204)
सांविधिक निगम	6	1	3	6	10	5 (12)
कुल कार्यरत पीएसयूज	68	16	18	31	65	52 (216)
अकार्यरत सरकारी कम्पनियां	46	3	4	6	13	41 ⁴ (654)
कुल	114	19	22	37	78	93 (870)

इस प्रतिवेदन में 31 दिसंबर 2019 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 35 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को शामिल किया गया है। इस अध्याय में 79 पीएसयूज (सरकार नियंत्रित सात कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया हैं या वे अकार्यरत/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3.2 एवं तालिका-1.2 (अध्याय-1)** में हैं। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज ने 31 दिसंबर 2019 तक अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 71,473 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 के लिए राज्य

¹ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

² 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक।

³ सरकारी पीएसयूज में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

⁴ दो पीएसयू परिसमापन के अधीन हैं, जिनके कोई भी लेखे परिसमापन में जाने की तारीख तक शेष नहीं हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 15,42,432 करोड़) के 4.63 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 14,441.44 करोड़ की हानि उठाई। मार्च 2019 को इन पीएसयूज में लगभग 76,500 कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2019 को, 46 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयूज एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 43 पीएसयूज) अकार्यरत थे, जिनमें ₹ 1,774.04 करोड़ के कुल निवेश है, जिसमें पूँजी (₹ 1,051.52 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 722.52 करोड़) सम्मिलित थे। अकार्यरत पीएसयूज में ऊर्जा क्षेत्र के दो पीएसयूज थे जिनका परिसमापन (अप्रैल 2019) हो गया था एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 12 पीएसयूज जो कि परिसमापन के अधीन थे, शामिल हैं।

शेष 32 अकार्यरत पीएसयूज को बंद करने के सम्बंध में सरकार उचित निर्णय ले सकती है।

जवाबदेही तन्त्र

3. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के द्वारा शासित होती है। अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी⁵ को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अन्दर की जानी चाहिए एवं यदि उल्लिखित अवधि में सीएजी द्वारा इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

साथ ही, अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 (5) या (7) के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी के प्रकरण में सीएजी, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखाओं की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी

⁵ कम्पनी (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी।

द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों अन्तर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कम्पनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्य प्रपत्रों के साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण को शामिल करते हुए प्रस्तुत करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि के अन्दर अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत ये वित्तीय विवरण, सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। छः सांविधिक निगमों में से चार निगमों अर्थात् उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के प्रकरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

पीएसयूज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है एवं इसकी तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सीएजी द्वारा किये गये पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ, सदन या राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में रखी जानी होती है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले विधानों में निगमों के लिये लगभग समान प्रावधान हैं। यह तन्त्र राज्य के समेकित कोष से सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम करने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया है कि पूर्व और आगामी एजीएम की तिथियों में 15 माह से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 बताती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कम्पनी के निदेशकों सहित, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अर्थदण्ड एवं कारावास जैसे शास्ति के आरोपण का प्रावधान किया गया है।

सरकार एवं विधानमण्डल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी एवं बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में जैसा कि सम्बंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के सामने रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश

7. उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की पीएसयूज में उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **शेयर पूँजी एवं ऋण** – शेयर पूँजी योगदान के अतिरिक्त, जीओयूपी समय-समय पर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** – जीओयूपी पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूतियाँ** – जीओयूपी वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की प्रत्याभूति भी देती है।

8. 31 मार्च 2019 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2: पीएसयूज में क्षेत्रवार कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम		योग	कुल निवेश का रूप	
	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में नहीं शामिल	इस प्रतिवेदन में शामिल	इस प्रतिवेदन में नहीं शामिल		पूँजी	दीर्घावधि ऋण
ऊर्जा	1,97,352.73	2.27	-	-	1,97,355.00	1,17,914.35	79,440.65
ऊर्जा के अतिरिक्त	11,608.62	8,549.16	1,518.94	872.34	22,549.06	8,614.00	13,935.06
योग	2,08,961.35	8,551.43	1,518.94	872.34	2,19,904.06	1,26,528.35	93,375.71


स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी एवं ऋण के लिए अनुमोदन/जारी आदेशों एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसयू में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹ 53,754.15 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 41,114.61 करोड़ (76.49 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

9. 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2019 के अन्त में ऊर्जा एवं ऊर्जा के अतिरिक्त क्षेत्र में निवेश चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आँकड़े ₹ करोड़ में)



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, इस प्रतिवेदन के भाग अ के भाग-I⁶ में ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज के एवं भाग-II⁷ में 99 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणामों को पृथक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

⁶ भाग-I में अध्याय-I (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप) एवं अध्याय-II (ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण) शामिल हैं।

⁷ भाग-II में अध्याय-III (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज के कार्यकलाप) एवं अध्याय-IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण) शामिल हैं।

भाग-I
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय—I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

भाग-I

अध्याय-I

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के जीडीपी में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। 31 मार्च 2019¹ को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	46,977	54,223	56,661	61,856
पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर के सापेक्ष टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत में	-	15.42	4.50	9.17
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसडीपी में परिवर्तन प्रतिशत में	-	9.78	10.25	12.07
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	4.13	4.34	4.12	4.01

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2019 को जारी किये गये जीएसडीपी के आँकड़ों एवं ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान 4.50 प्रतिशत एवं 15.42 प्रतिशत के मध्य निरन्तर वृद्धि दर्ज की गयी। इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में भी निरन्तर वृद्धि 9.78 प्रतिशत एवं 12.07 प्रतिशत के मध्य दर्ज की गयी। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास विभिन्न समय अवधि के दौरान विकास दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.69 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास² के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.61 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज की गई। इससे जीएसडीपी में इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की भागेदारी वर्ष 2015-16 में 4.13 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 4.01 प्रतिशत हो गई।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने ऊर्जा क्षेत्र को व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) का पुनर्गठन किया (जनवरी 2000) एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक नई कम्पनी उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का गठन किया। यूपीएसईबी के पारेषण एवं वितरण

¹ 31 दिसंबर 2019 तक के नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

² चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर = $\left\{ \left(\frac{2018-19 \text{ का मूल्य}}{2015-16 \text{ का मूल्य}} \right)^{\frac{1}{3 \text{ वर्ष}}}-1 \right\} * 100$ ।

के कार्यों³ को यूपीपीसीएल को हस्तान्तरित किया गया। थर्मल एवं हाइड्रो उत्पादन के कार्य मौजूदा पीएसयूज अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में ही निहित रहे। यूपीएसईबी की सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों (₹ 5,554.96 करोड़⁴ की पूँजी एवं ₹ 2,709.78 करोड़ के ऋण सहित) को ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज⁵ के बीच में वितरित किया गया। आगे, अगस्त 2003 में यूपीपीसीएल का वितरण व्यवसाय, सहायक कम्पनियों यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ (एमवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पीवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (पूवीवीएनएल) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा (डीवीवीएनएल) (यूपीपीसीएल की सहायक-डिस्कॉम्स के रूप में जाना जाता है) को हस्तान्तरित किया गया।

आगे, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) जुलाई 2006 में निगमित हुआ। इसके बाद, अप्रैल 2007 से ट्रान्समिशन गतिविधियों को यूपीपीसीएल से यूपीपीटीसीएल को हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से जीओयूपी ने दिसंबर 2010 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (ट्रान्समिशन एवं सम्पत्तियों, दायित्वों सहित सम्बंधित गतिविधियों के हस्तान्तरण) योजना, 2010, अधिसूचित किया। इस तिथि से, यूपीपीसीएल एवं यूपीपीटीसीएल ने क्रमशः वृहत ऊर्जा के क्रय/विक्रय एवं ट्रान्समिशन कार्य के लिए अलग-अलग संस्था के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य के लिये चार पीएसयूज⁶ गठित किये गये। इसी प्रकार, ट्रान्समिशन के व्यवसाय के संचालन के लिये यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी सदरन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (एसयूपीपीटीसीएल), (08 अगस्त 2013 को निगमित), का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, कोयले के निष्कर्षण एवं राज्य ऊर्जा संस्थानों को कोयले की बिक्री के उद्देश्य के लिये एक और कम्पनी, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उपक्रम (16 अक्टूबर 2008 को निगमित) गठित की गयी।

इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम⁷ थे। ऊर्जा क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों में, तीन पीएसयूज⁸ अकार्यरत थे एवं तीन पीएसयूज⁹ ने 2018-19¹⁰ तक कोई व्यवसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की थीं।

³ यूपीएसईबी के कानपुर विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण (केसा) जोन के वितरण व्यवसाय को यूपीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को हस्तान्तरित किया गया।

⁴ यूपीएसईबी के विभाजन के समय संचित हानि शून्य थी।

⁵ यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, केस्को एवं यूपीपीसीएल।

⁶ यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड 11 अप्रैल 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित हुई, सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल) 14 फरवरी 2007 को यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित हुई, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जेवीयूएनएल) 04 सितंबर 2009 को यूपीआरवीयूएनएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित हुई एवं यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (वाईपीजीसीएल) 20 अप्रैल 2010 को यूपीपीसीएल की एसोसिएट कम्पनी के रूप में निगमित हुई।

⁷ दो कम्पनियां क्रमशः सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड और यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने अपने बी.ओ.डी. के दिनांक 01 अप्रैल 2019 के बैठक में लिये गये निर्णय द्वारा कम्पनी को बन्द कर दिया।

⁸ सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एसपीजीसीएल), यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (वाईपीजीसीएल) एवं सदरन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (एसयूपीपीटीसीएल)।

⁹ जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड एवं यूपीएसआईडीसी पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड।

¹⁰ 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिम लेखाओं पर आधारित।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.3 उत्तर प्रदेश में 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का कोई विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.4 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधिवार सारांश तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधिवार निवेश

गतिविधि	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
इस अध्याय में शामिल किये गये पीएसयूज				
ऊर्जा का उत्पादन	3	12,740.88	12,426.67	25,167.55
ऊर्जा का पारेषण	1	14,060.07	10,901.70	24,961.77
ऊर्जा का वितरण	6 ¹¹	91,110.97	56,109.78	1,47,220.75
अन्य	1	0.16	2.50	2.66
इस अध्याय में शामिल कुल पीएसयूज	11	1,17,912.08	79,440.65	1,97,352.73
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज ¹²	4	2.27	0.00	2.27
कुल योग	15	1,17,914.35	79,440.65	1,97,355.00

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज से प्राप्त सूचना एवं वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में 31 मार्च 2019 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,97,352.73 करोड़ था। निवेश में पूँजी 59.75 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 40.25 प्रतिशत था।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 7.01 प्रतिशत (₹ 5,571.82 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण 92.99 प्रतिशत (₹ 73,868.83 करोड़) था। इसके अतिरिक्त, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के डिस्कॉम्स पर बकाया ऋणों (₹ 59,205.19 करोड़¹³) में से ₹ 44,403.89 करोड़¹⁴ (75 प्रतिशत) का 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय पुर्नगठन योजना/उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय¹⁵) के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया।

¹¹ यूपीपीसीएल (स्वामित्व धारक कम्पनी) शामिल है।

¹² इस अध्याय में चार पीएसयूज शामिल नहीं हैं, जिनमें से तीन पीएसयूज (एसपीजीसीएल, वाईपीजीसीएल एवं एसयूपीपीटीसीएल) अकार्यरत थे एवं एक पीएसयू (यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड) के लेखे तीन वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे।

¹³ डिस्कॉम्स के ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल ऋण जिसमें 30 सितंबर 2015 को ₹ 53,935.06 करोड़ के बकाया ऋण एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी)-2012 के तहत 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.13 करोड़ के बॉन्ड शामिल हैं।

¹⁴ इसमें 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये ₹ 39,133.76 करोड़ एवं वित्तीय पुर्नगठन योजना (एफआरपी)- 2012 के तहत 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत किये गये ₹ 5,270.13 करोड़ शामिल हैं।

¹⁵ डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं प्रचालन परिवर्तन के लिए ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.5 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश तालिका 1.3 में दिया गया है।


तालिका 1.3: 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण ¹⁶	2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयूज की संख्या ¹⁷	धनराशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या ¹⁷	धनराशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या ¹⁷	धनराशि (₹ करोड़ में)
पूँजी की जावक (i)	3	12,205.98	4	8,234.53	3	13,409.18
दिये गये ऋण (ii)	1	3,700.32	-	0.00	1	615.45
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	14,817.66	2	7,593.19	2	17,157.09
कुल जावक (i+ii+iii)	3¹⁸	30,723.96	4¹⁸	15,827.72	3¹⁸	31,181.72
ऋण अपलिखित/अनुदान में परिवर्तन	-	-	-	-	1	4,891.72
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
बकाया प्रत्याभूतियाँ	3	52,791.17	3	57,912.93	4	85,998.73
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	62,518.98	2	31,488.20	3	13,198.56

स्रोत: पीएसयूज से प्राप्त जानकारी, शासनादेशों एवं वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता का विवरण चार्ट 1.1 में दिया गया है।

चार्ट 1.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता (₹ करोड़ में)



¹⁶ यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

¹⁷ जीओयूपी यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से पूँजी देती है। अतः, सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य के लिए केवल स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से शामिल किया गया है। शेष दो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं। 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान, जीओयूपी द्वारा यूपीजेवीएनएल को पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में कोई बजटीय सहायता नहीं दी गयी है।

¹⁸ यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है जैसे कि पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के इन पीएसयूज को वर्ष के दौरान प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 15,827.72 करोड़ एवं ₹ 31,181.72 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 31,181.72 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 13,409.18 करोड़, ₹ 615.45 करोड़ एवं ₹ 17,157.09 करोड़ शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय पुनरोत्थान के लिए उदय योजना भी प्रारम्भ की (20 नवंबर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं पाँच डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के स्थिति की चर्चा इस अध्याय के प्रस्तर 1.20 के अन्तर्गत की गयी है।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में पीएसयूज को सक्षम बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) गारंटी प्रदान करती है, जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर पर गारंटी कमीशन लिया जाता है जोकि जीओयूपी द्वारा उधारकर्ताओं के आधार पर तय किया गया (15 सितंबर 2000)। बकाया गारंटी 31 मार्च 2019 को ₹ 85,998.73 करोड़ थी। दो पीएसयूज¹⁹ के द्वारा 2018-19 के दौरान ₹ 0.25 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

1.6 राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से सम्बंधित आँकड़े, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2019 को इससे सम्बंधित स्थिति तालिका 1.4 में दी गयी है।

तालिका 1.4: वित्त लेखाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	पूँजी		अन्तर	ऋण		अन्तर	गारंटियाँ		अन्तर
	वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार		वित्त लेखाओं के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार	
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	0.07	0.00	0.07	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	10,796.79	12,305.55	1,508.76	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	11,382.00	11,846.80	464.80	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	10,398.89	5,507.17	4,891.72	-	-	-
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	-	0.00	64.65	64.65	-	-	-
कुल अन्तर			1,973.63			4,956.37			-

स्रोत : पीएसयूज एवं वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयूज के सम्बंध में इस तरह का अन्तर है जो कि उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की पूँजी में भिन्नता का कारण (जैसा इन पीएसयूज के लेखाओं से देखा गया है) वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा जारी की गयी पूँजी का वित्त लेखा 2018-19 में न/कम लेखांकन करना था। इसके

¹⁹ यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीपीटीसीएल।

अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के ऋण में भिन्नता का कारण 2018-19 में सरकार द्वारा ₹ 4,891.72 करोड़ के ऋण का अनुदान में परिवर्तन का वित्त लेखा 2018-19 में लेखांकन न करना था। कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के ऑकड़ों में अन्तर गत कई वर्षों से विद्यमान हैं।

अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। इसलिए लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि राज्य सरकार एवं सम्बंधित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध तरीके से समाधान करना चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के तैयार करने में समयबद्धता

1.7.1 सीएजी के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में 31 दिसंबर 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रम²⁰ थे। 11 पीएसयूज ने अपने 2018-19 के लेखाओं को 31 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत किया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वित्त वर्ष के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के 31 दिसंबर²¹ को प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र० सं०	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
1.	पीएसयूज की संख्या	15	15	15
2.	प्रस्तुतीकरण के लिए नियत लेखाओं की संख्या	48	43	37
3.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखाओं की संख्या	20	21	28
4.	पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	1	2	11
5.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिसे चालू वर्ष में अन्तिम रूप दिया गया	19	19	17
6.	पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	14	13	4
7.	बकाया लेखाओं की संख्या	28	22	9
8.	बकाया की सीमा	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष	एक से पाँच वर्ष

स्रोत: दिसंबर 2019 तक प्राप्त किये गये पीएसयूज के लेखाओं के आधार पर संकलित।

ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में से, 14 पीएसयूज ने 28 वार्षिक लेखाओं को 01 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिया था, जिसमें वर्ष 2018-19 के 11 वार्षिक लेखे एवं गतवर्षों के 17 वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त, चार पीएसयूज के नौ वार्षिक लेखे बकाया थे।

जीओयूपी ने ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 तक बकाया थे, में से दो पीएसयूज में 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान ₹ 28,012.33 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,335.58 करोड़, ऋण: ₹ 615.45 करोड़, अनुदान: ₹ 6,032.59 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 11,028.71 करोड़) का निवेश किया था जबकि शेष दो पीएसयूज में लेखाओं

²⁰ दो कम्पनियों क्रमशः सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड और यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने अपने बी.ओ.डी. के दिनांक 01 अप्रैल 2019 की बैठक में लिये गये निर्णय द्वारा कम्पनियों को बन्द कर दिया। आगे दोनों कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से अगस्त 2020 में हटा दिये गये हैं।

²¹ वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए क्रमशः 30 सितंबर 2017 एवं 30 सितंबर 2018 तक प्राप्त किये गये लेखाओं को लिया गया है।

की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं के निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बंध में निरन्तर रूप से सूचित किया गया था।

राज्य ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.7.2 लेखाओं के विलम्ब से अन्तिमीकरण से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के क्षरण का भी जोखिम रहता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति की वजह से, राज्य ऊर्जा क्षेत्र के इन चार पीएसयूज के लेखाओं के बकाया की अवधि में कार्य निष्पादन सहित लाभ/हानि एवं राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन/राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय क्या सही रूप से लेखांकित किये गये एवं धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। पीएसयूज द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

अकार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

1.8 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयूज यथा यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं सदरन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड अकार्यरत कम्पनियां थीं। यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं सोनभद्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड को बंद करने का निर्णय जीओयूपी द्वारा क्रमशः 05 मई 2015 एवं 02 जुलाई 2018 को लिया गया। इसके उपरान्त, दोनों कम्पनियों को उनके सम्बंधित निदेशक मण्डल द्वारा अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया।

आगे, ऊर्जा क्षेत्र के शेष पीएसयू यथा सदरन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के समापन के सम्बंध में, सरकार उचित निर्णय ले सकती है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.9 31 दिसंबर 2019 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यपरिणाम **परिशिष्ट-1.1** में दिये गये हैं।


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार एवं अन्य के निवेश की राशि ₹ 1,97,352.73 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 1,17,912.08 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 79,440.65 करोड़ सम्मिलित थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है। इसमें से ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज²²

²² जीओयूपी, यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल को उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से पूँजी देती है। अतः सरकार के धन के निवेश के उद्देश्य से उनकी सहायक कम्पनी की ओर से केवल स्वामित्व धारक कम्पनियों को शामिल किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र के शेष दो उपक्रम यूपीपीटीसीएल एवं यूपीजेवीएनएल हैं।

में जीओयूपी का निवेश ₹ 1,23,483.54 करोड़ था जिसमें पूँजी के ₹ 1,17,911.72 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 5,571.82 करोड़ सम्मिलित थे। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में 2016-17 से 2018-19 के अवधि के अन्त में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में जीओयूपी के निवेश की समेकित स्थिति चार्ट 1.2 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में जीओयूपी का कुल निवेश

(₹ करोड़ में)




कम्पनी की लाभदायकता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापी जाती है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुए लाभ अथवा हानि को पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं लाभ को कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन की माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभदायकता एवं उसके पूँजी के उपयोग की दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना, कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

1.10 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों द्वारा समग्र हानि²³ की स्थिति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई हानि

(₹ करोड़ में)



²³ 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर आँकड़े।

ऊर्जा क्षेत्र के इन 11 पीएसयूज द्वारा 2016-17 एवं 2017-18 में हुई क्रमशः ₹ 11,143.21 करोड़ एवं ₹ 13,460.89 करोड़ की हानि के सापेक्ष 2018-19 में ₹ 14,398.96 करोड़ हानि हुई (परिशिष्ट-1.1)। पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, दो पीएसयूज ने ₹ 126.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज ने ₹ 14,525.35 करोड़ की हानि उठाई जैसा कि (परिशिष्ट-1.4) में वर्णित है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिन्होंने 2016-17 से 2018-19 के अवधि के दौरान लाभ अर्जित/हानि उठाई, की स्थिति का विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

वर्ष के दौरान	इस अध्याय में शामिल किये गये ऊर्जा क्षेत्र के कुल पीएसयूज	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिसमें लाभ/हानि नहीं थी
2016-17	11	2	8	1
2017-18	11	3	8	-
2018-19	11	2	9	-

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

1.11 राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की सभी उपक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। जीओयूपी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वास्तविक प्रतिफल पर पहुँचने के लिए, निवेश के वर्तमान मूल्य निकालने के बाद निवेश पर प्रतिफल की गणना की गयी है। राज्य सरकार के निवेश पर, तत्कालीन विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन (2000-01) के बाद से 31 मार्च 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तिमीकृत बैलेंस शीट से राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन एवं प्रबंधकीय व्यय के लिए दिए गए अनुदान/सब्सिडी के रूप निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य की गणना की गयी।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गयी है:

- ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन एवं प्रबंधकीय व्यय के लिए दिए गए अनुदान/सब्सिडी को राज्य सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। आगे, उन प्रकरणों में जिनमें पीएसयूज को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, पूँजी में परिवर्तित ऋण के मूल्य को ब्याज मुक्त ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है।
- सम्बंधित वित्तीय वर्ष²⁴ के लिए वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गयी लागत को दर्शाता है एवं इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वसूली का न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल दर माना गया है।

2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान जब आठ से नौ पीएसयूज ने हानियाँ उठायीं, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। पीएसयूज के निवल मूल्य के क्षरण पर प्रस्तर 1.13 में टिप्पणी की गयी है।

²⁴ सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिये = ब्याज भुगतान / [(गत वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ) / 2] * 100।

1.12 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन के निवेश की इन पीएसयूज के प्रारम्भ से 31 मार्च 2019 तक स्थिति परिशिष्ट-1.5 में इंगित की गयी है। वर्ष 2000-01 से 31 मार्च 2019 तक उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति को तालिका 1.7 में इंगित किया गया है।

तालिका 1.7: 2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान जीओयूपी द्वारा निवेश की गयी पूँजी	जीओयूपी द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋण	जीओयूपी द्वारा दिये गये अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिये धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	लाभ एवं हानि विवरण के आधार पर वर्ष के कुल अर्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix= vii* (1+viii/100)	x= vii* viii/100	xi
2000-01 तक		6,336.47	3.55	294.23	6,634.25	6,634.25	9.58	7,269.81	635.56	-2,760.04
2001-02	7,269.81	315.03	0.00	1,060.39	1,375.42	8,645.23	9.49	9,465.66	820.43	-1,562.66
2002-03	9,465.66	225.90	0.00	972.15	1,198.05	10,663.71	7.22	11,433.63	769.92	-1,453.67
2003-04	11,433.63	6,051.30	0.00	1,171.14	7,222.44	18,656.07	9.13	20,359.37	1,703.30	-1,420.28
2004-05	20,359.37	906.80	0.00	1,229.06	2,135.86	22,495.23	9.47	24,625.53	2,130.30	-2,404.25
2005-06	24,625.53	794.60	0.00	1,372.33	2,166.93	26,792.46	6.49	28,531.29	1,738.83	-3,146.92
2006-07	28,531.29	3,113.53	0.00	1,588.90	4,702.43	33,233.72	6.74	35,473.68	2,239.95	-4,288.59
2007-08	35,473.68	5,046.98	0.00	1,984.15	7,031.13	42,504.81	6.43	45,237.86	2,733.06	-7,930.94
2008-09	45,237.86	6,222.34	0.00	1,920.15	8,142.49	53,380.35	6.29	56,737.98	3,357.62	-10,585.24
2009-10	56,737.98	5,322.37	0.00	1,909.04	7,231.41	63,969.39	6.16	67,909.90	3,940.51	-8,915.78
2010-11	67,909.90	4,383.52	0.00	2,169.41	6,552.93	74,462.83	6.67	79,429.50	4,966.67	-8,678.69
2011-12	79,429.50	4,314.36	0.00	3,811.85	8,126.21	87,555.71	6.62	93,351.90	5,796.19	-11,912.16
2012-13	93,351.90	3,825.53	0.00	5,010.13	8,835.66	1,02,187.56	6.73	1,09,064.79	6,877.22	-13,149.52
2013-14	1,09,064.79	6,580.90	0.00	5,315.37	11,896.27	1,20,961.06	6.43	1,28,738.85	7,777.80	-17,718.16
2014-15	1,28,738.85	11,546.16	0.00	12,647.70	24,193.86	1,52,932.71	6.40	1,62,720.40	9,787.69	-19,110.93
2015-16	1,62,720.40	19,078.43	6,083.12	22,385.92	47,547.47	2,10,267.87	6.35	2,23,619.88	13,352.01	-18,126.21
2016-17	2,23,619.88	12,205.97	3,700.32	14,817.66	30,723.95	2,54,343.83	6.82	2,71,690.08	17,346.25	-11,143.21
2017-18	2,71,690.08	8,234.52	0.00	7,593.19	15,827.71	2,87,517.79	6.54	3,06,321.46	18,803.66	-13,460.89
2018-19	3,06,321.46	13,407.01	-4,891.72	17,157.09	25,672.38	3,31,993.84	6.50	3,53,573.44	21,579.60	-14,398.96
अवधि के कुल योग		1,17,911.72	4,895.27	1,04,409.86	2,27,216.85					

राज्य सरकार द्वारा इन 11 पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 2000-01 के ₹ 6,634.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,27,216.85 करोड़ हो गया क्योंकि आगे राज्य सरकार ने पूँजी (₹ 1,11,575.25 करोड़) एवं ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,09,007.35 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी धनराशि की पीवी 31 मार्च 2019 को ₹ 3,53,573.44 करोड़ आती है।

यह देखा जा सकता है कि 2000-01 से 2018-19 के अवधि के दौरान इन पीएसयूज से सम्बंधित वर्ष की कुल आय ऋणात्मक रही जो कि यह दर्शाता है कि ये पीएसयूज सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाये।

निवल मूल्य का क्षरण

1.13 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। वास्तव में यह इसकी माप है कि एक उपक्रम स्वामियों के लिए कितना मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

इस अध्याय में शामिल 11 पीएसयूज की 31 मार्च 2019 को संचित हानियाँ ₹ 1,62,180.07 करोड़ थी। 11 पीएसयूज में से, नौ पीएसयूज ने 2018-19 में ₹ 14,525.35 करोड़ की हानियाँ उठाईं। इसके अलावा, दो पीएसयूज ने 2018-19 में लाभ अर्जित किया एवं इनका संचित लाभ ₹ 1,176.05 करोड़ था।

11 पीएसयूज में से छः का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया। 31 मार्च 2019 तक इन छः पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 72,338.46 करोड़ के सापेक्ष इन पीएसयूज का निवल मूल्य (–₹ 74,102.48 करोड़) ऋणात्मक था (*परिशिष्ट-1.1*)।

पाँच²⁵ पीएसयूज जिनका निवल मूल्य मार्च 2019 के अन्त में धनात्मक था, में से दो²⁶ का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था जो उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेत है।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान (जीओयूपी द्वारा धन का निवेश²⁷ जहाँ किया गया हो) प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियाँ एवं निवल मूल्य **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: 2016-17 से 2018-19 के अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)				
वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित हानियाँ	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2016-17	96,089.59	1,42,612.30	4.13	-46,526.84
2017-18	1,04,323.31	1,56,236.42	3.95	-51,917.06
2018-19	1,16,578.99	1,62,180.07	0.18	-45,601.26

लाभांश का भुगतान

1.14 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशपूँजी निवेश पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का लाभांश भुगतान करना होता है।

2016-17 से 2018-19 के अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लाभांश भुगतान जहाँ जीओयूपी द्वारा धन का निवेश किया गया था, **तालिका 1.9** में दिखाया गया है।

²⁵ एमवीवीएनएल, जेवीयूएनएल, यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल एवं यूपीपीटीसीएल।

²⁶ एमवीवीएनएल एवं यूपीजेवीएनएल।

²⁷ सहायक कम्पनियों (*परिशिष्ट-1.1* के क्रम सं0 3, 5 से 9 एवं 11) के संदर्भ में पूँजी उनकी सम्बंधित स्वामित्व धारक कम्पनियों द्वारा निवेश की गयी थी।

तालिका 1.9: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान लाभांश भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ में रहने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा करने/भुगतान करने वाले पीएसयूज		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा/भुगतान (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5*100)
2016-17	4	96,270.18	1	10,110.40	-	-	-
2017-18	4	1,04,504.71	1	10,796.79	-	-	-
2018-19	4	1,17,911.72	1	12,305.55	-	-	-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 2018-19 में ₹ 123.75 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 31 मार्च 2019 तक ₹ 1,173.67 करोड़ का संचित लाभ था। लेकिन, कम्पनी ने न तो सरकार को लाभांश दिया एवं न ही लेखाओं में उसके लिए कोई प्रावधान किया जो कि न्यूनतम लाभांश भुगतान से सम्बंधित राज्य सरकार के नीति के विरुद्ध है।

पूँजी पर प्रतिफल

1.15 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)²⁸ कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की माप है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शेयरधारकों की निधि धनात्मक हैं।

आरओई की गणना ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में की गयी है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा स्वामित्व धारक कम्पनियों (यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल अपनी सहायक कम्पनियों की स्थिति में) के माध्यम से धन का निवेश किया गया है। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के इन 11 उपक्रमों में शेयरधारकों की निधि एवं आरओई का विवरण तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जन (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2016-17	-11,143.21	-46,526.84	-
2017-18	-13,460.89	-51,917.06	-
2018-19	-14,398.96	-45,601.26	-

स्रोत: 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दृष्टिगत होता है कि, मार्च 2019 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान, सम्पूर्ण अवधि में शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक होने के कारण आरओई की गणना नहीं की जा सकी जो कि यह इंगित करता है कि इन पीएसयूज के दायित्व सम्पत्ति से अधिक है एवं अंशपूँजी पर प्रतिफल देने के स्थान पर, संचित हानियों ने सम्पूर्ण अंशपूँजी को समाप्त कर दिया।

²⁸ पूँजी पर प्रतिफल = (करों एवं अधिमान लाभांश के पश्चात शुद्ध आय ÷ पूँजी)* 100 जहाँ पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभदायकता एवं इसके पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी²⁹ द्वारा विभाजित करके आरओसीई की गणना की जाती है। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के आरओसीई का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष के दौरान	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत)
2016-17	-7,749.34	13,442.86	-57.65
2017-18	-8,360.97	24,569.59	-34.03
2018-19	-7,955.17	33,841.62	-23.51

स्रोत: 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े।

2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की आरओसीई (-) 23.51 प्रतिशत से (-) 57.65 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.17 2016-17 से 2018-19 के दौरान कम्पनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया जिससे कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋणों के भुगतान करने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्यांकन हो सके। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.18 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्ययों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज पर व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। पीएसयूज के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण, जिसमें 2016-17 से 2018-19 के अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज, जिनमें दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों पर ब्याज की देयता थी	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2016-17	3,200.22	822.67	8	2	6
2017-18	5,064.12	-241.87	8	2	6
2018-19	6,405.53	161.08	8	1	7

²⁹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय।

यह देखा गया कि आठ पीएसयूज जिनमें 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण की देयता थी, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान दो पीएसयूज³⁰ एवं 2018-19 के दौरान एक पीएसयू³¹ में एक से अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात था, जबकि शेष छः पीएसयूज में ऋणात्मक/एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयूज इस अवधि में ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण

1.19 दो पीएसयूज में जीओयूपी द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋणों पर 31 मार्च 2019 को ₹ 247.93 करोड़ के ब्याज का बकाया था। बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय के लिए बकाया	एक से तीन वर्ष के लिए बकाया	तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया
यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड	214.77	10.59	21.19	182.99
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ³²	33.16	33.16	0.00	0.00
योग	247.93	43.75	21.19	182.99

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.20 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय पुनर्तुर्धान के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारम्भ की (20 नवंबर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय पुनर्तुर्धान के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे।

संचालन क्षमता में उन्नति के लिए योजना

1.20.1 प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियां जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों का उन्नयन या बदलना, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से माँग पक्ष का प्रबन्धन (डीएसएम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, व्यापक संसूचना, बिजली की चोरी रोकने के लिए शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी) अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहाँ संचालन क्षमता में सुधार के लिए एटीएण्डसी हानियों को कम किया गया है आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे कि फीडर एवं डीटी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना

³⁰ केस्को एवं यूपीआरवीयूएनएल।

³¹ यूपीआरवीयूएनएल।

³² बकाया ब्याज यूपीपीसीएल द्वारा अपने पाँच सहायक डिस्कॉम्स की ओर से 2018-19 के दौरान प्राप्त किये गये जीओयूपी के ऋण पर था।

आदि। संकेतकों के माध्यम से परिचालन सुधारों के परिणामों को मापा जाना था जैसे कि औसत आपूर्ति लागत एवं औसत राजस्व वसूली के बीच के अन्तर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना, एमओपी एवं राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिए गए हानि न्यूनन प्रक्षेपपथ के अनुसार एटीएण्डसी हानि को वर्ष 2018-19 में 15 प्रतिशत तक कम करना। इसके अतिरिक्त, एमओपी, भारत सरकार, जीओयूपी एवं यूपीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ (30 जनवरी 2016) जिसमें एटीएण्डसी हानियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कम करते हुये 14.86 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वित्तीय पुनर्त्थान के लिए योजना

1.20.2 30 सितंबर 2015 तक के डिस्कॉम्स के ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण प्रतिभागी राज्यों द्वारा दो वर्षों में करना था अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय पुनर्त्थान के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधानित था कि:

- राज्य "गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एसएलआर) ऋणपत्र" जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाले धन को डिस्कॉम्स में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिससे वे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का निस्तारण करेंगे। जारी किए गए ऋणपत्रों की 10-15 वर्ष की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 5 वर्षों तक स्थगन अवधि होगी।
- डिस्कॉम्स के ऋण पहले देय ऋणों की प्राथमिकता में अधिग्रहित किये जायेंगे, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋणों का अधिग्रहण किया जाएगा।
- 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को हस्तान्तरण, एक अनुदान के रूप में होगा जो कि डिस्कॉम्स को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तान्तरण के साथ तीन वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.20.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गयी है।

अ. परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत राज्य के पाँच डिस्कॉम्स से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियों को तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: मार्च 2020 तक परिचालन निष्पादन की मापदण्डवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

उदय योजना का मापदण्ड	उदय योजना के तहत लक्ष्य	उदय योजना के तहत स्थिति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में) (30 सितंबर 2016 तक 100 प्रतिशत)	16,072	20,559	127.92
डीटीज् की मीटरिंग (संख्या में) (30 सितंबर 2017 तक 100 प्रतिशत)	3,82,460	1,66,030	43.41
फीडर पृथक्कीकरण (संख्या में) ³³	10,564	3,484	32.98
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में) ³³	9,722	30,162	310.24
असंयोजित परिवार को विद्युत (संख्या लाख में) ³³	184.56	83.06	45.00

³³ उदय एमओयू में उक्त मापदण्डों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। 2018-19 तक के लक्ष्यों को उनके सापेक्ष दर्शाया गया है।

उदय योजना का मापदण्ड	उदय योजना के तहत लक्ष्य	उदय योजना के तहत स्थिति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
200 से ऊपर और 500 केडब्ल्यूएच तक की स्मार्ट मीटरिंग (संख्या लाख में)	23.94	10.07	42.06
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाख में) ³³	264.53	269.42	101.85
एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत में) (31 मार्च 2020 तक)	14.86	30.30	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
एसीएस – एआरआर में अन्तर ³⁴ (₹ प्रति यूनिट)	-0.05	0.07	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स के प्रदर्शन, डीटीज पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग, एटीएण्डसी हानियों एवं एसीएस – एआरआर में अन्तर के क्षेत्रों में संतोषजनक नहीं थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सभी पाँच डिस्कॉम्स उनके वर्ष 2018-19 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर ₹ 6,031.89 करोड़ की कुल हानियों को उठाते हुए मुश्किल में थे। हालाँकि, एमओपी, जीओआई के उदय डैशबोर्ड पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, उदय योजना के तहत 30 जून 2020 तक राज्य डिस्कॉम्स द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सभी राज्यों में द्वितीय स्थान³⁵ पर रहा।

ब. वित्तीय पुनर्त्थान का कार्यान्वयन

1.20.4 एमओपी, जीओयूपी एवं डिस्कॉम्स की ओर से यूपीपीसीएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (30 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं एमओयू के प्रावधानों के आधार पर, डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण (₹ 53,935.06 करोड़) में से, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ के अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल ऋण का 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान अधिग्रहण किया, जैसा कि तालिका 1.15 में उल्लेख किया गया।

तालिका 1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजी निवेश	अनुदान	ऋण	कुल
2015-16	6,083.12	12,166.24	6,083.12	24,332.48
2016-17	3,700.32	7,400.64	3,700.32	14,801.28
कुल	9,783.44	19,566.88	9,783.44	39,133.76

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इसके अलावा, जीओयूपी ने वर्ष 2017-18 में ₹ 669 करोड़ (2016-17 के हानि का 5 प्रतिशत) एवं वर्ष 2018-19 में ₹ 1,417 करोड़ (2017-18 के हानि का 10 प्रतिशत) की सब्सिडी प्रदान की। इसके अलावा, भविष्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाने वाली ₹ 4,267 करोड़ की सब्सिडी (2018-19 के हानि का 25 प्रतिशत) के सापेक्ष, ₹ 1,485 करोड़ की धनराशि वर्ष 2019-20 में दी गई एवं शेष धनराशि ₹ 2,782 करोड़ के सापेक्ष 2020-21 के बजट में ₹ 2,200 करोड़ का प्रावधान किया गया एवं शेष धनराशि ₹ 582 करोड़ को अनुपूरक बजट में दिया जायेगा।

³⁴ आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) में अन्तर।

³⁵ 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उदय की वेबसाइट पर दर्शायी गयी राज्यों की नवीनतम तिमाही रैंकिंग के अनुसार।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.21 ऊर्जा क्षेत्र के 14 उपक्रमों³⁶ ने 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान अपने 28 लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया। इनमें से 23 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सीएजी द्वारा सम्पादित की गयी अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। 2016-19 के लेखाओं के लिए, सीएजी एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के कुल मूल्य का विवरण तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	2	4.21	1	3.99	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	0.91
3.	हानि में वृद्धि	5	292.89	4	956.51	8	451.44
4.	हानि में कमी	2	13.37	1	2.97	5	49.02
5.	सारवान तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	693.34	3	9.65	1	0.15
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	6	256.52	4	37.47	10	1,602.56

स्रोत: सरकारी पीएसयूज के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 19 लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की थी। पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन ठीक नहीं रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 70 दृष्टान्त दिये।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

1.22 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन के भाग-I के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को ऊर्जा विभाग, जीओयूपी के प्रमुख सचिव को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का उत्तर, राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है एवं इसे इस प्रतिवेदन के आगामी अध्याय-II के सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रस्तर में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 3.07 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों को निर्धारित प्रारूपों में इन प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से दो से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना,

³⁶ एक पीएसयू अर्थात् यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड ने 2013-14 के बाद अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितंबर 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अर्न्तगत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज) एवं प्रस्तर		पीएज/प्रस्तरों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011-12	16 सितंबर 2013	1	8	1	2
2012-13	20 जून 2014	0	8	0	1
2013-14	17 अगस्त 2015	1	6	1	3
2014-15	8 मार्च 2016	4	8	0	4
2015-16	18 मई 2017	2	5	1	1
2016-17	7 फरवरी 2019	1	4	1	4
2017-18	21 अगस्त 2020	1	4	1	4
कुल		10	43	5	19

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग के सम्बंध में 43 प्रस्तरों एवं 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 19 प्रस्तरों एवं पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं (सितंबर 2020)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.24 30 सितंबर 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों पर कोपू द्वारा पूर्ण की गयी चर्चा की स्थिति तालिका 1.18 में दी गई है।

तालिका 1.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितंबर 2020 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएज)/प्रस्तरों की संख्याँ			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		चर्चा किये गये पीएज एवं प्रस्तर	
	पीएज	प्रस्तर	पीएज	प्रस्तर
1982-83 से 2010-11	62	439	25	216
2011-12	1	8	0	3
2012-13	0	8	0	2
2013-14	1	6	0	1
2014-15	4	8	1	3
2015-16	2	5	0	2
2016-17	1	4	0	0
2017-18	1	4	0	0
कुल	72	482	26	227

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन

1.25 कोपू की आन्तरिक कार्य नियमावली में प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन को, केवल कोपू द्वारा एटीएन की चर्चा के समय विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, एटीएन की स्थिति पर यहां चर्चा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

1.26 लेखापरीक्षा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में तीन मामलों में इंगित की गयी ₹ 20.40 करोड़ की वसूलियों को स्वीकार किया गया। इसके सापेक्ष, तालिका 1.19 में दिए गए विवरण के अनुसार 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान 142.20 प्रतिशत (तीन मामलों में ₹ 29.01 करोड़) की वसूली की गयी।

तालिका 1.19: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत/वसूल की गयी

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा प्रेक्षण की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी एवं विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2020 के दौरान की गयी वसूलियाँ	
			मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)
ऊर्जा विभाग	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	त्रुटिपूर्ण टैरिफ लागू करने के कारण राजस्व की हानि	1	5.80	1	5.80
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	जुर्माना की वसूली नहीं हुयी	1	11.72	1	20.19
	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	सुपरविजन शुल्क कम लिया गया	1	2.88	1	3.02
कुल			3	20.40	3	29.01

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

अध्याय–II

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित
लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय—II

2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

ऊर्जा विभाग

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

2.1 पारेषण लाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कम्पनी द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक नहीं था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत एवं उधार लिए गए धन पर ब्याज पर ₹ 2.08 करोड़ की हानि के अतिरिक्त क्रय की गयी सामग्री पर ₹ 4.21 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हुयी।

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की पारेषण कार्य अनुमोदन समिति¹ (टीडब्ल्यूएसी) ने 132 केवी उपकेन्द्र कुन्डेसर-गाजीपुर को वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन 220 केवी उपकेन्द्र भदौरा, गाजीपुर से निकलने वाली एक नवीन 25 किमी. की 132 केवी सिंगल सर्किट (एससी) भदौरा-कुन्डेसर पारेषण लाइन (लाइन) के ₹ 8.34 करोड़ के प्राक्कलित लागत पर निर्माण हेतु अनुमोदन दिया (17 मई 2013)। यह विद्युत पारेषण खण्ड-II वाराणसी (खण्ड) द्वारा प्रेषित किये गये प्रारम्भिक प्राक्कलन पर आधारित था। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर ₹ 5.73 करोड़ के अनुबंधित मूल्य पर एक ठेकेदार² को लाइन के निर्माण का कार्य (कण्डक्टर एवं अर्थवायर की आपूर्ति के अतिरिक्त) दिया (जुलाई 2015) एवं ठेकेदार के साथ अगस्त 2015 में अनुबंध निष्पादित किया।

अनुबंध की तकनीकी शर्तों (टीसीसी) के उपबंध 1.2.3.1 में वर्णित था कि निर्माण के लिए आदेश देने पर, ठेकेदार प्रस्तावित पारेषण लाइन के मार्ग का एक विस्तृत सर्वेक्षण करेगा एवं प्रत्येक प्रस्तावित संरचना की स्थिति, स्पैन की लंबाई एवं संरचना के प्रकार को दर्शाता हुआ आरेख तैयार एवं प्रस्तुत करेगा। आगे, टीसीसी के उपबंध 1.2.7 में वर्णित था कि विस्तृत सर्वेक्षण की जांच के लिए एक जांच सर्वेक्षण किया जाएगा एवं उसके पश्चात, ठेकेदार एक अन्तिम प्रोफाइल शीट एवं टॉवर अनुसूची को पर्यवेक्षक अभियंता के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। टॉवर अनुसूची सभी टॉवरों की स्थिति, टॉवरों के प्रकार, प्रत्येक टॉवर के लिए नींव का प्रकार एवं नदी को पार करने वाले स्पैन आदि को दिखायेगा। कार्य को किसी भी जगह में शुरू नहीं होना चाहिये जब तक कि पर्यवेक्षक अभियंता द्वारा अनुसूची का अनुमोदन न दिया जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2018) कि पारेषण लाइन के निर्माण के कार्य में गंगा नदी का पारण स्थान शामिल था। हालाँकि, खण्ड द्वारा तैयार किये गये एवं टीडब्ल्यूएसी द्वारा स्वीकृत किये गये प्राक्कलन में नदी के पारण स्थान वाले टॉवरों के लिए आवश्यक विशेष नींव की लागत को सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी टॉवरों की टॉवर अनुसूची के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया

¹ टीडब्ल्यूएसी में प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (आपरेशन), निदेशक (कार्य एवं परियोजना), निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन) एवं अधीक्षण अभियंता (पारेषण नियोजन एवं ऊर्जा प्रणाली अध्ययन) शामिल हैं।

² मै0 ईएमसी लिमिटेड।

(3 अक्टूबर 2015)। ठेकेदार ने कुल स्थापित होने वाले 63 टॉवरों में से अक्टूबर 2017 तक 40 टॉवरों को स्थापित कर दिया था, जिसके सापेक्ष कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 5.22 करोड़³ का भुगतान कर दिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने फसल क्षतिपूर्ति पर भी ₹ 0.06 करोड़ का व्यय किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, वाराणसी (ईसीटीडी) ने नदी के पारण स्थान वाले टॉवरों के लिए आवश्यक विशेष नींव के लिए ₹ 30.32 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्तुत किया (मई 2007)। लागत-लाभ विश्लेषण के पश्चात, टीडब्ल्यूएसी ने नदी पारण से सम्बंधित कार्य पर ₹ 30.32 करोड़ की अतिरिक्त वृहद लागत से बचने के लिए, 132 केवी उपकेन्द्र कुण्डेसर, को वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए एक नई 132 केवी एससी कासिमाबाद-कुण्डेसर लाइन का ₹ 10.40 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर निर्माण करने का निर्णय लिया (फरवरी 2018)। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने भदौरा-कुण्डेसर लाइन के पहले से स्थापित किये गए 40 टॉवरों को विघटित करने का निर्णय लिया (मार्च 2018) लेकिन 31 जुलाई 2020 तक उनको विघटित नहीं किया गया।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा ठीक से नियोजन नहीं करने एवं अनुबंध के अधीन आवश्यक सभी टॉवरों की टॉवर अनुसूची के अनुमोदन के बिना कार्य को प्रारम्भ करने के कारण कार्य पर किया गया ₹ 1.07 करोड़⁴ की धनराशि का व्यय निष्फल हो गया एवं कम्पनी को हानि हुई। इसके अतिरिक्त, टॉवरों की स्थापना लिए सामग्री के क्रय पर ठेकेदार को किये गये ₹ 4.21 करोड़ का भुगतान अवरुद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि कम्पनी ने रूरल इलेक्ट्रिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से धन उधार लिया था, इससे 31 मार्च 2019 तक परित्यक्त लाइन के कार्य पर ₹ 1.01 करोड़ के ब्याज का भार इसे वहन करना पड़ा।

शासन एवं प्रबंधन ने भदौरा-कुण्डेसर लाइन के प्राक्कलन तैयार करने में फील्ड-ऑफिसर की ओर से कमियों को स्वीकार किया (मई/जून 2020) एवं बताया कि कमियों की पृथक रूप से जांच की जा रही है एवं उचित कार्यवाही की जाएगी। उत्तर कम्पनी की ओर से अनुचित नियोजन की पुष्टि करता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई/धनराशि अवरुद्ध रही।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

2.2 ठेकेदार को अनुचित लाभ

ठेकेदार से ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली समयबद्ध तरीके से नहीं करने के कारण कम्पनी को ₹ 99.27 लाख की हानि हुयी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशा-निर्देश (अप्रैल 2007) यह प्रावधान करते हैं कि ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम (एमए) की वसूली कार्य की प्रगति से सम्बद्ध न होकर समय आधारित होनी चाहिए। एमए की धनराशि, ब्याज यदि कोई लिया जाना हो, इसकी वसूली की समय सारणी एवं कोई अन्य विवरण निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए। यह आगे बताता है कि विलम्बित वसूलियों पर लगाए जाने वाले ब्याज का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक कम्पनी) द्वारा मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली पर प्रेक्षण प्रतिवेदित किया गया था। इसी

³ निर्माण की लागत के लिए ₹ 1.01 करोड़ एवं सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 4.21 करोड़।

⁴ निर्माण की लागत के लिए ₹ 1.01 करोड़ एवं फसल क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 0.06 करोड़।

प्रकार के प्रकरण यूपीपीसीएल की दूसरी सहायक कम्पनी यथा पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पुनः पायी गयी है।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड⁵ (यूपीपीसीएल) ने अपनी बोर्ड बैठक (31 जुलाई 2013) में संकल्पित किया कि आर-एपीडीआरपी⁶ पार्ट बी योजना के तहत 02 मई 2013 से पहले निष्पादित किए गए अनुबन्धों के सम्बंध में एमए पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, निविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एमए की वसूली की जाएगी। आर-एपीडीआरपी पार्ट बी योजना के तहत 02 मई 2013 के पश्चात निष्पादित किए गए निविदाओं के सम्बंध में, एमए पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा एवं एमए को एक वर्ष के भीतर किश्तों में वसूल किया जायेगा। दोनों ही दशाओं में यथा 02 मई 2013 के पूर्व एवं पश्चात के निविदाओं में, एमए की वसूली निर्धारित समय अवधि में होनी थी।

पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने आर-एपीडीआरपी पार्ट बी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं भदोही शहरों के उपभोक्ताओं की आपूर्ति में सुधार करने एवं एटीएण्डसी⁷ हानियों को कम करने के लिये वितरण प्रणाली की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढीकरण, प्रणाली सुधार के निर्माण कार्य एवं आपूर्ति के लिए एक ठेकेदार⁸ से टर्नकी आधार पर ₹ 66.82 करोड़ के कुल लागत पर (मिर्जापुर के लिये ₹ 48.24 करोड़ एवं भदोही के लिये ₹ 18.58 करोड़) दो अनुबन्ध निष्पादित किये।

आशय पत्र (एलओआई) निर्गत (15 जनवरी 2013) होने के 15 माह में कार्य की पूर्णता की निर्धारित तिथि 15 अप्रैल 2014 थी। कम्पनी के प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के बाद अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, मिर्जापुर (नोडल अधिकारी) द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाना था। निविदा एवं अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाना था। हालाँकि, इसमें न तो एमए की वसूली की अवधि एवं तरीका वर्णित था और न ही एमए की विलम्बित वसूली की स्थिति में ब्याज की दर वर्णित थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2019) कि बोर्ड के जुलाई 2013 के समुचित निर्णय के बाद ₹ 6.68 करोड़ का ब्याज मुक्त एमए ठेकेदार को दिया गया (अक्टूबर 2013)। चूँकि बोर्ड के निर्णय (31 जुलाई 2013) के अनुपालन में एमए की वसूली निर्धारित समय अवधि में की जानी थी एवं एमए के वसूली की अवधि एवं एमए की विलम्बित वसूली की स्थिति में ब्याज लिये जाने के बारे में निविदा एवं अनुबन्ध में वर्णित नहीं किया गया, यूपीपीसीएल के बोर्ड के निर्णय की तिथि के पश्चात, कम्पनी द्वारा दिये गये एमए को इसके भुगतान के एक वर्ष के भीतर वसूली एवं बकाया एमए की शेष धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

हालाँकि, नोडल अधिकारी एमए की भुगतान करने की तिथि (अक्टूबर 2013) से एक वर्ष के भीतर एमए की वसूली करने में विफल रहें। नोडल अधिकारी ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से एमए के सापेक्ष बिलों के मूल्य का केवल 10 प्रतिशत की कटौती की। इस प्रकार, एमए के सापेक्ष एक वर्ष में अर्थात् सितंबर 2014 तक केवल ₹ 2.71 करोड़ की वसूली की जा सकी। एमए की किस्तों में वसूली की प्रक्रिया फरवरी 2018 में पूरी हुई जोकि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के सापेक्ष चार वर्ष और पाँच माह थी। इसके कारण, कम्पनी को अक्टूबर 2014 से फरवरी 2018 तक की विलम्बित वसूली अवधि के दौरान एमए की बकाया धनराशि पर ₹ 99.27 लाख (परिशिष्ट-2.1) की ब्याज हानि हुई।

⁵ उत्तर प्रदेश में पॉवर डिस्कॉम्स की स्वामित्व धारक कम्पनी।

⁶ पुर्नगठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

⁷ समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक।

⁸ मै0 कैपिटल पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

सीएजी के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद वर्तमान प्रकरण समान प्रकृति की अनियमितता की निरंतरता का सूचक है।

जवाब में, प्रबंधन ने प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (मई 2020) कि टेकेदार से ब्याज की धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है। आगे यह भी कहा कि ब्याज की धनराशि की वसूली करने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

तथ्य यह है कि यूपीपीसीएल बोर्ड के निर्णय का समय पर पालन नहीं करने के कारण धनराशि की वसूली अभी तक की जानी है (जून 2020)।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

भाग-II

**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)**

अध्याय—III

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

भाग—II

अध्याय—III

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

परिचय

3.1 31 मार्च 2019 को 99 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। ये राज्य पीएसयूज 1954-55 एवं 2018-19 की अवधि के दौरान निगमित हुये थे एवं इनमें 93 सरकारी कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम सम्मिलित थे यथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम। आगे इन सरकारी कम्पनियों में 43 अकार्यरत कम्पनियां तथा अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक कम्पनियां¹ सम्मिलित थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान सात कम्पनियाँ² बढ़ाई गयीं।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त इन पीएसयूज की प्रकृति तालिका 3.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 3.1: उत्तर प्रदेश में पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की प्रकृति

पीएसयूज की प्रकृति	कुल संख्या	इस अध्याय में शामिल किए गए पीएसयूज की संख्या			योग	इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज की संख्या
		2018-19 तक के लेखें	तक के लेखें			
			2017-18	2016-17		
सरकारी कम्पनियां	82	3	7	5	15	67
सांविधिक निगम	6	1	2	2	5	1
कुल कम्पनियां/निगम	88	4	9	7	20	68
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	11	3	-	1	4	7
योग	99	7	9	8	24	75

24 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को इस अध्याय में शामिल किया गया है जैसा कि परिशिष्ट-3.1 में उल्लिखित है। इसमें 75 पीएसयूज (सरकार नियंत्रित सात अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया हैं या वे अकार्यरत/परिसमापन में हैं या जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या नियत नहीं थे जैसा कि परिशिष्ट-3.2 में उल्लिखित है।

राज्य सरकार समय-समय पर पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 99 राज्य पीएसयूज में से, राज्य सरकार ने 70 राज्य पीएसयूज (68 पीएसयूज में पूँजी एवं दो पीएसयूज³ में केवल ऋण) में धनराशि का निवेश किया है। राज्य सरकार ने 31 पीएसयूज में सीधे कोई भी पूँजी निवेश नहीं किया है, जिसमें 15 सहायक कम्पनियां शामिल हैं, जिनमें पूँजी का निवेश उनकी स्वामित्व धारक कम्पनियों⁴ के माध्यम से किया गया है, तीन कम्पनियाँ⁵

¹ परिशिष्ट-3.1 की क्रम संख्या 14 एवं 15 तथा परिशिष्ट-3.2 की क्रम संख्या 16, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 67 एवं 69 से 74।

² (i) अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड, (iii) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, (iv) कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (v) बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (vi) प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं (vii) वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

³ उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड।

⁴ उत्तर प्रदेश सरकार ने छः स्वामित्व धारक कम्पनियों (परिशिष्ट-3.1 की क्रम संख्या 16 तथा परिशिष्ट-3.2 की क्रम संख्या 1, 12, 17, 34 एवं 41) को उनकी सहायक कम्पनियों के लिए पूँजी दी।

⁵ परिशिष्ट-3.1 की क्रम संख्या 3 एवं परिशिष्ट-3.2 की क्रम संख्या 63 एवं 75।

ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक सरकारी कम्पनियों ने संयुक्त रूप से पूँजी का निवेश किया है, आठ स्मार्ट सिटी कम्पनियों⁶ एवं दो कम्पनियों⁷ जिनमें पूँजी का निवेश सरकारी इकाईयों और सहकारी संस्थानों ने किया था तथा तीन सांविधिक निगम⁸ जिनमें राज्य सरकार की कोई पूँजी नहीं थी।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

3.2 इस अध्याय में शामिल किए गए 24 पीएसयूज के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयूज की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाली चार वर्षों की अवधि में इन 24 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर ⁹	7,316	8,584	9,453	9,617
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	17.33	10.13	1.73
उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	-	9.78	10.25	12.07
टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.64	0.69	0.69	0.62

स्रोत: पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसडीपी के दिनांक 01 अगस्त 2019 के आँकड़ों के आधार पर संकलित।

2016-17 से 2018-19 की अवधि में इन 24 पीएसयूज के टर्नओवर में बढ़त की प्रवृत्ति रही है। 2016-19 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 1.73 प्रतिशत एवं 17.33 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में वृद्धि 9.78 प्रतिशत एवं 12.07 प्रतिशत के मध्य रही। चक्रवृद्धित वार्षिक विकास विभिन्न समय अवधि के दौरान विकास दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 10.69 प्रतिशत के चक्रवृद्धित वार्षिक विकास¹⁰ के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 9.54 प्रतिशत का कमतर चक्रवृद्धित वार्षिक विकास दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिसेस्दारी 2015-16 में 0.64 प्रतिशत से सीमान्त रूप से घटकर 2018-19 में 0.62 प्रतिशत हो गई।

राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

3.3 31 मार्च 2019 तक, इस अध्याय में सम्मिलित 24 राज्य पीएसयूज में पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण परिशिष्ट-3.3 में है।

इस अध्याय में शामिल पीएसयूज निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते हैं:

⁶ परिशिष्ट-3.1 की क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 तथा परिशिष्ट-3.2 की क्रम संख्या 27 से 31।

⁷ उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड एवं नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड।

⁸ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम।

⁹ 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

¹⁰ चक्रवृद्धित वार्षिक विकास दर $[\{(2018-19 \text{ की राशि} / 2015-16 \text{ की राशि})^{(1/3 \text{ वर्ष})} - 1\} * 100]$ ।

- (i) पीएसयूज जो खुली बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकारी पीएसयूज): उत्तर प्रदेश में, 24 क्रियाशील पीएसयूज में से 11 पीएसयूज¹¹ इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके पास एकाधिकारी/अल्पाधिकारी प्रकृति का परिचालन है यानी इनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।
- (ii) निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज: इस श्रेणी में वे पीएसयूज सम्मिलित हैं जिनकी प्रमुख आय निश्चित आय स्रोतों से आती है जैसे सरकार द्वारा दिये गये सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि। 11 पीएसयूज¹² इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।
- (iii) प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज: इस श्रेणी में दो पीएसयूज¹³ सम्मिलित हैं, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं।

3.4 31 मार्च 2019 को इन राज्य पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	पीएसयूज की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)								
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				महायोग
		जीओ यूपी	जीओ आई	अन्य ¹⁴	योग	जीओयूपी	जीओ आई	अन्य	योग	
इस अध्याय में सम्मिलित में किये गये पीएसयूज										
एकाधिकारी क्षेत्र वाले पीएसयूज	11	1,911.74	1,946.63	1,098.80	4,957.17	1,392.79	412.00	4,632.07	6,436.86	11,394.03
निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज	11	101.77	1.00	7.20	109.97	117.48	0.00	9.41	126.89	236.86
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयूज	2	203.82	0.00	25.00	228.82	1263.75	4.10	0.00	1,267.85	1,496.67
इस अध्याय में शामिल पीएसयूज का योग	24	2,217.33	1,947.63	1,131.00	5,295.96	2,774.02	416.10	4,641.48	7,831.60	13,127.56
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये पीएसयूज	75	2,597.98	319.58	400.48	3,318.04	1,640.41	1.10	4,461.95	6,103.46	9,421.50
महायोग	99	4,815.31	2,267.21	1,531.48	8,614.00	4,414.43	417.20	9,103.43	13,935.06	22,549.06

स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी/ऋण के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

इस अध्याय में शामिल किए गए 24 पीएसयूज में 31 मार्च 2019 तक, कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का अंकित मूल्य¹⁵ ₹ 13,127.56 करोड़ था। निवेश में पूँजी 40.34 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 59.66 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 35.42 प्रतिशत (₹ 2,774.02 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 64.58 प्रतिशत (₹ 5,057.58 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

निवेश 72.97 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 के ₹ 7,589.30 करोड़ से 2018-19 में ₹ 13,127.56 करोड़ हो गया। निवेश में बढ़ोत्तरी मुख्यतः 2016-17 से 2018-19 के दौरान पूँजी और दीर्घकालिक ऋणों में क्रमशः ₹ 2,185.15 करोड़ एवं ₹ 3,353.11 करोड़ की बढ़ोत्तरी की वजह से थी।

¹¹ परिशिष्ट-3.1 का क्रम संख्या 1 से 11 तक।

¹² परिशिष्ट-3.1 का क्रम संख्या 12 से 22 तक।

¹³ परिशिष्ट-3.1 का क्रम संख्या 23 एवं 24 तक।

¹⁴ अन्य में स्वामित्व धारक कम्पनी, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि द्वारा निवेश शामिल है।

¹⁵ पूँजी शेयरों के प्रति अभिदाताओं द्वारा भुगतान की गयी शेयरों की मूल लागत।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

3.5 वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना या निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

3.6 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज के सम्बंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय सहायता का सारांश तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: वर्ष के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के बारे में विवरण


विवरण ¹⁶	2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की सहायता (i)	5	506.71	3	136.26	3	55.60
दिये गये ऋण (ii)	10	736.42	6	372.40	8	990.49
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	11	2,446.44	10	809.72	15	1,721.09
कुल सहायता (i+ii+iii)¹⁷	20	3,689.57	18	1,318.38	25	2,767.18
ऋण अपलिखित/अनुदान में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	1	6.83	-	-	-	-
बकाया प्रत्याभूतियाँ	1	52.65	4	154.62	6	3,518.37
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-	-	-	-	-

स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी में बजटीय सहायता का विवरण चार्ट 3.1 में दिया गया है।

चार्ट 3.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता

(₹ करोड़ में)



¹⁶ यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

¹⁷ ये आँकड़ें उन पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने बजट से एक या एक से अधिक मदों में राशि प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,318.38 करोड़ एवं ₹ 3,689.57 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 2,767.18 करोड़ की बजटीय सहायता में पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 55.60 करोड़, ₹ 990.49 करोड़ एवं ₹ 1,721.09 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 1,721.09 करोड़ के अनुदान में से ₹ 912.92 करोड़ परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रदान किया गया था।

पीएसयूज को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, जीओयूपी प्रत्याभूति देती है, जिसके लिए प्रत्याभूति कमीशन लेती है जो कि जीओयूपी ने ऋणी के अनुसार 0.25 प्रतिशत से 01 प्रतिशत तक तय किया है (15 सितंबर 2000)। 2018-19 में बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 3,518.37 करोड़ थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान पीएसयूज द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

3.7 पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के सम्बंध में सभी राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आँकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2019 की स्थिति का उल्लेख **परिशिष्ट-3.4** में किया गया है तथा **तालिका 3.5** में सारांकित है।

तालिका 3.5: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियाँ

मद के सम्बंध में बकाया	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	4,648.75	5,807.25	-1,158.50
ऋण	4,412.73	3,047.30	1,365.43
प्रत्याभूतियाँ	1,138.37	664.75	473.62

स्रोत: पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं, पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूतियों के लिए अनुमोदन/जारी आदेश एवं पीएसयूज से प्राप्त जानकारी एवं वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित।

आँकड़ों में अन्तर गत कई वर्षों से मौजूद है।

अन्तर के समाधान हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम, दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यूपी. लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (**परिशिष्ट-3.4** के क्रमांक 5, 11, 17 एवं 19) में मुख्य रूप से अन्तर पाया गया।

इसलिए, लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि राज्य सरकार और सम्बंधित पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.8 कुल 99 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 56 कार्यरत पीएसयूज यथा 50 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2019 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत थे। लेखाओं की तैयारी के लिए राज्य पीएसयूज द्वारा समय सीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नवत दर्शायी गयी है।

राज्य पीएसयूज द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

3.8.1 सभी पीएसयूज द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत किए जाने थे। हालाँकि, 50 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल छः सरकारी कम्पनियों¹⁸ (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखे सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2019 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 44 कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। छः सांविधिक निगमों में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश अवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम और उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। सभी छः सांविधिक निगमों में से केवल एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) ने वर्ष 2018-19 के लिए लेखे 31 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत किए।

31 दिसंबर 2019 को पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियां/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां/सांविधिक निगम				
	सरकारी कम्पनियां	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां	सांविधिक निगम	योग	
31.03.2019 को सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में कुल पीएसयूज की संख्या	82	11	6	99	
घटाया: नए पीएसयूज जिनके 2018-19 के लेखे नियत नहीं थे	-	-	-	-	
घटाया: पीएसयूज जो परिसमापन के अन्तर्गत हैं जिनके लेखे 2018-19 के लिए नियत नहीं थे	11	01	-	12	
2018-19 के नियत लेखाओं के लिए पीएसयूज की संख्या	71	10	6	87	
31 दिसंबर 2019 तक वर्ष 2018-19 के लेखों को सीएजी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने वाले पीएसयूज की संख्या	4	3	1	8	
पीएसयूज ¹⁹ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	76	8	5	89	
बकाया लेखाओं की संख्या	803	46	12	861	
बकाया का ब्यौरा	(i) परिसमापन में	94	8	-	102
	(ii) अकार्यरत	527	24	-	551
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	39	12	-	51
	(iv) अन्य	143	2	12	157
'अन्य श्रेणी' के विरुद्ध बकाया का आयुवार विश्लेषण	एक वर्ष (2018-19)	7	-	2	9
	दो वर्ष (2017-18 एवं 2018-19)	10	2	4	16
	तीन वर्ष या ज्यादा	126	-	6	132

¹⁸ परिशिष्ट-3.1 की क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6 एवं 21 जोकि (i) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, (ii) नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, (iii) अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, (iv) आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (v) अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं (vi) उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद।

¹⁹ इसमें 10 पीएसयूज, जिनके लेखे परिसमापन किये जाने की तिथि तक बकाया थे, शामिल हैं।

89 राज्य पीएसयूज जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिये गये थे, में से 27 पीएसयूज में जीओयूपी ने ₹ 3,685.90 करोड़ (पूँजी: ₹ 48.84 करोड़, ऋण: ₹ 1,161.24 करोड़ एव अनुदान: ₹ 2,475.82 करोड़) निवेश किया था जबकि शेष 62 पीएसयूज में लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान पीएसयूवार राज्य सरकार द्वारा निवेश का विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अंगीकृत किये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व उनके प्रशासनिक विभागों पर है। सम्बंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

3.9 लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब, कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सम्बंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में परिणित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये इन 89 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की राज्य की जीडीपी में वास्तविक योगदान एवं बकाया अवधि के दौरान अर्जित लाभ/हानि सहित इनकी लाभप्रदता का आंकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में इन पीएसयूज में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गये निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये हैं एवं निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन में किया गया जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया था।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखाओं के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। कम्पनियों द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये तथा लेखाओं के बकाये की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिये।

अकार्यरत राज्य पीएसयूज का समापन

3.10 31 मार्च 2019 तक 43 राज्य पीएसयूज अकार्यरत कम्पनियां थीं, जिनमें कुल निवेश ₹ 1,771.82 करोड़ जिनमें पूँजी के रूप में (₹ 1,049.30 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 722.52 करोड़) था। प्रमुख निवेश उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 286.75 करोड़), नंदगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 232.18 करोड़) में था। अकार्यरत पीएसयूज में सम्मिलित 12 पीएसयूज परिसमापन के अन्तर्गत थे।

इन 31 अकार्यरत पीएसयूज के सम्बंध में सरकार को इनके समापन हेतु उचित निर्णय लेना चाहिये।

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

3.11 छः सांविधिक निगमों में से केवल एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने लेखे 31 दिसंबर 2019 तक प्रस्तुत किये थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कहलाते हैं। सम्बंधित अधिनियमों जिनके अन्तर्गत इन निगमों का संचालन होता है, के प्रावधानों के अनुसार एसएआर को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि विधायी प्रावधानों जिनके अन्तर्गत

एसएआर को अनिवार्य रूप से राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, के बावजूद इन निगमों के एसएआर एक से चार वर्षों तक राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	निगम का नाम	एसएआर को राज्य विधानमंडल में रखने के प्रावधान हेतु अधिनियम की प्रासंगिक धारा	वर्ष जहाँ तक के एसएआर राज्य विधानमंडल में रखी गई	एसएआर के प्रस्तुतीकरण की तिथि	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखी गई	
					लेखाओं का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1952 की धारा 33 (4)	2012-13	12 फरवरी 2016	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2 सितम्बर 2015 24 मार्च 2017 18 जून 2019 23 सितंबर 2019
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1952 की धारा 37 (7)	2011-12	19 नवम्बर 2014	2012-13	12 नवम्बर 2015
3	उत्तर प्रदेश वन निगम	उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 के अध्याय-IV का खंड 6 (ई)	2015-16	14 फरवरी 2019	2016-17 2017-18	20 नवम्बर 2018 19 सितंबर 2019
4	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 का अध्याय-V	2016-17	27 फरवरी 2020	2017-18	8 जुलाई 2020
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	यू.पी., जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 50 (5) (ए)	2007-08	4 दिसंबर 2012	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसंबर 2013 25 मई 2017
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11)	2012-13	29 अगस्त 2016	2013-14 2014-15 2015-16	20 जुलाई 2016 27 जून 2017 30 अप्रैल 2019

स्रोत: जीओयूपी की वेबसाइट एवं पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन


3.12 इस अध्याय में शामिल किए गए 24 राज्य पीएसयूज की 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखाओं²⁰ के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणामों को परिशिष्ट-3.1 में उल्लिखित किया गया है।

पीएसयूज को सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 13,127.56 करोड़ था जिसमें पूँजी ₹ 5,295.96 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 7,831.60 करोड़ शामिल थे (परिशिष्ट-3.3)। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 पीएसयूज में ₹ 4,991.35 करोड़ का निवेश किया है जिसमें पूँजी ₹ 2,217.33 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 2,774.02 करोड़ शामिल है।

इस अध्याय में शामिल किए गए ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में जीओयूपी के निवेश की संचयी स्थिति को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

²⁰ वर्ष 2016-17 से 2018-19 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे।

चार्ट 3.2: पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में जीओयूपी का कुल निवेश
(₹ करोड़ में)




कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल के सापेक्ष पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि एक निश्चित वर्ष में हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन की माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभदायकता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है एवं इसकी गणना किसी कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

3.13 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान 24 कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि²¹ की समग्र स्थिति चार्ट-3.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट 3.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान 24 कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि
(₹ करोड़ में)



²¹ आँकड़े सम्बंधित वर्ष के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

3.13.1 इन कार्यरत पीएसयूज द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 55.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया जो वर्ष 2018-19 में घटकर ₹ 42.48 करोड़ की हानि हो गयी। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 24 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 15 पीएसयूज ने ₹ 374.35 करोड़ का लाभ कमाया एवं 09 पीएसयूज ने ₹ 416.83 करोड़ की हानि वहन की जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.1** में दिया गया है। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 118.11 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 80.38 करोड़) थे। शीर्ष हानि अर्जित करने वाले पीएसयूज में उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 317.07 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 72.11 करोड़) थे। 2018-19 के दौरान इन पीएसयूज के क्षेत्रवार लाभ का विवरण नीचे **तालिका 3.8** में सारांकित किया गया है।

तालिका 3.8: पीएसयूज की क्षेत्रवार लाभदायकता

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या	कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)	कर के बाद कुल लाभ के लिए लाभ प्रतिशत
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	11	-113.15	-
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	11	79.01	-
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	2	-8.34	-
योग	24	-42.48	-

स्रोत: पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

2018-19 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 15 पीएसयूज में से पाँच पीएसयूज एकाधिकारी श्रेणी से, नौ पीएसयूज निश्चित आय स्रोत श्रेणी से एवं एक पीएसयू प्रतिस्पर्धी वातावरण से सम्बंधित है। इस प्रकार इन पीएसयूज का लाभ, या तो एकाधिकार का लाभ या बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज, आदि निश्चित आय स्रोत के कारण है। आगे, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले एक पीएसयू को 2018-19 के दौरान ₹ 11.69 करोड़ का नुकसान हुआ।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

3.14 15 राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, की लाभदायकता की गणना करने के लिए कुल आय एवं इनके निवेश का विश्लेषण किया गया है। निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद की गई है जिससे जीओयूपी द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल पर पहुंचा जा सके। राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना राज्य सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण तथा राजस्व अनुदान/सब्सिडी के रूप में इन कम्पनियों में 1999-2000 से 31 मार्च 2019 तक के निवेश पर की गयी थी। 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के दौरान, वर्ष 2005-06 से 2012-13 में इन पीएसयूज का निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था। इसलिए, इन वर्षों के लिए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है तथा इसे पीवी के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्नलिखित धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा परिचालन/प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण और अनुदान/सब्सिडी को निवेश के उद्देश्य के रूप में माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां पीएसयू को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा लिया गया है और इसे उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।

- राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सम्बंधित वित्तीय वर्ष²² के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार इसे सरकार द्वारा किये गये निवेश पर अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल दर के रूप में माना गया है।

3.15 इन 15 राज्य पीएसयूज में 2000-01 से 2018-19 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण एवं राजस्व अनुदान/सब्सिडी के निवेश की पीसयूज-वार स्थिति **परिशिष्ट-3.6** में इंगित की गई है। आगे इन राज्य पीएसयूज में उसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: 2000-01 से 2018-19 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान जीओयूपी द्वारा दिया गया अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अन्त में कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल लाभ
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix = vii* (1+ viii/100)	x =vii*viii/100	xi
1999-2000 तक		546.77	76.10	1.05	623.92	623.92	9.50	683.19	59.27	-191.61
2000-01	683.19	0.00	17.75	1.05	18.80	701.99	9.58	769.24	67.25	-162.10
2001-02	769.24	0.00	-33.53	1.05	-32.48	736.76	9.49	806.68	69.92	-172.76
2002-03	806.68	10.15	18.75	1.05	29.95	836.63	7.22	897.04	60.40	-130.24
2003-04	897.04	0.00	6.25	1.05	7.30	904.34	9.13	986.90	82.57	-204.84
2004-05	986.90	4.59	11.17	1.05	16.81	1,003.71	9.47	1,098.76	95.05	-9.74
2005-06	1,098.76	0.00	68.54	1.45	69.99	1,168.75	6.49	1,244.61	75.85	89.00
2006-07	1,244.61	47.00	82.22	1.45	130.67	1,375.28	6.74	1,467.97	92.69	103.65
2007-08	1,467.97	0.00	0.00	0.80	0.80	1,468.77	6.43	1,563.21	94.44	132.53
2008-09	1,563.21	13.88	-0.44	0.65	14.09	1,577.30	6.29	1,676.51	99.21	179.38
2009-10	1,676.51	0.00	0.00	4.08	4.08	1,680.59	6.16	1,784.12	103.52	106.92
2010-11	1,784.12	0.05	51.52	4.78	56.35	1,840.47	6.67	1,963.23	122.76	46.57
2011-12	1,963.23	39.52	33.11	2.00	74.63	2,037.86	6.62	2,172.76	134.91	64.54
2012-13	2,172.76	6.00	9.88	2.00	17.88	2,190.64	6.73	2,338.08	147.43	35.42
2013-14	2,338.08	23.43	-0.94	0.00	22.49	2,360.57	6.43	2,512.35	151.78	-149.89
2014-15	2,512.35	211.14	175.61	2.00	388.75	2,901.10	6.40	3,086.77	185.67	-173.10
2015-16	3,086.77	633.47	161.79	2.00	797.26	3,884.03	6.35	4,130.67	246.64	-191.58
2016-17	4,130.67	498.38	654.72	7.49	1,160.59	5,291.26	6.82	5,652.12	360.86	-125.51
2017-18	5,652.12	132.95	-115.49	9.89	27.35	5,679.47	6.54	6,050.91	371.44	-104.65
2018-19	6,050.91	50.00	129.97	20.17	200.14	6,251.05	6.50	6,657.36	406.32	-233.82
योग	40,885.12	2,217.33	1,346.98	65.06	3,629.37					

राज्य सरकार द्वारा इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्ष के अन्त में अधिशेष वर्ष 1999-2000 तक ₹ 623.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 के अन्त में ₹ 3,629.37 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2018-19 की

²² सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100।

अवधि के दौरान पूँजी (₹ 1,670.56 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण/ अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,334.89 करोड़) के रूप में धनराशि का निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक निवेश की गई धनराशियों की पीवी ₹ 6,657.36 करोड़ आती है। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज को लगातार समग्र हानि हुई लेकिन 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान इन पीएसयूज ने निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित किया। हालाँकि, वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक इन पीएसयूज ने लाभ अर्जित किया, अपितु इनका कुल लाभ, पीएसयूज में किये गए निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 से पुनः इन पीएसयूज को लगातार समग्र हानि हुई।

पीएसयूज की पूँजी पर प्रतिफल

3.16 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)²³ वित्तीय निष्पादन का माप है, जिसकी गणना शुद्ध आय को शेयरधारकों की पूँजी से विभाजित करके की जाती है। 2016-17 से 2018-19 के दौरान पीएसयूज की क्षेत्रवार आरओई तालिका 3.10 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.10: पीएसयू की क्षेत्रवार पूँजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	2016-17 के दौरान आरओई		2017-18 के दौरान आरओई		2018-19 के दौरान आरओई	
		पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
1	एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	9	-0.12	11	0.25	11	-1.26
2	निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	11	14.76	11	14.43	11	14.49
3	प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	2	-	2	-	2	-
योग		22 ²⁴	0.72	24	1.08	24	-0.46

प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र के पीएसयूज का कर पश्चात लाभ एवं शेयरधारकों की निधि दोनों नकारात्मक थी, इसलिए इनकी आरओई की गणना नहीं की जा सकी। एकाधिकारी अवसर के बावजूद 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान एकाधिकारी वातावरण वाले पीएसयूज की आरओई नकारात्मक थी जबकि निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज का कर पश्चात लाभ एवं शेयरधारकों की निधि 2016-17 से 2018-19 की अवधि में सकारात्मक रही।

एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों के पीएसयूज की आरओई की तुलना तालिका 3.11 में दर्शायी गई है।

तालिका 3.11: एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत बनाम प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्रों के पीएसयूज की आरओई की तुलना

वर्ष	एकाधिकारी/निश्चित आय स्रोत पीएसयूज		प्रतिस्पर्धी पीएसयूज	
	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)	पीएसयूज की संख्या	आरओई (प्रतिशत में)
2016-17	20	0.79	2	-
2017-18	22	1.13	2	-
2018-19	22	-0.36	2	-

²³ पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी)*100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय - संचित हानि - आस्थगित आयगत व्यय।

²⁴ दो पीएसयूज आगरा स्मार्ट सिटी एवं अलीगढ़ स्मार्ट सिटी को 2017-18 में निगमित किया गया।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

3.17 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभदायकता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी²⁵ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान 24 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल पीएसयूज) के आरओसीई का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्षवार क्षेत्रवार ब्यौरा	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2016-17			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	93.63	10,853.78	0.86
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	95.39	621.39	15.35
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-2.38	223.13	-1.07
योग	186.64	11,698.30	1.60
2017-18			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	119.27	13,288.24	0.90
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	98.14	674.08	14.56
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-2.38	223.13	-1.07
योग	215.03	14,185.45	1.52
2018-19			
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज	-10.74	15,966.16	-0.07
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज	98.54	674.70	14.61
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज	-2.38	223.13	-1.07
योग	85.42	16,863.99	0.51

यह देखा गया कि 2017-18 एवं 2018-19 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,783.00 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 998.51 करोड़) में नियोजित पूँजी में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 2016-17 के दौरान कुल आरओसीई 1.60 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 0.51 प्रतिशत हो गयी। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दो पीएसयूज²⁶ की आरओसीई 2016-17 से 2018-19 के दौरान नकारात्मक थी क्योंकि सभी तीन वर्षों में ईबीआईटी नकारात्मक थी। आगे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में 2016-17 से 2018-19 अवधि के दौरान एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) की नियोजित पूँजी भी नकारात्मक थी।

हानि वहन करने वाले पीएसयूज

3.18 इस अध्याय में शामिल किए गए 24 पीएसयूज में से छः से नौ पीएसयूज को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान हानि हुई थी। इन पीएसयूज द्वारा 2016-17 के दौरान उठायी गया हानि ₹ 360.03 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 416.83 करोड़ हो गयी, जैसा कि तालिका 3.13 में दिया गया है।

²⁵ नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घवधि ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित आयगत व्यय।

²⁶ उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ यू. पी. लिमिटेड।

तालिका 3.13: 2016-17 से 2018-19 के दौरान हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या

वर्ष के दौरान	हानि उठाने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि/लाभ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य ²⁷ (₹ करोड़ में)
एकाधिकारी क्षेत्र के पीएसयूज				
2016-17	4	343.38	-1,209.34	1,085.48
2017-18	6	348.50	-1,242.10	1,646.49
2018-19	6	397.53	-1,366.36	2,268.11
निश्चित आय स्रोत के पीएसयूज				
2016-17	1	4.96	-12.69	-7.78
2017-18	2	7.61	10.24	18.15
2018-19	2	7.61	10.24	18.15
प्रतिस्पर्धी वातावरण के पीएसयूज				
2016-17	1	11.69	-260.77	-167.53
2017-18	1	11.69	-260.77	-167.53
2018-19	1	11.69	-260.77	-167.53

वर्ष 2018-19 के दौरान 09 पीएसयूज द्वारा उठायी गयी कुल हानि ₹ 416.83 करोड़ में से ₹ 317.07 करोड़ की हानि केवल एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश जल निगम), जोकि एकाधिकारी क्षेत्र की है और बाजार प्रतिस्पर्धा में नहीं है, में हुई। आगे, दो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले पीएसयूज में से केवल एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) ने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर हानि उठायी, हालाँकि इन दोनों पीएसयूज में संचित हानियाँ हैं। इससे इन पीएसयूज की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पीएसयूज के निवल मूल्य का क्षरण

3.19 निवल मूल्य प्रदत्त अंश पूँजी एवं मुक्त संचय व अधिशेष के योग से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय को घटाने के पश्चात है।

31 मार्च 2019 को कुल 24 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से 12 पीएसयूज की ₹ 3,057.98 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इन 12 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने वर्ष 2018-19 में ₹ 416.38 करोड़ की हानि उठायी। इनमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) शामिल था, जिसने वर्ष के दौरान ₹ 11.69 करोड़ की हानि उठायी। आगे, चार पीएसयूज ने वर्ष 2018-19 में हानि नहीं उठायी, जबकि उनके पास ₹ 1,410.99 करोड़ की संचित हानि थी।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दोनों पीएसयूज को शामिल करके सात ऐसे पीएसयूज हैं जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था तथा 31 मार्च 2019 को इनमें पूँजी निवेश ₹ 1,162.17 करोड़ के विरुद्ध इनका निवल मूल्य (-) ₹ 1,686.44 करोड़ हो गया था। इसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दो पीएसयूज में पूँजी निवेश ₹ 228.82 करोड़ के विरुद्ध (-) ₹ 398.14 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य शामिल है। यद्यपि उन सात पीएसयूज जिनके निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण हो गया था में से तीन पीएसयूज ने 2018-19 के दौरान ₹ 43.24 करोड़ का लाभ कमाया था, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने एकाधिकारी लाभ के कारण अपने अर्जित लाभ ₹ 39.85 करोड़ की वजह से था।

²⁷ निवल मूल्य का तात्पर्य है कि प्रदत्त शेयर पूँजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष से संचित हानि एवं आस्थगित आयगत व्यय घटाया। मुक्त संचय का तात्पर्य संचय जो लाभ एवं अंश प्रीमियम खाता से निकाला गया हो लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाया गया संचय तथा प्रतिलेखित मूल्यहास प्रावधान शामिल नहीं होता है।

31 मार्च 2019 को सभी सात पीएसयूज जिनकी पूँजी का क्षरण हो गया था, की सरकारी बकाया ऋण की राशि ₹ 1,729.79 करोड़ थी।

लाभांश का भुगतान

3.20 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अक्टूबर 2002) जिसके तहत लाभ में चल रहे पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत्त शेयर पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है। लाभांश के भुगतान से सम्बंधित 24 पीएसयूज (इस अध्याय में शामिल) में से 14 में जहाँ राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया था, उसे तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष	कुल पीएसयूज जहाँ जीओयूपी द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज ²⁸		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	जीओयूपी द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5*100)
2016-17	14	1,459.43	8	109.18	7	3.13	2.87
2017-18	14	2,167.33	3	1.48	2	0.07	4.73
2018-19	14	2,217.33	1	0.05	-	-	-

2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज की संख्या एक से आठ के मध्य थी। इसी अवधि में जीओयूपी को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या शून्य से सात²⁹ के मध्य थी।

लाभांश भुगतान अनुपात 2016-17 के 2.87 प्रतिशत से 2017-18 में बढ़कर 4.73 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2018-19 में लाभ अर्जित करने वाले किसी भी पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

3.21 2016-17 से 2018-19 के दौरान पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण किया गया, जिससे पीएसयूज की क्षमता का आंकलन किया जा सके कि इन पीएसयूज ने सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं उससे सम्बंधित भुगतान में सक्षम हैं। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

3.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी पीएसयूज के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना पीएसयूज के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, पीएसयूज की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि पीएसयूज अपने ब्याज के व्ययों को पूरा करने के

²⁸ पीएसयूज जिन्होंने अद्यतन लेखाओं के अनुसार वर्ष के लिए लाभ कमाया और उनमें कोई भी संचित हानि नहीं थी।

²⁹ परिशिष्ट-3.1 की क्रम संख्या 10, 12, 13, 16, 17, 18 एवं 20।

लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा था। इस अध्याय में शामिल पीएसयूज जिनमें 2016-17 से 2018-19 की अवधि में बकाया ऋण थे से सम्बंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 3.15 में दिया गया है।

तालिका 3.15: ऋण पर ब्याज के दायित्व वाले कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	पीएसयूज की संख्या जिनमें ऋण पर ब्याज का दायित्व है	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2016-17	6	78.89	-116.06	4	2
2017-18	7	78.23	-65.92	4	3
2018-19	7	83.19	-238.38	3	4

2018-19 के दौरान जिन सात राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋणों का दायित्व था उनमें से तीन पीएसयूज का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था एवं चार पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह दर्शाता है कि ये चार पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर सके।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

3.23 31 मार्च 2019 तक जीओयूपी द्वारा पाँच पीएसयूज को प्रदान किए गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 704.39 करोड़ की ब्याज की राशि बकाया थी। जीओयूपी ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण नीचे तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	31 मार्च 2019 को बकाया ब्याज (₹ करोड़ में)	एक वर्ष से कम बकाया (₹ करोड़ में)	एक से तीन वर्षों का बकाया (₹ करोड़ में)	तीन वर्षों से अधिक का बकाया (₹ करोड़ में)
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	604.44	13.44	40.32	550.68
2	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	47.14	2.20	4.41	40.53
3	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7.00	0.00	7.00	0.00
4	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	16.43	0.00	6.08	10.35
5	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	29.38	1.75	0.00	27.63
योग		704.39	17.39	57.81	629.19

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

3.24 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान 25 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 35 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को अग्रप्रेषित किये। इनमें से 27 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.17 में दिया गया है।

तालिका 3.17: कार्यरत कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	13	379.22	12	132.71	12	162.85
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.18	2	0.71	4	32.90
3.	हानि में वृद्धि	5	7.23	4	352.13	4	30.23
4.	हानि में कमी	1	0.18	3	5.05	1	0.01
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	8	121.18	12	718.68	12	385.17
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	9	124.80	6	159.23	10	159.94

स्रोत: सरकारी कम्पनियों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण-पत्र प्रदान किये एवं उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के वर्ष 2010-11 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने डिसक्लेमर/कोई राय नहीं दिया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड के तीन वर्षों के लेखाओं अर्थात् वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 पर प्रतिकूल राय दी गयी थी। पीएसयूज द्वारा लेखाकंन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि 18 लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाकंन मानकों के अनुपालन नहीं करने के 80 मामले इंगित किये गये। सीएजी ने भी तीन लेखाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए एवं इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रतिकूल प्रमाण-पत्र (वित्तीय विवरणों द्वारा सत्य और निष्पक्ष राय नहीं प्रस्तुत की गयी) निर्गत किए गए थे।

3.25 राज्य में छः सांविधिक निगम अर्थात् (i) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीआईवीपी), (ii) उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) (iii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी), (iv) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), (v) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (यूपीएसडब्ल्यूसी) और (vi) उत्तर प्रदेश वन निगम हैं। यूपीएसडब्ल्यूसी एवं यूपीएफसी को छोड़कर सीएजी इन सांविधिक निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

छः कार्यरत सांविधिक निगमों में से पाँच निगमों (यूपीएसडब्ल्यूसी, यूपीआईवीपी, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) ने वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए दस वार्षिक लेखे 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान प्रेषित किये। इनमें से पाँच लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने यूपीएसडब्ल्यूसी के वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाओं पर क्वालीफाईड प्रमाण-पत्र दिए थे। इसके अतिरिक्त, सीएजी ने वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम के लेखाओं पर सत्य एवं निष्पक्ष प्रमाण पत्र तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के लेखाओं पर सत्य एवं निष्पक्ष प्रमाणपत्र नहीं दिया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.18 में दिया गया है।

तालिका 3.18: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	5	7.27	3	26.33	3	65.90
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	2.09	3	5.61
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया	5	1,114.38	-	-	1	236.36
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	4	1,472.19	1	0.71	2	5.86

स्रोत: सांविधिक निगमों के सम्बंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

3.26 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को, उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को निर्गत किया गया था। दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)। इन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 13.88 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

3.27 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यकारी से उनकी उपयुक्त एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। वित्त विभाग, उ०प्र० सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के दो से तीन माह के अन्दर, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे तालिका 3.19 में दी गयी है।

तालिका 3.19: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2011-12	16 सितंबर 2013	1	6	0	0
2012-13	20 जून 2014	1	11	0	0
2013-14	17 अगस्त 2015	1	9	0	0
2014-15	8 मार्च 2016	2	4	2	0
2015-16	18 मई 2017	4	6	2	0
2016-17	7 फरवरी 2019	2	3	1	2
2017-18	21-22 अगस्त 2020	-	8	-	8
योग		11	47	5	10

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

उपरोक्त से यह देखा जा सका कि 47 प्रस्तारों एवं 11 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, सात विभागों³⁰ से सम्बंधित दो प्रस्तारों एवं पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिन पर टिप्पणी की गई थी, की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी (सितम्बर 2020) प्रतीक्षित थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

3.28 30 सितम्बर 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयूज) में सम्मिलित एवं कोपू द्वारा विचार-विमर्श किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तारों की स्थिति नीचे तालिका 3.20 में दी गयी है।

तालिका 3.20: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाएं/प्रस्तार जिन पर 30 सितम्बर 2020 तक विचार-विमर्श किया गया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीए)/प्रस्तारों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		पीए एवं प्रस्तार जिन पर चर्चा पूर्ण हुई	
	पीए	प्रस्तार	पीए	प्रस्तार
1982-83 से 2010-11	76 ³¹	475	56	417
2011-12	1	6	0	5
2012-13	1	11	0	7
2013-14	1	9	0	7
2014-15	2	4	0	3
2015-16	4	6	0	0
2016-17	2	3	0	1
2017-18	-	8	-	-
योग	87	522	56	440

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.29 कोपू के आन्तरिक कार्य नियमावली में प्रधान महालेखाकार द्वारा कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू की संस्तुतियों पर एटीएन विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को केवल कोपू द्वारा एटीएन पर विचार-विमर्श के समय उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए, एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

³⁰ वन विभाग, वित्त विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, शहरी विकास विभाग तथा परिवहन विभाग।

³¹ इसमें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर स्टैंडअलोन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय–IV

राज्य सरकार के उपक्रमों
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-IV

4. राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच से निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इस अध्याय में शामिल हैं।

लोक निर्माण विभाग

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

4.1 परिहार्य व्यय और राजस्व की हानि

कम्पनी अधिशेष मृदा की बिक्री के लिए स्वयं के आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष मृदा के निस्तारण पर ₹ 3.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जो अंततः जीओयूपी द्वारा वहन किया गया था, इसके अतिरिक्त राजकीय खजाने को ₹ 1.41 करोड़ के राजस्व से वंचित किया गया।

सभी सिविल निर्माण कार्यों में मृदा का कार्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। चूँकि मृदा एक बिक्री योग्य वस्तु है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट मृदा की विक्रय दर निर्धारित करता है।

31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तारों क्रमशः 3.3 और 3.1.5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जिनमें अधिशेष मृदा के निपटान पर परिहार्य व्यय से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शामिल किया गया था। इसी प्रकार की अनियमितता कम्पनी में पुनः पायी गयी है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) मुख्य रूप से सिविल निर्माण कार्यों में लगी हुई है। अपनी परियोजनाओं में मृदा के कार्य के महत्व को देखते हुए, कम्पनी ने अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक/खुदाई से प्राप्त मृदा के क्रय/निस्तारण के तरीके को निर्धारित किया (02 नवम्बर 2015)। कम्पनी के आदेश में साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि सम्बन्धित इकाई मृदा की किसी भी आवश्यकता के लिए सर्वप्रथम, उसी जिले में अन्य इकाईयों से पूछताछ करेगी। उनके द्वारा मृदा की आवश्यकता न होने की स्थिति में, अधिशेष मृदा को पारदर्शी तरीके से समाचार पत्र में अधिसूचना देकर विक्रय किया जाएगा।

डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (ग्राहक) के नए परिसर में शिक्षण ब्लॉक के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा ₹ 363.89 करोड़¹ की स्वीकृत लागत पर कम्पनी को सौंपा गया था (मार्च 2015)। 29 मई 2015² को कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार, कार्य में निम्नतल का निर्माण शामिल था और इसलिए, नींव और निम्नतल की खुदाई से प्राप्त और पृष्ठभरण के पश्चात बची भारी मात्रा में मृदा के निस्तारण की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2018) कि कम्पनी की निष्पादन इकाई³ को कार्य के निष्पादन के दौरान मृदा के निस्तारण की आवश्यकता के बारे में पता था लेकिन यह

¹ जी.ओ. नंबर. 25/2-15/328/71-2-15-आरएम-9/2011, दिनांक: 04.02.2015 के द्वारा।

² टीएस नंबर 39/2015-16 के द्वारा।

³ पीजीयू यूनिट- I, लखनऊ।

निर्माण स्थल से अधिशेष मृदा को बेचने की व्यवस्था करने में विफल रही। इकाई ने अधिशेष मृदा को बेचने के बजाय, खुदाई की गई 1,76,224.93 घनमीटर मृदा के 10 नवम्बर 2015 से 8 फरवरी 2016 के दौरान कार्टेज पर ₹ 3.14 करोड़⁴ के व्यय के बाद इसका निस्तारण किया। इस प्रकार, कम्पनी की निष्पादन इकाई द्वारा अनियमित निर्णय के कारण अधिशेष मृदा के निस्तारण पर कम्पनी ने ₹ 3.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जोकि अंततः जीओयूपी द्वारा वहन किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय खजाने को ₹ 1.41 करोड़⁵ के राजस्व से वंचित किया गया।

सीएजी के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बावजूद वर्तमान प्रकरण समान प्रकृति की अनियमितता की निरंतरता का सूचक है।

प्रबंधन ने उत्तर में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (फरवरी/जून 2020) और बताया कि एक जांच समिति का गठन किया गया है (23 दिसंबर 2019) और तीन कर्मियों⁶ जोकि निविदा आमंत्रित किए बिना अधिशेष मृदा के निस्तारण हेतु दोषी पाए गए हैं, को आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है (जून 2020)।

इस प्रकार, अपने स्वयं के आदेश का पालन न करने के कारण, कम्पनी ने जीओयूपी को परिहार्य व्यय और राज्य के राजस्व खजाने की हानि पहुँचाई (जून 2020)।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2019)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4.2 ब्याज का परिहार्य भुगतान

अनुचित लेखांकन प्रणाली के कारण कम्पनी अपनी आय और अग्रिम कर देयता का सही आकलन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 और 134 के अनुसार, कम्पनी के लेखाओं को ऑडिट रिपोर्ट के साथ शेरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर रखने की जिम्मेदारी कम्पनी के निदेशक मण्डल की होती है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक करदाता जिसके ऊपर ₹ 10,000 या अधिक की कर देयता है, अधिनियम के तहत निर्धारित दर और नियम से अग्रिम कर का भुगतान करेगा। अग्रिम कर का न्यूनतम 90 प्रतिशत कर जमा करने में विफलता के साथ-साथ निर्धारित स्लैब⁷ के अनुसार कर जमा करने में कमी, अधिनियम की धारा 234 बी और 234 सी के तहत यथानिर्धारित अलग से एक प्रतिशत की दर से प्रति माह अथवा माह के एक भाग के लिए दण्डात्मक ब्याज को आकर्षित करती है।

⁴ विभागीय रूप से निष्पादित कार्य के लिए पांच प्रतिशत घटाकर, 1,76,224.93 घनमीटर x ₹ 187.75 प्रति घनमीटर।

⁵ लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक: 15.12.2014 से प्रभावी सर्किल दर ₹ 80 प्रति घनमीटर की दर से गणना की गई।

⁶ सहायक स्थानिक अभियंता, उप-अभियंता (सिविल) एवं सहायक लेखाधिकारी-2 (सेवानिवृत्त)।

⁷ वित्तीय वर्ष के 15 जून को या उससे पहले (इस तरह के अग्रिम कर के 15 प्रतिशत से कम नहीं), 15 सितम्बर (इस तरह के अग्रिम कर जो पहले भुगतान की गई किस्त की धनराशि को घटाकर 45 प्रतिशत से कम नहीं), 15 दिसम्बर (इस तरह के अग्रिम कर जो पहले भुगतान की गई किस्त की धनराशि को घटाकर 75 प्रतिशत से कम नहीं) एवं 15 मार्च (भुगतान की गई पूर्व किस्तों की धनराशियों में से ऐसे अग्रिम कर की पूरी धनराशि को घटाकर)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में सेतुओं के निर्माण के लिए की गई थी। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी अपनी आय पर अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अग्रिम कर के रूप में ₹ 16.51 करोड़⁸ की धनराशि जमा की। कम्पनी ने अपने अनंतिम लेखाओं को तैयार किया (28 सितम्बर 2016) और ₹ 36 करोड़ की कुल आय को प्रदर्शित किया, जिस पर आयकर की देयता ₹ 12.45 करोड़ बनती थी। उपरोक्त वित्तीय परिणामों के आधार पर, कम्पनी ने 28 सितम्बर 2016 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। कम्पनी ने अप्रैल 2018 में वर्ष 2015-16 के लिए अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसे 3 अक्टूबर 2018 को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस प्रकार, कम्पनी एजीएम में लेखाओं को रखने की नियत तारीख के 24 माह बाद ही लेखाओं पर निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त कर सकी। अंतिम लेखाओं के आधार पर, कम्पनी ने ₹ 79.67 करोड़ की कुल आय को प्रदर्शित किया, जिस पर आयकर की देयता ₹ 31.16 करोड़ बनती थी, जिसमें अधिनियम की धारा 234 बी और 234 सी के तहत ₹ 3.59 करोड़ की ब्याज देयता शामिल थी। ₹ 14.65 करोड़ के शेष कर की धनराशि 19 जुलाई 2019 को जमा की गई। इस प्रकार, कम्पनी की वास्तविक कर योग्य आय अनंतिम लेखाओं के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय के दोगुने से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2019) कि अनुमानित आय और वास्तविक आय के बीच का अंतर मुख्य रूप से टर्नओवर में ₹ 147 करोड़ की वृद्धि और अन्य आय (मुख्य रूप से बैंकों से ब्याज) में ₹ 22 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि मार्च 2016 में बैंकों द्वारा ब्याज जमा किया गया था, परन्तु बैंक खातों के मिलान न होने के कारण कम्पनी को सितम्बर 2016 में इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

यह आवश्यक है कि कर देयता के उचित आंकलन और ब्याज भुगतान की घटनाओं से बचने के लिए एवं अग्रिम कर जमा करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के लिए एक उचित लेखांकन प्रणाली⁹ हो। हालाँकि, सितम्बर 2016 में रिटर्न दाखिल करने के समय भी, यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के बाद, कम्पनी को वर्ष 2015-16 के लिए अपने टर्नओवर और ब्याज से आय के बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे लेखाओं के समय पर अन्तिमीकरण तथा कम्पनी की आय का उचित आंकलन तथा फलस्वरूप कर देयता को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की लेखांकन प्रणाली में कमी का संकेत मिलता है।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में, लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (फरवरी 2020/अगस्त 2020) और कहा कि टर्नओवर और ब्याज में वृद्धि का मुख्य कारण प्रयुक्त सामग्री/ओवरहेड्स का लेखांकन न होना और कम्पनी की इकाइयों द्वारा बैंक खातों का मिलान न करना था। इसके अतिरिक्त, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश और चेतावनी जारी की गई है।

इस प्रकार, कम्पनी की अनुचित लेखांकन प्रणाली के परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

⁸ अग्रिम कर के रूप में ₹ 12.00 करोड़ और स्रोत पर कर ₹ 4.51 करोड़।

⁹ इकाइयों द्वारा मासिक लेखाओं को समय पर तैयार कर और उनका संकलन और वित्तीय विवरणों को समय से तैयार करना।

4.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

एक ठेकेदार को कार्य के आवंटन और कार्य के निष्पादन में अनुचित लाभ देने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को ₹ 2.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड¹⁰ (कम्पनी) ने जिला वाराणसी में सामनेघाट-रामनगर रोड पर गंगा नदी के ऊपर एक 2-लेन उच्च स्तरीय सेतु के लिए नेविगेशनल स्पैन (P7-P9) के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए मेसर्स ग्लोबल स्टील कम्पनी (ठेकेदार) के साथ ₹ 3.10 करोड़ की लागत पर एक अनुबन्ध किया (जनवरी 2015)। कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 21 जनवरी 2015 और 20 अप्रैल 2015 थीं। कार्य के दायरे में स्टील गर्डर्स¹¹ की डिजाइन, संरचना, संयोजन और निर्माण/लॉन्चिंग शामिल थी। अनुबन्ध की कुछ विशिष्ट शर्तें निम्न प्रकार थीं:

- अनुबन्ध के नियमों और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को कार्य की सम्पूर्ण अवधि के लिए तथा कार्य की समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात तक के लिए अनुबन्ध के मूल्य का 10 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जमा करना था (खण्ड 32.1: बोलीदाताओं को निर्देश)।
- कम्पनी को किसी भी कार्य में हानियों/क्षतियों के विरुद्ध ठेकेदार को बीमा कवर प्रदान करना था (खण्ड 13.1: अनुबंध की सामान्य शर्तें)।
- भुगतान अनुसूची के अनुसार, ठेकेदार को इस्पात सामग्री की खरीद और परीक्षण पर 35 प्रतिशत, सभी इस्पात कार्यों की संरचना पर 15 प्रतिशत, कार्यशाला में सफल परीक्षण पर 10 प्रतिशत, निर्माण-स्थल पर निर्मित सामग्री के परिवहन पर 10 प्रतिशत, स्टील गर्डर्स के अंतिम निर्माण और उन्हें उचित स्थिति में संरेखित करने पर 15 प्रतिशत और सफल अंतिम लॉन्चिंग और सम्बंधित सपोर्ट को रखने, ब्रेसिंग को फिक्स करने, नट-बोल्ट्स के पुनः परीक्षण, अंतिम रंग रोगन इत्यादि के बाद काम की लागत का 15 प्रतिशत भुगतान करना था।

ठेकेदार ने गर्डर्स के डिजाइन की तैयारी और उनके निर्माण के बाद, गर्डर्स की संरचना और लॉन्चिंग का काम प्रारम्भ किया। तीन गर्डरों में से, एक गर्डर जी 2 (मध्य) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था (अगस्त 2015) और अन्य दो गर्डर्स जी 1 और जी 3 को लॉन्च करने का काम शुरू किया गया था (सितंबर 2015)। हालाँकि, 42 मीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किए जाने के बाद ये गर्डर्स ध्वस्त हो गए (सितंबर 2015) और नदी में गिर गए, जिसमें पहले लॉन्च किया गया गर्डर भी शामिल था। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य निष्फल हो गया। ठेकेदार ने अपनी लागत पर कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया (सितंबर 2015), हालाँकि, उसने कार्य को पुनः प्रारम्भ नहीं किया और उसके बाद उत्तर देना बंद कर दिया। यद्यपि ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी (सितंबर 2015), हालाँकि कम्पनी को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति बांड की उपलब्धता के बावजूद हानि की वसूली के लिए ठेकेदार के विरुद्ध अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है (जून 2020)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त, कम्पनी ने ठेकेदार को विलम्ब से ब्लैक लिस्टेड कर दिया (नवम्बर 2019) और एक मध्यस्थ नियुक्त किया (दिसंबर 2019)। कम्पनी ने अपनी

¹⁰ खण्ड-1, वाराणसी।

¹¹ सेतु डिजाइन के संदर्भ में "गर्डर" शब्द का प्रयोग प्रायः "बीम" के साथ किया जाता है। गर्डर कंक्रीट या स्टील से निर्मित हो सकता है।

लागत ₹ 2.87 करोड़ पर एक अन्य ठेकेदार (मेसर्स जेसीएल इंफ्रा लिमिटेड, मेरठ) के माध्यम से कार्य को पूर्ण कराया (जुलाई 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2017) कि कम्पनी द्वारा कार्य आवंटन और कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं की गयी :

- काम के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। ठेकेदार की तकनीकी योग्यता सुनिश्चित किए बिना और कोई औचित्य दर्ज किए बिना कम्पनी द्वारा चयन के आधार पर उसको कार्य आवंटित किया गया। इससे कार्य के लिए तकनीकी रूप से सक्षम ठेकेदार प्राप्त होने से कम्पनी वंचित हो गयी।
- प्रबंधन ने अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार यथा आवश्यक, कार्य के पूर्ण हो जाने के एक वर्ष के पश्चात तक वैध दस प्रतिशत के बजाय 14 मई 2015 तक वैध केवल पाँच प्रतिशत की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त की। इस प्रकार, कम्पनी वित्तीय सुरक्षा तंत्र का पालन करने में विफल रही।
- कम्पनी ठेकेदार से बीमा कवर प्राप्त करने में भी विफल रही। फलस्वरूप, कम्पनी घटित हानियों/क्षतियों की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी से करने की स्थिति में नहीं थी।
- भुगतान अनुसूची के अनुसार, कम्पनी को स्टील गर्डर्स के अंतिम निर्माण और उन्हे उचित संरक्षण में रखने के पश्चात (15 प्रतिशत) तथा सफल अंतिम लॉन्चिंग, सम्बंधित सपोर्ट को रखने, ब्रेसिंग को फिक्स करने, नट-बोल्ट्स के पुनः परीक्षण, अंतिम रंग-रोगन इत्यादि (15 प्रतिशत) के पश्चात ₹ 93 लाख (अनुबंध मूल्य का 30 प्रतिशत) जारी करना था। इसलिए, कुल भुगतान को ₹ 2.17 करोड़¹² तक सीमित रखा जाना था, लेकिन कम्पनी ने काम के सफल समापन से पहले ₹ 3.00 करोड़ भुगतान कर दिए।

गर्डर्स के ध्वस्त होने के घटना की जांच के लिए गठित (सितंबर 2015) एक समिति ने रिपोर्ट की (नवम्बर 2015) कि कम्पनी के पाँच सम्बंधित कर्मियों¹³ बिना निविदा आमंत्रित किए एक अनुभवहीन ठेकेदार के चयन के लिए और निष्पादन की अनुचित निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। उपरोक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, प्रबंध निदेशक (एमडी) ने उपरोक्त पांच कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक समिति गठित की (दिसंबर 2015)। हालांकि, जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। अनुशासनात्मक समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है (फरवरी 2020)। दो कर्मियों (मुख्य परियोजना प्रबंधक और उप परियोजना प्रबंधक) जो कि जांच समिति द्वारा उत्तरदायी पाये गये थे, दिसंबर 2016/जून 2018 में सेवानिवृत्त हो गए और इसलिए उनके खिलाफ जांच माननीय न्यायालय के आदेश से हटा दी गई थी। दोनों कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान भी कर दिया गया है।

इस प्रकार, ठेकेदार को कार्य आवंटन और कार्य के निष्पादन में विभिन्न अनुचित लाभों को प्रदान करने से कम्पनी को ₹ 2.20 करोड़¹⁴ की हानि हुई।

उत्तर में प्रबंधन/सरकार ने बताया (मार्च 2020/अगस्त 2020) कि कार्य पूर्ण कराने की प्राथमिकता को देखते हुए, कार्य को निविदा के बजाय चयन के आधार पर आवंटित किया गया था। जीएम (वाराणसी) द्वारा जारी किए गए कार्य के आवंटन पत्र के

¹² ₹ 3.10 करोड़ (कुल अनुबंध मूल्य) का 70 प्रतिशत।

¹³ संयुक्त प्रबंध निदेशक, मुख्य परियोजना प्रबंधक, उप परियोजना प्रबंधक, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता।

¹⁴ ठेकेदार को किए गए कुल भुगतान ₹ 3.00 करोड़ में से, जमानत राशि के रूप में प्रबंधन द्वारा रोकी गयी धनराशि ₹ 80.03 लाख को घटाकर, जो ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर थी।

अनुसार पांच प्रतिशत की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की गई थी। बीमा कवर के स्थान पर ठेकेदार से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त किया गया था। कार्य के हित में ठेकेदार के अनुरोध पर उसे अग्रिम का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कम दर पर निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करना अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध था। क्षतिपूर्ति बांड की उपलब्धता के बावजूद नुकसान की वसूली के लिए अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है (जून 2020)। अग्रिम भुगतान जारी करने से पहले कोई बैंक गारंटी नहीं ली गई थी (जून 2020)। इस प्रकार, तथ्य यह है कि न केवल ठेकेदार को कार्य आवंटन तथा कार्य निष्पादन में अनुचित लाभ पहुँचाया गया बल्कि ठेकेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ठोस प्रयास का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ की हानि के अलावा सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

शहरी विकास विभाग

उत्तर प्रदेश जल निगम

4.4 विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश जल निगम ने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के सत्यापन एवं अधिक अनुबंधित भार के कारण ₹ 3.54 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अधिसूचित (जून 2015) सामान्य प्रावधानों के अनुसार, 10 किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए, एक महीने के दौरान बिल योग्य भार मीटर द्वारा अभिलेखित वास्तविक अधिकतम भार या अनुबंधित भार का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम¹⁵ (निगम) वाराणसी में कोनिया सीवेज पंपिंग स्टेशन (कोनिया एसपीएस) और दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (दीनापुर एसटीपी) का संचालन करता है, जिसके लिए लाइट मीडियम वोल्टेज (एलएमवी)¹⁶-7 श्रेणी के तहत 1993 से क्रमशः 2,000 और 1,200 किलो वोल्ट एम्पियर (केवीए) के अनुबंधित भार के साथ मीटर्ड कनेक्शन थे। जून 2015 से मार्च 2019¹⁷ की अवधि के लिए यांत्रिक खण्ड-11, वाराणसी के बिजली बिलों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी और नवम्बर 2019) कि वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत से कम¹⁸ थी। हालाँकि, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्विविनिलि) ने गलत तरीके से पूर्ण अनुबंधित भार पर मांग शुल्क लगाया, जिसे खण्ड में जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापित¹⁹ भी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.09 करोड़²⁰ (परिशिष्ट-4.1 एवं परिशिष्ट-4.2) के विद्युत प्रभार की अधिक बिलिंग और परिहार्य भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, दोनों संयंत्रों के बिजली बिलों को दिसंबर 2019 से ठीक किया गया था, हालाँकि पहले की अवधि के बिलों की वसूली/समायोजन किया जाना शेष है (जून 2020)।

¹⁵ यांत्रिक खण्ड-11, वाराणसी।

¹⁶ सार्वजनिक जल कार्यों हेतु एलएमवी-7 को वर्गीकृत किया गया है।

¹⁷ जून 2015 से मार्च 2019 के दौरान कुल बिल की धनराशि दीनापुर एसटीपी और कोनिया एसपीएस के लिए क्रमशः ₹ 10.45 करोड़ और ₹ 9.20 करोड़ थी।

¹⁸ अप्रैल 2018 में दीनापुर एसटीपी की 970.20 केवीए को छोड़कर।

¹⁹ डिवीजन बिलों का सत्यापन करता है और भुगतान निगम द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है।

²⁰ कोनिया एसपीएस (परिशिष्ट-1) पर ₹ 0.68 करोड़ और दीनापुर एसटीपी (परिशिष्ट-2) पर ₹ 0.41 करोड़।

इसके अतिरिक्त, यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ दरें यह निर्धारित करती हैं कि यदि कैपासिटर की स्थापना न होने के कारण उपभोक्ता का पावर फैक्टर अनिवार्य मानदण्डों²¹ से नीचे आ जाता है तो उपभोक्ता पर बिल की राशि का 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। यद्यपि, कैपासिटर स्थापित किए गए थे (1994), फिर भी पूविविनिलि ने गलत तरीके से कैपासिटर अधिभार लगाया एवं दिसंबर 2018 तक खण्ड में जूनियर इंजीनियर द्वारा बिलों का सत्यापन किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़²² (परिशिष्ट-4.1 एवं परिशिष्ट-4.2) के कैपासिटर अधिभार की अधिक बिलिंग और परिहार्य भुगतान हुआ। कैपासिटर अधिभार को अप्रैल 2019 और उसके बाद के बिलों से हटा लिया गया है, हालाँकि, पहले की अवधि के बिलों की वसूली/समायोजन किया जाना शेष है (जून 2020)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कोनिया एसपीएस के लिए 2,000 केवीए के अनुबंधित भार के विरुद्ध, जून 2015 से मार्च 2019 की नमूना जाँच अवधि के दौरान बिजली की वास्तविक मांग 277 से 758.60 केवीए के बीच थी। इसलिए, अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए, निगम को आवश्यक था कि आपूर्ति कोड-2005 की क्लॉज 4.41 के अनुसार इसका भार घटाकर 1,200 केवीए²³ कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु मार्च 2019 तक इसे कम नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.82 करोड़ (परिशिष्ट-4.1) के बिजली शुल्क का परिहार्य भुगतान किया गया।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि यूपीईआरसी के प्रावधान से अवगत होने के बाद, इस मामले को पूविविनिलि के साथ उठाया गया और दोनों संयंत्रों के लिए बिलों को दिसम्बर 2019 से संशोधित किया गया। कोनिया एसपीएस का विद्युत भार 1,200 केवीए करवा लिया गया है और कैपासिटर अधिभार को अप्रैल 2019 से बिलों से हटा लिया गया है। इसके अलावा, पिछले अवधि के बिलों के समायोजन के लिए पूविविनिलि के साथ पत्राचार किया जा रहा था।

वास्तविकता यही है कि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित पूर्व अवधि के बिलों की वसूली/समायोजन किया जाना अभी शेष है (जून 2020)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया परिहार्य भुगतान सांकेतिक है और लगभग चार वर्षों की अवधि के लिए है। वास्तविक परिहार्य भुगतान काफी अधिक हो सकता है क्योंकि गलत बिलिंग और अतिरिक्त अनुबंधित भार बहुत पहले से चल रहा है। यह निगम के सम्बंधित अधिकारियों द्वारा क्षीण आंतरिक नियंत्रण और निगरानी का संकेतक है।

निगम को पूर्व अवधियों (जून 2015 से पहले) के बिजली बिलों की समीक्षा करनी चाहिए और समायोजन के लिए पूविविनिलि के साथ गलत बिलिंग का मामला उठाना चाहिए। निगम को पहले के समय (जून 2015 से पहले) के लिए कोनिया एसपीएस में अधिक अनुबंधित भार के कारण नुकसान का भी आंकलन करना, कारणों का विश्लेषण करना और सम्बंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

²¹ अगस्त 2016 से नवंबर 2017 तक 0.85 और दिसंबर 2017 के बाद से 0.90 से नीचे पावर फैक्टर।

²² कोनिया एसपीएस (परिशिष्ट-1) पर ₹ 0.77 करोड़ और दीनपुर एसटीपी (परिशिष्ट-2) पर ₹ 0.86 करोड़।

²³ 1,200 केवीए के अनुबंधित लोड के लिए मांग शुल्क का न्यूनतम बिलिंग 900 केवीए तक आता है। वास्तविक मांग जून 2015 से मार्च 2019 के दौरान 900 केवीए से नीचे रही।

भाग—ब

**आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं इकाइयां
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)**

अध्याय—V

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के
कार्यकलाप

अध्याय—V

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों और इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

प्रस्तावना


5.1 यह अध्याय लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति एवं उनके लेखाओं के बकाया की स्थिति दर्शाता है।

विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा

5.2 उत्तर प्रदेश सरकार के 18 विभाग और 45 प्राधिकरण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इन विभागों का नेतृत्व किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 5.1 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 5.1: राज्य सरकार का 2014-15 से 2018-19 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय



स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति तालिका 5.1 में दी गई है।

तालिका 5.1: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19
ऊर्जा	33,976.69	17,265.50 ¹	31,270.17 ²
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	6,296.11	1,740.56 ³	4,114.53 ⁴
आवास एवं शहरी नियोजन	2,888.06	723.39 ⁵	983.69 ⁶
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,721.56	2,987.80	3,051.80
वन	1,231.72	808.21 ⁷	811.33

(₹ करोड़ में)

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

5.3 वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश⁸ ने आर्थिक क्षेत्र से सम्बंधित 18 विभागों के अन्तर्गत कुल 486 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 63 की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

5.4 लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन:** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर):** लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।
- **ड्राफ्ट प्रस्तर:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **समापन गोष्ठी:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रमुख एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभाग प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती हैं और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं

¹ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सब्सिडी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

² 2018-19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि, विद्युत (सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता तथा अन्य व्यय), विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों के कारण थी।

³ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

⁴ 2018-19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर व्यय, अन्य व्ययों और सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत व्ययों के वृद्धि के कारण थी।

⁵ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं; शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

⁶ 2018-19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

⁷ 2017-18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

⁸ वर्तमान में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I), उत्तर प्रदेश।

होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाइयाँ/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

5.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)

18 विभागों से सम्बंधित 183 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2019 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2019 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 1,732 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 6,356 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, एक निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल 12 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि 1,731 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 6,344 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी थी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 5.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका 5.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की 31 मार्च 2020 की स्थिति

क्र०सं०	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2018-19	40 (02)	276 (04)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	456 (26)	2,423 (38)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	260 (15)	1,023 (16)
4	5 वर्षों से अधिक	976 (57)	2,634 (42)
	योग	1,732	6,356

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

वर्ष 2018-19 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की 29 बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गयीं जिनमें 32 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

5.4.2 निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाएं

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के लिए नौ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेषित किया गया था। हालाँकि, मात्र एक लेखापरीक्षा प्रस्तर से सम्बंधित उत्तर/प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। आठ लेखापरीक्षा प्रस्तरों का प्रत्युत्तर बार-बार स्मरण कराने के बाद भी अभी तक (सितंबर 2020) प्राप्त नहीं हुआ है।

5.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

5.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

5.5.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका 5.3 में दी गयी है।

तालिका 5.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितंबर 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र/गैर पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए)/विषयगत लेखापरीक्षा (टीए) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए, टीए एवं सीए प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई ⁹	
		पीए/टीए	सीए प्रस्तर	पीए/टीए	सीए प्रस्तर
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	0
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	2
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	4
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
2016-17	19 जुलाई 2019	-	4	-	1
2017-18	21-22 अगस्त 2020	-	10	-	10
योग		10	33	9	21

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

5.5.2 लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 10 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विषयगत लेखापरीक्षा तथा 33 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गये। इनमें से, लोक लेखा समिति (पीएससी) ने नौ प्रस्तरों को लिखित उत्तर के लिए चयनित किया। हालाँकि, इन प्रस्तरों के सम्बंध में कोई कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) प्राप्त नहीं हुई है। 30 सितंबर 2020 को पीएससी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति तालिका 5.4 में दी गयी है।

तालिका 5.4: पीएससी द्वारा चर्चा किये गये लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर-पीएसयू लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	43 (10 पीए/टीए + 33 सीए)
पीएससी द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिये गये (मौखिक चर्चा)	शून्य
पीएससी द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिये गये	09 (02 पीए/टीए + 07 सीए)
पीएससी द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	-

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

5.6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के इकाइयों के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन इकाइयों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के

⁹ वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात संवर्धन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अतिरिक्त स्रोतों से ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से सम्बंधित।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा राज्य विधानमण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

इकाइयों के बकाया लेखाओं की प्रस्तुति एवं उनका अन्तिमीकरण

5.6.1 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत 45 इकाइयों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी¹⁰ गयी थी। 45 इकाइयों में से केवल एक इकाई उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अपने 2018-19 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था। बची हुयी 44 इकाइयों के 147 लेखे मई 2020 तक बकाया थे। 44 इकाइयों में से, तीन इकाइयों के लेखे एक वर्ष से बकाया थे, 35 इकाइयों के लेखे दो वर्ष से बकाया थे, एक इकाई का लेखा चार वर्ष से बकाया था तथा पाँच इकाइयों के लेखे 14 वर्ष से बकाया थे जिसका विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका 5.5: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न इकाइयों के लेखाओं का बकाया

क्र० सं०	इकाइयों के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
2	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
3	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
4	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
5	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
6	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2015-16 से 2018-19	04
7	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
8	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
9	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
10	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
11	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
12	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
13	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
14	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
15	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
16	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
17	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
18	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
19	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
20	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
21	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
22	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
23	अयोध्या विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
24	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
25	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
26	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
27	उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
28	झाँसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
29	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02

¹⁰ सात औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जीओयूपी के आदेश दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा 2005-06 से सौंपी गयी तथा 28 विकास प्राधिकरणों एवं पाँच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जीओयूपी के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2017 द्वारा 2017-2018 से सौंपी गयी।

क्र० सं०	इकाइयों के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
30	बुलंदशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
31	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
32	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
33	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
34	बागपत बझौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
35	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
36	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
37	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्तिनगर	2017-18 से 2018-19	02
38	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2018-19	02
39	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2018-19	02
40	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विंध्याचल-मिर्जापुर	2017-18 से 2018-19	02
41	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2018-19	02
42	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ¹¹	2018-19	01
43	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ¹²	2018-19	01
44	उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2018-19	01
45	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	शून्य	शून्य

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य विधानमण्डल में इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

5.6.2 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वैधानिक इकाइयों के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार क्रमशः उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) तथा उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष एसएआर रखना अनिवार्य था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत एसएआर को विधानमण्डल को प्रत्येक सदन में रखने के लिए अनिवार्य होने के बावजूद, यूपीईआरसी तथा कैम्पा के एसएआर राज्य विधानमण्डल में क्रमशः 15 वर्षों एवं तीन वर्षों से नहीं रखे जा रहे थे।

दोनों इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर एसएआर, जो कि अभी राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हैं (सितंबर 2020), का विवरण तालिका 5.6 में दर्शाया गया है।

¹¹ जीएनआईडीए द्वारा वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक के लेखे प्रस्तुत किये गये।

¹² 27 जून 2018 को गठित।

तालिका 5.6: राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र० सं०	इकाइयों के नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधानमण्डल में प्रस्तुत न किये गये एसएआर की स्थिति		एसएआर को प्रस्तुत न किये जाने के कारण
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1	यूपीईआरसी	इसकी स्थापना (2003-04) से कोई एसएआर विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं किया गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	19 अक्टूबर 2006 5 अक्टूबर 2007 5 अक्टूबर 2007 3 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015 18 मई 2017 08 मार्च 2019 15 मई 2020	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।
2	कैम्पा	शून्य	2010-11 2011-12 2012-13	2 मई 2019 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

5.7 लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/इकाइयों में सात प्रकरणों में इंगित की गयी ₹ 20.61 करोड़ की वसूलियाँ स्वीकार की गयीं थीं। इसके विरुद्ध, 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक पाँच प्रकरणों में ₹ 18.97 करोड़ की वसूलियाँ सम्पन्न की गयीं जिसका विवरण तालिका 5.7 में दिया गया है।

तालिका 5.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/ इकाइयों द्वारा स्वीकार/सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक सम्पन्न की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	कार्य की अतिरिक्त मदों के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय	1	1.09	1	1.10
	छूट प्राप्त कार्यों में सेवा कर की वापसी के लिए दावा प्रस्तुत न करने के कारण हुई हानि	1	1.49	1	1.48
	छूट प्राप्त कार्यों पर सेवा कर की वापसी का दावा न करने के कारण परिहार्य हानि	1	2.15	1	2.15

विभाग	वसूलियों का विवरण	1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक सम्पन्न की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग	प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने के कारण हानि	3	2.25	1	1.87
	पट्टा के नवीनीकरण पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा प्रीमियम की वसूली न होना	1	13.63	1	12.37
योग		7	20.61	5	18.97

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

अध्याय—VI

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से
सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-VI

6. आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच से निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में शामिल किये गये हैं।

ऊर्जा विभाग

6.1 सरकारी प्राप्ति का सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना

राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की ₹ 102.01 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे से बाहर रखी गई।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधानित करता है कि सभी राजस्व प्राप्तियाँ और राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण राज्य की समेकित निधि का हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 266(2) यह बताता है कि किसी राज्य की सरकार की ओर से प्राप्त किये गये अन्य सार्वजनिक धन को राज्य के लोक लेखे में जमा किया जायेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 82(1) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए एक आयोग का गठन करेगी, जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग के रूप में जाना जाएगा, बशर्ते राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत स्थापित और कार्यशील राज्य विद्युत विनियामक आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य आयोग के रूप में कार्य करेगा। अधिनियम की धारा 76 में प्रावधान है कि अधिनियम के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर एक आयोग होगा जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के रूप में जाना जाएगा। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित सीईआरसी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय आयोग माना जाएगा और इस तरह से कार्य करेगा। अधिनियम की धारा 99 और 103 में प्रावधान है कि केन्द्र और राज्य सरकार के लिए क्रमशः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि और राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि नामक एक निधि का गठन किया जायेगा और सम्बंधित सरकार द्वारा दिये गये सभी अनुदानों और ऋणों को, सम्बंधित सरकार द्वारा तय किये गये अन्य स्रोतों से सम्बंधित आयोग को प्राप्त सभी शुल्कों और अन्य सभी धनराशियों को जमा किया जायेगा।

सरकार/आयोग द्वारा निधि को बनाने/शुल्कों के भुगतान और अन्य सभी स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने के नियम/विनियम बनाने की शक्ति अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों से प्राप्त होती है:

धारा 176/180: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की सम्बंधित नियम बनाने की शक्ति।

धारा 178/181: केन्द्रीय आयोग/राज्य आयोग की सम्बंधित विनियम बनाने की शक्तियाँ।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2019) कि अधिनियम की धारा 176 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार ने "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (गठन और निधि के प्रयोग हेतु प्रक्रिया) और प्रारूप एवं समय तथा बजट की तैयारी के लिए नियम, 2007" बनाया। इन नियमों में बताया गया है कि निधि को केन्द्रीय विद्युत विनियामक

आयोग निधि¹ कहा जायेगा और इस निधि को भारत के लोक लेखे के अर्न्तगत आरम्भ किया जायेगा।

यह भी देखा गया कि अधिनियम की धारा 180 द्वारा राज्य सरकार को समान शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अधिनियम की धारा 181 से प्राप्त शक्तियों के अर्न्तगत "उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क और जुर्माना) विनियम, 2010" बनाया, जिसके अर्न्तगत आयोग द्वारा प्राप्त शुल्क आयोग द्वारा संचालित बैंक खाते में रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की प्राप्तियों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के समान संविधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन के लिए नियमों को नहीं बनाने के कारण, यूपीईआरसी द्वारा एकत्रित शुल्क को लोक लेखे से बाहर यूपीईआरसी के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखा जा रहा है। इस प्रकार से, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के उल्लंघन में मार्च 2019 तक ₹ 102.01 करोड़² की धनराशि राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी।

सरकार ने उत्तर (जून 2020) में लेखापरीक्षा के मंतव्य को स्वीकार किया है और उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निधि के लिए नियम बनाने और राज्य लोक निधि में ₹ 102.01 करोड़ की धनराशि को हस्तांतरित करने हेतु ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

6.2 बिना शुल्क के पूर्वव्यापी उच्चतर एफएआर की अनुमति के द्वारा विकासकर्ता को अनुचित लाभ

बिना किसी शुल्क को प्रभारित किये ही हाई-टेक विकासकर्ता को पूर्वव्यापी उच्चतर एफएआर की अनुमति देने के विभाग के निर्णय के कारण विकासकर्ता को ₹ 170.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्याओं को कम करने और शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने 1,500 एकड़ भूमि पर न्यूनतम ₹ 750 करोड़ के निवेश के साथ हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए निजी विकासकर्ताओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से एक हाई-टेक टाउनशिप नीति (हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003) बनायी (नवम्बर 2003)। हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को 150 आवासीय इकाइयाँ/750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के घनत्व³ के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)⁴ 1.5 अनुमन्य था।

जीओयूपी ने नगर निगम वाले शहरों में सम्बंधित शहरों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं पर ₹ 1.50 लाख प्रति एकड़ की दर

¹ इस निधि में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/ऋण, केन्द्रीय आयोग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये सभी शुल्क और सभी प्राप्तियाँ शामिल होंगी। केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद सीईआरसी अपने वार्षिक बजट के विरुद्ध निधि से राशि निकाल सकता है।

² एकत्र किये गये शुल्क, जुर्माना एवं अन्य प्रभार: ₹ 95.74 करोड़ + बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज: ₹ 6.27 करोड़।

³ आवासीय घनत्व प्रति हेक्टेयर आवास इकाइयों/व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में व्यक्त किया गया।

⁴ एक भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल द्वारा एक भवन के सभी मंजिलों के संयुक्त कवर क्षेत्र को विभाजित करके प्राप्त भागफल।

से नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) लगाने का निर्णय लिया (सितंबर 2007)। इसके अतिरिक्त, आवास और शहरी नियोजन विभाग, जीओयूपी (विभाग) ने हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को 200 आवास इकाईयां/1000 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर उच्चतर घनत्व तथा 2.5 उच्चतर एफएआर का लाभ विस्तारित किया (अगस्त/दिसम्बर 2008) और सीडीसी की दरों में भी वृद्धि कर ₹ 3.00 लाख प्रति एकड़ कर दिया।

विभाग ने अपने आदेश (23 अप्रैल 2010) से स्पष्ट किया कि सीडीसी उन विकासकर्ताओं के मामले में पूर्वव्यापी रूप से नहीं आरोपित किया जाएगा जो कि हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत चुने गए थे तथा जिन्होंने टाउनशिप के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल के लिए 2005 में एमओयूज़ पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालाँकि, विभाग ने इन विकासकर्ताओं को अपने अगस्त 2008 के आदेश के द्वारा पूर्वव्यापी रूप से अनुमत मूल अनुमोदित क्षेत्रफल पर उच्चतर घनत्व एवं उच्चतर एफएआर के लिए कोई शुल्क⁵ नहीं लगाया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2018) से यह पता चला कि लखनऊ में एक हाई-टेक टाउनशिप के विकास के लिए जीओयूपी द्वारा एक विकासकर्ता⁶ को चयनित किया गया था (मई 2005)। विकासकर्ता तथा एलडीए के मध्य नवंबर 2005 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभिलेखों की संवीक्षा से आगे यह ज्ञात हुआ कि सरकार के आदेश (23 अप्रैल 2010) के अनुसार, विकासकर्ता को 1765 एकड़ भूमि के अनुमोदित ले-आउट पर ₹ 34.92 करोड़ (परिशिष्ट-6.1) के सीडीसी का भुगतान करने से छूट इस आधार पर दी गयी कि यह 2007 में लागू हुआ था तथा इसलिए ऐसे विकासकर्ता पर लागू नहीं होगा जो हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत चुना गया था और एलडीए के साथ 2005 में एमओयू किया था। उसी समय, विभाग ने 24 प्रकरणों (216.38 एकड़) में बिना ₹ 170.99 करोड़ (परिशिष्ट-6.2) के शुल्क⁷ आरोपित किए उच्चतर एफएआर की अनुमति दी यद्यपि विकासकर्ता मई 2005 में चुना गया था और हाई-टेक टाउनशिप के ले-आउट्स का अनुमोदन नवंबर 2006 से नवंबर 2008 की अवधि के दौरान किया गया था। इसलिए, यह एलडीए के वित्तीय हितों के लिए हानिकारक था।

अतः विकासकर्ता को, इस आधार पर कि विकासकर्ता सीडीसी के आरोपण (2007) से पहले चुना गया था, पूर्वव्यापी रूप से सीडीसी की छूट की अनुमति देना और विकासकर्ता पर उच्चतर एफएआर के लिए शुल्क भी आरोपित नहीं किया गया क्योंकि आवंटन हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अन्तर्गत हुआ था, के परिणामस्वरूप एलडीए को ₹ 170.99 करोड़ की सीमा तक हानि हुई।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

⁵ चूँकि विभाग ने हाई-टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं पर पूर्वव्यापी रूप से अनुमन्य किये गये उच्चतर एफएआर के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया, लेखापरीक्षा ने उच्च एफएआर के लिए देय शुल्कों की गणना के लिए क्रय योग्य एफएआर के लिए लागू दर पर विचार किया है।

⁶ मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

⁷ क्रय योग्य एफएआर के लिए लागू दर पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6.3 दोषयुक्त अनुबंध प्रावधान के कारण प्रतिभूति जमा पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

अनुबंध में प्रतिभूति जमा के लिए मानक प्रावधान को शामिल करने में विफलता के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण को ₹ 2.40 करोड़ का ब्याज देना पड़ा।

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने 22 मार्च 1983 के अपने आदेश के द्वारा निर्देशित किया कि अनुबंध की लागत के 10 प्रतिशत की राशि अनुबंध के निष्पादन के समय प्रतिभूति जमा⁸ के रूप में जमा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जीओयूपी द्वारा अनुमोदित (मार्च 1972) लखनऊ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के मानक अनुबंध प्रलेख (जीपीडब्ल्यू फार्म 9) में भी प्रावधानित है कि किये गये कार्य के लिए प्रत्येक रनिंग बिल से 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि में कटौती करने, जब तक कि निविदा के साथ जमा की गयी अर्नेस्ट मनी को जोड़कर निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर नहीं हो जाती है, की अनुमति ठेकेदार, विभाग को देगा।

प्राधिकरण ने बहुमंजिला अपार्टमेंट (जानकीपुरम सेक्टर—जे योजना में सृष्टि अपार्टमेंट और स्मृति अपार्टमेंट) के निर्माण के लिए टर्नकी आधार पर क्रमशः ₹ 82.84 करोड़ और ₹ 92.23 करोड़ के अनुबंध मूल्य के दो अनुबंध एक ठेकेदार⁹ को प्रदान किये (मई 2010¹⁰ और जून 2011¹¹)।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2019) कि प्राधिकरण ने जीओयूपी के आदेश के अनुसार और जीओयूपी द्वारा अनुमोदित जीपीडब्ल्यू फार्म—9 द्वारा नियत 10 प्रतिशत का उल्लंघन करते हुये अनुबंध लागत के दो प्रतिशत की दर से ठेकेदार द्वारा जमा करने हेतु प्रतिभूति जमा का प्रावधान अनुबंध की सामान्य शर्तों में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में ₹ 8.28 करोड़ और स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में ₹ 9.22 करोड़ (अनुबंध लागत का 10 प्रतिशत) के बजाय क्रमशः ₹ 1.66 करोड़ और ₹ 1.86 करोड़ की प्रतिभूति जमा की गयी, जिससे दोनों अनुबंधों में ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया और ठेकेदार द्वारा चूक की स्थिति में लागत की वसूली की संभावना को जोखिम में डाल दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण ने काम में देरी होने के कारण दोनों अनुबंधों को रद्द कर दिया (सृष्टि अपार्टमेंट दिसंबर 2017 में और स्मृति अपार्टमेंट फरवरी 2018 में), तथापि, प्राधिकरण अभी तक (सितंबर 2020) ठेकेदार से ₹ 12.06 करोड़ (₹ 4.32 करोड़ सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में और ₹ 7.74 करोड़ स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में) की वसूली नहीं कर सका। यदि प्राधिकरण द्वारा जीओयूपी आदेश/मानक अनुबंध प्रलेख के अनुसार प्रभावी प्रतिभूति जमा प्राप्त कर लिया जाता तो ठेकेदार से ₹ 11.68 करोड़¹² की अप्राप्ति का परिहार किया जा सकता था।

⁸ प्रतिभूति जमा की राशि में ठेकेदार द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की राशि भी शामिल है। प्रतिभूति जमा लेने का उद्देश्य यह है कि यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में चूक करता है, तो प्रतिभूति जमा को जब्त किया जा सकता है और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

⁹ मै0 मार्ग लिमिटेड।

¹⁰ अनुबंध बॉन्ड संख्या 2181/मुख्य अभियंता दिनांक 02.07.2010।

¹¹ अनुबंध बॉन्ड संख्या 2512 दिनांक 28.06.2011।

¹² सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में यदि प्रतिभूति जमा ₹ 6.62 करोड़ (₹ 8.28 करोड़ - ₹ 1.66 करोड़) से कम वसूल नहीं किया गया होता तो ₹ 4.32 करोड़ की धनराशि वसूल की जा सकती थी और स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में, वसूली योग्य राशि ₹ 7.74 करोड़ के विरुद्ध कम वसूली की राशि अर्थात् ₹ 7.36 करोड़ (₹ 9.22 करोड़ - ₹ 1.86 करोड़) तक वसूली जा सकती थी।

निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) या लेटर ऑफ आवार्ड में सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार 10 प्रतिशत प्रतिभूति जमा की कटौती या जमा करने के लिए स्पष्ट उल्लेख करने में प्राधिकरण विफल रहा। तथापि, प्राधिकरण ने दोनों प्रकरणों में अनुबंध के प्रावधान की कमी को पूरा करने के लिए ठेकेदार के रनिंग बिलों में से प्रतिभूति जमा (आठ प्रतिशत की दर से) की कटौती करना शुरू कर दिया (फरवरी 2011 और फरवरी 2012)।

ठेकेदार द्वारा रनिंग बिलों से प्रतिभूति जमा की कटौती को आर्बिट्रेशन में चुनौती दी गयी (मई 2014)। आर्बिट्रेटर ने अपने अंतरिम आदेश (मई 2015) में प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा की कटौती नहीं करने के लिए निर्देशित किया। तथापि, प्राधिकरण ठेकेदार के रनिंग बिलों से जनवरी 2017 तक प्रतिभूति जमा की कटौती करता रहा और सृष्टि अपार्टमेंट अनुबंध के प्रकरण में कुल राशि ₹ 5.40 करोड़ और स्मृति अपार्टमेंट अनुबंध के प्रकरण में कुल ₹ 4.77 करोड़ की कटौती कर लिया।

परिणामस्वरूप आर्बिट्रेटर ने अपने अंतिम निर्णय (अक्टूबर 2016) में, प्रतिभूति कटौती की गयी जमा राशि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ ठेकेदार को वापस करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश दिया क्योंकि अनुबंधों में बिना प्रावधान के इसकी कटौती की गयी थी। अनुपालन में, अधिक कटौती की गयी प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 10.17 करोड़ के साथ ₹ 2.40 करोड़¹³ ब्याज की राशि प्राधिकरण ने ठेकेदार को वापस कर दिया।

इस प्रकार, एनआईटी/एलओए/अनुबंध प्रपत्र में 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति जमा की राशि की कटौती का मानक प्रावधान शामिल नहीं करने के कारण कटौती की गयी प्रतिभूति जमा की राशि को प्राधिकरण द्वारा वापस करना पड़ा एवं ₹ 2.40 करोड़ के ब्याज का भी भुगतान करना पड़ा। अनुबंध निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों¹⁴ की सम्यक सतर्कता में कमी के कारण यह त्रुटि हुयी।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में कहा कि आर्बिट्रेटर के निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा ब्याज के रूप में ₹ 2.40 करोड़ का भुगतान किया गया। अपार्टमेंटों की लागत में इस राशि को शामिल करके हानि को वसूल कर लिया गया है, इसलिये प्राधिकरण को कोई हानि नहीं हुई है।

प्राधिकरण का उत्तर केवल आर्बिट्रेशन के निर्णय एवं उसके सापेक्ष भुगतान को सन्दर्भित करता है। तथापि, यह जीओयूपी द्वारा अनुमोदित मानक अनुबंध प्रलेख और जीओयूपी के विद्यमान आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की ओर इंगित नहीं करता है। आगे, प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मानक अनुबंध प्रलेख का अनुपालन नहीं करने के कारण अपार्टमेंटों की लागत में इसे शामिल करके हानि की क्षतिपूर्ति करना केवल अंतिम उपयोगकर्ताओं/खरीदारों के लिए लागत में वृद्धि करेगा।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2020)।

¹³ सृष्टि अपार्टमेंट के प्रकरण में ब्याज भुगतान ₹ 1.53 करोड़ और स्मृति अपार्टमेंट के प्रकरण में ₹ 0.87 करोड़ है।

¹⁴ अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6.4 ठेकेदार को अनुचित लाभ

पाइल कार्य की अतिरिक्त मद का अधिक दरों पर निष्पादन करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.41 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 265.59 करोड़¹⁵ की परियोजना लागत के साथ जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (जेपीएनआईसी)¹⁶ के निर्माण को अनुमोदित किया (मार्च 2013) तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया। एलडीए ने जेपीएनआईसी¹⁷ के निर्माण कार्य को एक ठेकेदार¹⁸ को ₹ 149.60 करोड़ की लागत (अनुमानित लागत से 12.35 प्रतिशत अधिक) पर अनुबन्धित किया (मई 2013)।

सलाहकार द्वारा प्रस्तुत (जनवरी 2013) मूल भवन ले-आउट योजना में हेलीपैड का प्रावधान नहीं था। हालाँकि, राष्ट्रीय भवन संहिता की आवश्यकता के अनुसार छत के ऊपर हेलीपैड का प्रावधान कार्य में बाद में शामिल किया गया। इसके फलस्वरूप जून 2013 में नींव के कार्य में 600 एमएम व्यास के पाइल कार्य¹⁹ को 1,000 एमएम व्यास पाइल कार्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया जैसा कि सलाहकार द्वारा मानदण्डों के अनुसार भवन पर भार गुणांक को विचार करते हुए प्रस्तावित किया गया था (जून 2013)। एलडीए ने उपरोक्त आवश्यकता के आधार पर नींव के कार्य में 1,000 एमएम व्यास पाइल कार्य को एक अतिरिक्त मद के रूप में अनुमोदित कर दिया (अगस्त 2013)।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसंबर 2017) कि विचलन विवरण²⁰ में नींव में 1,000 एमएम व्यास पाइल कार्य की दरें दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) 2012 से ली गयी थीं तथा डीएसआर 2013, जो कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 14 अगस्त 2013 को प्रकाशित किया गया (अर्थात् विचलन विवरण के अनुमोदन से पहले), में दी हुयी मद की निम्न दर को बिना ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कराया गया (23 अगस्त 2013)। आगे यह भी देखा गया कि कार्य के निष्पादन में शामिल सभी अतिरिक्त मदों²¹ के लिए विचलन विवरण को, तथ्यों को गलत ठहराते हुए कि अतिरिक्त मदों की दरें डीएसआर 2012 एवं अनुमानित लागत का निविदा प्रतिशत (12.35 प्रतिशत) तथा डीएसआर 2013 में से जो कम हो पर अनुमोदित किया गया था (मई 2014)।

इस प्रकार, अतिरिक्त मदों के विचलन विवरण के अनुमोदन में डीएसआर 2013 की दरों पर विचार न करने के कारण एलडीए ने ₹ 8,201.40 प्रति मीटर (डीएसआर 2013) की दर के बजाय ठेकेदार को 1,000 एमएम पाइल कार्य का भुगतान ₹ 8,773.69 प्रति मीटर (डीएसआर 2012, 12.35 प्रतिशत सहित) की दर से कर दिया। इसके कारण ठेकेदार को 24,680 मीटर की कुल निष्पादित मात्रा के विरुद्ध

¹⁵ नवंबर 2016 में ₹ 864.99 करोड़ पर संशोधित।

¹⁶ परियोजना में मुख्य भवन (अधिवेशन केन्द्र), संग्रहालय भवन, पार्किंग सेवाएं, स्थल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सुविधाएं, विद्युत एवं अग्नि प्रणाली, सौर पैनल इत्यादि सम्मिलित थे।

¹⁷ अधिवेशन केन्द्र तथा संग्रहालय भवन का निर्माण।

¹⁸ शालीमार कॉर्प लिमिटेड।

¹⁹ सलाहकार द्वारा प्रारम्भ में प्रस्तावित।

²⁰ विचलन विवरण एलडीए के अवर अभियंताओं तथा सहायक अभियंताओं द्वारा तैयार किया गया।

²¹ विचलन विवरण के 36 मदों में से 1,000 एमएम पाइल कार्य मद हेतु दर डीएसआर 2012 के अनुसार ली गयी थी तथा अतिरिक्त सीमेन्ट मद हेतु दर डीएसआर 2013 के अनुसार ली गयी थी। अतिरिक्त 34 मदों के लिये डीएसआर 2013 में दरें उपलब्ध नहीं थीं।

₹ 1.41 करोड़²² का अनुचित लाभ हुआ तथा इसी सीमा तक राजकीय खजाने को हानि हुई।

उत्तर में प्राधिकरण ने कहा (मार्च 2018) कि जब 1,000 एमएम व्यास के पाइल कार्य के अनुमोदन के लिए विचलन अग्रसारित किया जा रहा था (8 अगस्त 2013), डीएसआर 2013 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था, अतः डीएसआर 2012 की दर 12.35 प्रतिशत सहित विचारित तथा अनुमन्य की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपाध्यक्ष द्वारा 23 अगस्त 2013 को अतिरिक्त मद की दर के अनुमोदन के पूर्व ही डीएसआर 2013 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था और इसलिए दर अनुमोदन के समय लागू डीएसआर 2013 के अनुसार दर को संशोधित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

मेरठ विकास प्राधिकरण

6.5 उपाध्यक्ष के लिए निवास के निर्माण पर अतिशय व्यय

राज्य सरकार के मानदण्डों के उल्लंघन में मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने उपाध्यक्ष के एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए ₹ 5.36 करोड़ के भूमि के भूखण्ड पर ₹ 2.94 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

वित्तीय विवेक के प्रकरण में, प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं निधियों के लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पात्रता, वित्तीय व्यवहार्यता एवं कार्य साध्यता के समुचित अभिनिर्धारण के पश्चात ही किसी कार्य को प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमानों के आधार पर आवासीय पात्रता निर्धारित की (फरवरी 2009)²³। इस आदेश के अनुसार, वेतनमान पीबी-3 (₹ 15,600-39,100 ₹ 7,600 ग्रेड वेतन के साथ) में एक अधिकारी एक टाइप-V श्रेणी के आवास के लिए पात्र था। आगे, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जीओयूपी आदेश (नवंबर 2011) के अर्न्तगत टाइप-V श्रेणी के लिए 225.40 वर्ग मीटर (2,426 वर्ग फीट) का कुर्सी क्षेत्रफल का प्रावधान किया गया। तदनुसार, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष (वीसी) 225.40 वर्ग मीटर (व0मी0) वाले टाइप-V श्रेणी आवास के लिए पात्र²⁴ थे।

प्राधिकरण ने अपनी 99वीं बोर्ड की बैठक में अपनी गंगा नगर आवासीय योजना में एक 2,000 व0मी0 (21,528 वर्ग फीट) क्षेत्रफल के एक भूखण्ड पर वीसी हेतु एक आवासीय भवन के निर्माण को अनुमोदित किया (अप्रैल 2013)। आगे, गंगा नगर योजना में अतिक्रमण और एक न्यायालयीय प्रकरण के कारण प्राधिकरण ने अपनी 104वीं बोर्ड बैठक (दिसंबर 2014) में वीसी हेतु आवासीय भवन के स्थल को अपनी शताब्दी नगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 में ₹ 5.36 करोड़ के मूल्य वाले 4,664.46 व0मी0 (50,208 वर्ग फीट) क्षेत्रफल के एक भूखण्ड पर, जो कि वन विभाग से प्राप्त किया गया था, पर स्थानांतरण के लिए अनुमोदित किया। प्राधिकरण ने नवंबर 2016 तक निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ ₹ 6.95 करोड़ की लागत के लिए (सितंबर 2015 में

²² 24,680 मीटर x ₹ 572.29 (दर का अन्तर)।

²³ आदेश संख्या आर-168/32-2-2009-27/2001 के द्वारा।

²⁴ चूंकि प्राधिकरण के पास वीसी के आवासीय पात्रता के लिए कोई नियम/दिशा-निर्देश नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आवासीय पात्रता के लिए जीओयूपी/पीडब्ल्यूडी आदेश के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

₹ 7.17 करोड़²⁵ पर संशोधित) एक ठेकेदार को कार्य आवंटित किया (मई 2015)। इस प्रकार, वीसी के आवास की कुल अनुमानित लागत भूमि की लागत के साथ ₹ 12.53 करोड़ थी। निर्माण कार्य मई 2015 में प्रारम्भ हुआ और अक्टूबर 2016 तक जारी रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2017) कि प्रस्तावित वीसी आवास में 9,700 वर्ग फीट के मनोरंजन क्षेत्र के अतिरिक्त 20,000 वर्ग फीट²⁶ के आच्छादित क्षेत्रफल का एक तीन मंजिला आवासीय भवन शामिल था। मनोरंजन क्षेत्र में एक स्वीमिंग पुल और जिम के सहित हेल्थ क्लब, स्टीम, सौना, स्नूकर तथा टेबल टेनिस की सुविधाएं शामिल थीं।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधूरे भवन के वैकल्पिक प्रयोगों का प्रस्ताव देने के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित (नवंबर 2016) एक समिति ने अपने व्यवहार्यता प्रतिवेदन में निष्कर्ष दिया कि भवन में निहित कई वास्तु दोष, उच्च रखरखाव लागत, इत्यादि वाली अव्यवहारिक संरचना के कारण, इसका प्रयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। अग्रेतर, उन्होंने भवन को नीलाम करने का सुझाव दिया जो यह इंगित करता है कि संपूर्ण निर्माण कार्य की योजना, इसकी साध्यता और वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन किए बिना बनायी गयी थी।

फलस्वरूप, बोर्ड ने अपनी 108वीं बैठक (दिसंबर 2016) में, परियोजना की अत्यधिक लागत, भविष्य में होने वाले मरम्मत तथा रखरखाव के व्यय एवं प्राधिकरण हेतु भवन की उपयोगिता पर विचार करके निर्माणाधीन कार्य को स्थगित करने एवं इसके अन्य उपयोगों का अन्वेषण करने अथवा *जैसा है—जहाँ है* के आधार पर नीलामी के द्वारा इसका विक्रय करने का निर्णय लिया। तदनुसार, प्राधिकरण ने भवन पर ₹ 2.94 करोड़²⁷ व्यय करने के पश्चात निर्माण कार्य को रोक दिया (दिसंबर 2016)।

इस प्रकार, पात्रता एवं वित्तीय व्यवहार्यता रहित एक अनौचित्यपूर्ण विशाल भूखण्ड क्षेत्र पर वीसी आवास के निर्माण के कारण निर्माण कार्य पर हुआ ₹ 2.94 करोड़ का व्यय निष्फल होने के साथ-साथ समय व्यतीत होने के साथ इसके मूल्य में क्षरण भी हुआ। इसके अलावा ₹ 5.36 करोड़ लागत की मूल्यवान भूमि भी अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2019 तथा नवंबर 2019 के दौरान हुई ई-नीलामी में भवन को क्रय करने हेतु किसी आवेदक ने आवेदन नहीं किया।

प्राधिकरण के स्तर पर वीसी के लिए 20,000 वर्ग फीट के एक आवास के लिए ₹ 8.30 करोड़ का व्यय (भूमि की लागत तथा निर्माण) करना अत्यन्त अविश्वसनीय तथा औचित्य के स्थापित मानदण्डों के विरुद्ध था जबकि वह जीओयूपी के फरवरी 2009 के आदेश के अनुसार मात्र 2,426 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले टाइप-V भवन के लिए पात्र था।

उत्तर में, प्राधिकरण ने कहा (जून/सितंबर 2020) कि निर्माण की अत्यधिक लागत, भविष्य में रखरखाव पर उच्च व्यय और प्राधिकरण को भवन की उपयोगिता पर विचार करके निर्माण कार्य रोक दिया गया। अर्ध-निर्मित भवन के विक्रय के लिए अभी तक (सितंबर 2020) कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नीलामी के द्वारा इसके विक्रय के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

²⁵ सलाहकार द्वारा प्रस्तुत आरेखण के अनुसार आरसीसी (1: 1.5: 3) के स्थान पर एम-25 ग्रेड कंक्रीट के प्रावधान के कारण।

²⁶ अधूरे भवन के वैकल्पिक उपयोग का प्रस्ताव देने के लिए प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2016 में गठित समिति के साध्यता प्रतिवेदन के अनुसार।

²⁷ ठेकेदार को ₹ 2.33 करोड़ का भुगतान + वास्तुविद् को भुगतान किया गया शुल्क ₹ 0.12 करोड़ + निविदा प्रक्रिया पर ₹ 0.01 करोड़ + लंबित भुगतानों पर ₹ 0.48 करोड़ (ठेकेदार के ₹ 0.43 करोड़ एवं वास्तुविद् के ₹ 0.05 करोड़)।

प्राधिकरण का उत्तर प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं करता है कि प्राधिकरण के बोर्ड ने पात्रता के मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव को कैसे अनुमोदित कर दिया। अक्टूबर 2019 एवं नवंबर 2019 के दौरान हुई ई-नीलामी में सहभागिता का अभाव इसकी त्रुटिपूर्ण डिजायन एवं अर्ध-निर्मित भवन की परिणामी क्षीण स्थिरता तथा उपयोग को भी इंगित करती है। वर्तमान प्रकरण प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से सम्बंधित प्रस्ताव के सम्बंध में बोर्ड द्वारा सम्यक विवेक के त्याग को इंगित करता है।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

संस्तुति :

बोर्ड द्वारा नियंत्रण की विफलता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को सभी विकास प्राधिकरणों के विशेष रूप से मुख्य कार्यकारी/उपाध्यक्ष/समकक्षों से सम्बंधित प्रस्तावों के अनुमोदन प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

6.6 विकासकर्ता को अनुचित लाभ

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ₹ 2.51 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क की वसूली न करके विकासकर्ता को अनुचित लाभ दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास और नगरीय मूलभूत संरचना की बढ़ती मांग को पूरा करने और आवास क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मई 2005 में शहरी क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए नीति तैयार की। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकासकर्ता के द्वारा उसकी लागत पर भूमि के संयोजन एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। आगे इस नीति के अनुसार विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण के लिए विकासकर्ता इसको देय दस प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क सहित अधिग्रहण शुल्क का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा की जांच (जनवरी 2016 और नवंबर 2019) में पता चला कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने एक एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता²⁸ के लिए 22.3608 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के दो प्रस्ताव अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2010 के दौरान प्रस्तुत किये। भूमि का अधिग्रहण फरवरी 2013 से मई 2015 की अवधि के दौरान किया गया था और भूमि प्रीमियम के ₹ 25.14 करोड़ वसूल करने के बाद फरवरी 2013 से जून 2015 की अवधि के दौरान विकासकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण ने विकासकर्ता से वसूल किये गये अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क ₹ 2.51 करोड़ (परिशिष्ट-6.3) की धनराशि को शामिल नहीं किया।

इस प्रकार, विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली धनराशि में प्रशासनिक शुल्क शामिल न करने के कारण विकासकर्ता को ₹ 2.51 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर (जुलाई 2018 और मार्च 2020) में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की स्पष्टता न होने के कारण प्रशासनिक शुल्क नहीं लगाया जा सका। अग्रेतर, प्रशासनिक शुल्क की वसूली के लिए एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता को एक मांग पत्र (जुलाई 2020) जारी किया गया है। अतएव,

²⁸ अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लिमिटेड।

विकासकर्ता से प्रशासनिक शुल्क अभी भी वसूला जाना है (सितंबर 2020)। उक्त प्रशासनिक शुल्क की वसूली में विफलता के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2020)। उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2020)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

6.7 प्रीमियम तथा पट्टा किराया आरोपित एवं वसूल नहीं किया जाना।

वन एवं वन्यजीव विभाग गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 22.53 करोड़ के प्रीमियम तथा पट्टा किराया को आरोपित करने एवं वसूलने में विफल रहा।

भारत सरकार (जीओआई) ने गैर-वानिकी उपयोग के लिए जुलाई 1999 से नवंबर 2015 की अवधि में वन एवं वन्यजीव विभाग (विभाग) के तीन प्रभागों²⁹ में तीन पट्टाधारकों³⁰ को 20.969 हेक्टेयर वन भूमि का परिवर्तन अनुमोदित किया। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने अगस्त 2000 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान 20.969 हेक्टेयर वन भूमि के पट्टे के आधार पर हस्तांतरण के अनुमोदन हेतु अधिसूचनाएं जारी कीं। 25 वर्षों से 30 वर्षों की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित किए जाने थे। जीओयूपी के अनुमोदनानुसार, जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा नियत किए गए प्रचलित बाजार दर के बराबर पट्टाधारकों के द्वारा प्रीमियम और प्रीमियम के 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक पट्टा किराया जमा करने के पश्चात ही भूमि का कब्जा पट्टाधारकों को देना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर-नवंबर 2019) कि जीओयूपी के अनुमोदन की शर्तों के बावजूद, सम्बंधित प्रभागों के वनाधिकारियों³¹ ने पट्टाधारकों के साथ पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया और प्रचलित बाजार दर पर ₹ 16.91 करोड़ का पट्टा प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराया ₹ 5.62 करोड़³² (परिशिष्ट-6.4) अभी तक (जून 2020) वसूल नहीं किया यद्यपि भूमि पट्टाधारकों के कब्जे में थी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए अभिलेखों में इसके कारण नहीं पाए गए।

अतः प्रीमियम और पट्टा किराया को जमा करने तथा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात ही प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि का कब्जा प्रदान करने के सरकारी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की विफलता के कारण विभाग ₹ 22.53 करोड़³³ का प्रीमियम तथा पट्टा किराया वसूल करने में विफल रहा।

उत्तर में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा (जून 2020) कि मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड के प्रकरण में जिलाधिकारी गोंडा से अभी तक भूमि की बाजार दर प्राप्त नहीं हुई है। बाजार दर प्राप्त होने के पश्चात मूल्यांकन किया जाएगा तथा पट्टाधारक से धनारशि की वसूली की जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रकरण में यह कहा गया कि प्रकरण राज्य सरकार को सन्दर्भित किया गया है तथा सरकार के निर्णय के अनुसार वसूली की

²⁹ डीएफओ गोंडा, डीएफओ जी.बी. नगर तथा डीडीएसएफ ललितपुर।

³⁰ बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

³¹ वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी।

³² पट्टा प्रीमियम तथा पट्टा किराया की गणना सितंबर 2019 तक की गयी है।

³³ ब्याज के घटक को गणना में नहीं लिया गया है।

जाएगी। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड³⁴ (यूपीएसईबी) के प्रकरण में देयों की वसूली के लिए जिलाधिकारी झाँसी को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने तथा उपयोगकर्ताओं से देयों की वसूली होने के बाद ही वन भूमि का कब्जा देने के सम्बंध में मई 2020 में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

तथ्य यह है कि उपरोक्त प्रकरणों में वन प्रभागों ने बिना पट्टा विलेख निष्पादित किये तथा प्रीमियम और पट्टा किराये की वसूली के भूमि को दे दिया। विभाग राज्य सरकार के वित्तीय हितों की सुरक्षा एवं निगरानी करने में तथा उपरोक्त प्रकरणों में जवाबदेही तय करने में भी विफल रहा।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

6.8 उच्च दर पर सफाई का अनुबंध प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय

लागत विश्लेषण तैयार करने में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सम्यक सतर्कता के अभाव के कारण दो सफाई अनुबंधों को उच्च दर पर दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अनुबंध के पूर्ण होने तक ₹ 3.04 करोड़ तक बढ़ जाएगा।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने ग्रेटर नोएडा टाउनशिप की मुख्य सड़कों के एकीकृत मैकेनिकल और मैनुअल स्वीपिंग (आईएमएमएस) के लिए दो ई-निविदाएं आमंत्रित की (मई 2016)। पहला ई-टेंडर 260.27 हेक्टेयर (भाग-I) के सफाई क्षेत्रफल के लिए जबकि दूसरा ई-टेंडर 163.22 हेक्टेयर (भाग-III) के सफाई क्षेत्रफल के लिए, प्रत्येक सात वर्ष के कार्यकाल के लिए था।

जीएनआईडीए की निविदा समिति ने दोनों भाग-I एवं III के सफाई क्षेत्रों के लिए न्यूनतम निविदादाता³⁵ को सहमत दर ₹ 470 प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर, जो ₹ 474.47 प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर की विश्लेषित दर से कम थी, पर अनुबंध प्रदान किया (अगस्त 2016)। भाग-I एवं भाग-III के लिए कुल अनुबंध मूल्य क्रमशः ₹ 31.25 करोड़ तथा ₹ 19.60 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2018) कि ₹ 474.47 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन की विश्लेषित दर जीएनआईडीए द्वारा निम्नलिखित को सम्मिलित करने के कारण उच्चतर थी।

- एक स्वीपिंग मशीन के लिए एक केन्द्रीय ब्रश प्रति माह की लागत के स्थान पर एक स्वीपिंग मशीन के लिए दो केन्द्रीय ब्रश के सेट की लागत, तथा
- श्रमिकों के लिए वर्दी की मासिक लागत के स्थान पर वार्षिक लागत।

लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय ब्रश और वर्दी की सही दरों को लागू करके प्रति हेक्टेयर प्रति दिन की दर का भी विश्लेषण किया, जो ₹ 441.94 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन आंकलित की गयी। इस प्रकार जीएनआईडीए द्वारा आंकलित विश्लेषित दर ₹ 474.47 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन, दरों के विश्लेषण में स्वीपिंग मशीन के केन्द्रीय ब्रश और श्रमिकों की वर्दी की गलत दरों के लगाने से, ₹ 32.53 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन (परिशिष्ट-6.5) से उच्चतर थी।

³⁴ वर्तमान में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

³⁵ मै0 एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल प्राइवेट लिमिटेड।

इस प्रकार, सफाई अनुबंधों की दरों के लागत विश्लेषण को तैयार करते समय जीएनआईडीए के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों³⁶ द्वारा समुचित सजगता में कमी के कारण जीएनआईडीए ने सितंबर 2016 से मई 2020 तक की अवधि में दोनों अनुबंधों के अर्न्तगत कराये गये कार्य पर ₹ 28.06³⁷ प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के उच्च दर अनुबंध के कारण ₹ 1.60 करोड़³⁸ का अधिक व्यय किया। सात वर्षों की अनुबंध अवधि पूरी होने तक यह अतिरिक्त व्यय बढ़कर ₹ 3.04 करोड़³⁹ हो जाएगा।

जीएनआईडीए ने अपने उत्तर (जून 2020) में, लागत विश्लेषण में श्रमिकों के लिए वर्दी की गलत दरों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया है। आगे, जीएनआईडीए ने बताया कि इसने दोनों पैकेज में से प्रत्येक (भाग-I और III दोनों) के लिए दो मशीनों के लिए दो केन्द्रीय ब्रशों की सही लागत ₹ 1,41,961.42⁴⁰ प्रति माह को लिया था।

केन्द्रीय ब्रश के लिए जीएनआईडीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ब्रश के स्थान पर गलत तरीके से दो ब्रशों की लागत ली गयी थी जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह लागत अधिक आयी थी। जीएनआईडीए ने मासिक लागत में चार ब्रश की दर प्रयुक्त की थी जबकि प्रति माह दो मशीनों के लिए केवल दो ब्रशों की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उसी ठेकेदार के साथ भाग-II के लिए किये गये अनुबंध (मई 2012) के लागत विश्लेषण में दो मशीनों प्रति माह के लिए केवल दो मुख्य (केन्द्रीय) ब्रशों को लिया गया था, जिससे लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि होती है।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतिक्षित है (सितंबर 2020)।

लेखापरीक्षा प्रभाव

6.9 कार्य की अतिरिक्त मद के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को कार्य की अनुमानित लागत से 33.66 प्रतिशत अधिक पर ₹ 188.81 करोड़ पर आवंटित किया (अक्टूबर 2011)। अनुबंध की सामान्य शर्तों के उपबन्ध 13 (iii) के अनुसार, यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य में कोई ऐसे कार्य शामिल हैं जिनके लिए अनुबंध में कोई दरें निर्दिष्ट नहीं हैं और न ही अनुबंध में समान वर्ग के कार्य से दरें प्राप्त की जा सकती हैं, तब ऐसा कार्य डीएसआर-2007 में दी गयी दरों में कुल निविदा धनराशि जैसा कि निविदा में ली गयी है, सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत से कम/ज्यादा दी गयी प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त निष्पादित मदों की जांच से ज्ञात हुआ कि प्राधिकरण ने 6,340.24 वर्ग मीटर 12 एमएम "ग्रीनलम कम्पनी मेक" प्री-लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड (दोनों तरफ से लेमिनेटेड एम.एस. फ्रेम कार्य के लिए दोनों तरफ स्वतः चिपकने वाला उच्च बंधन टेप) को एक अतिरिक्त मद के रूप में अनुमोदित किया। हालाँकि, अनुबंध के उपबन्ध 13 (iii) की उपरोक्त शर्तों के विपरीत प्राधिकरण ने ₹ 1,685.86⁴¹ प्रति वर्ग मीटर के बजाय ₹ 3,409.82 प्रति वर्ग मीटर की दर से "ग्रीनलम कम्पनी मेक" पार्टिकल

³⁶ सहायक प्रबंधक, प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक।

³⁷ अनुबंधित दर ₹ 470 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन में से सही विश्लेषित दर ₹ 441.94 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन घटाने पर।

³⁸ 1350 दिन x 423.49 हेक्टेयर x ₹ 28.06 प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन।

³⁹ अनुबंध की अवधि के दौरान उपाजित अतिरिक्त देयता (₹ 50.85 करोड़ - ₹ 47.81 करोड़)।

⁴⁰ ₹ 70,980.71 x 2 पैकेज = ₹ 1,41,961.42।



⁴¹ डीएसआर-2007 के अनुसार दर में 33.66 प्रतिशत जोड़कर।

बोर्ड की उच्चतर दर की अनुमति दी जोकि प्रति वर्ग मीटर ₹ 1,723.96 अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया (जून 2020) तथा कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹ 1.09 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.10 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

लखनऊ

दिनांक **19 फरवरी 2021**

(जयंत सिन्हा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक **23 फरवरी 2021**
FEB



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1

(प्रस्तर 1.9, 1.10 एवं 1.13 में संदर्भित)

नवीनतम वर्ष के अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का वर्ष	ब्याज एवं करों से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी ¹	निवल मूल्य/ शोयस्धारकों की निधि ²	संचित लाभ/ हानि
अ	उत्पादन								
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	1138.79	123.75	9358.47	12305.55	23956.03	12928.09	1173.67
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	5.33	-17.20	107.43	434.53	233.90	81.82	-352.71
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्रम सं० 1 की सहायक कम्पनी)	2018-19	3.74	2.64	0	551.05	1802.31	553.43	2.38
उप योग (अ)			1147.86	109.19	9465.90	13291.13	25992.24	13563.34	823.34
ब	पारेषण								
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	706.60	-356.27	2364.28	14060.07	23152.35	12250.65	-1809.24
उप योग (ब)			706.60	-356.27	2364.28	14060.07	23152.35	12250.65	-1809.24
स	वितरण								
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	163.88	-978.11	11036.93	18698.49	14175.13	-674.95	-19373.44
6	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-577.61	-1290.50	16334.27	14679.36	9009.57	-1547.35	-16226.71
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं० 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	125.01	-746.48	10029.68	17440.46	14462.83	2687.23	-14753.23

¹ शोयस्धारकों की निधि एवं दीर्घावधि ऋणों का कुल योग नियोजित पूँजी होता है।

² प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचयों एवं अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर निवल मूल्य आता है। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.18 करोड़ की डीआरई घटायी गयी।

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं का वर्ष	ब्याज एवं करों से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी ¹	निवल मूल्य/ शोयधारकों की निधि ²	संचित लाभ/हानि
8	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-1121.60	-2567.16	10174.60	18412.68	7454.00	-9533.02	-27945.70
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 10 की सहायक कम्पनी)	2018-19	-279.32	-449.64	2449.94	1955.83	324.33	-1615.83	-3571.66
10	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	-8118.80	-8118.80	0	82991.49	-60729.08	-60729.08	-79321.02
उप योग (स)			-9808.44	-14150.69	50025.42	154178.31	-15303.22	-71413.00	-161191.76
द	अन्य								
11	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम सं0 1 की संयुक्त उपक्रम कम्पनी)	2018-19	-1.19	-1.19	0	0.16	0.25	-2.25	-2.41
उप योग (द)			-1.19	-1.19	0	0.16	0.25	-2.25	-2.41
कुल योग (अ+ब+स+द)			-7955.17	-14398.96	61855.60	181529.67³	33841.62	-45601.26	-162180.07

³ ₹ 1,81,529.67 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में ₹ 64,950.68 करोड़ की धनराशि स्वामित्व धारक कम्पनियों के क्रम सं0 1 (₹ 551.13 करोड़) एवं क्रम सं0 10 (₹ 64,399.55 करोड़) शामिल है जो कि क्रम सं0 3, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 11 पर उनकी सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा दिये गये थे। इसलिए, ₹ 64,950.68 करोड़ की धनराशि को निवल मूल्य और नियोजित पूँजी की गणना के लिए निकाल दिया गया है।

परिशिष्ट-1.2
(प्रस्तर 1.9 में संदर्भित)
इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज में 31 मार्च 2019 तक जीओयूपी एवं अन्य द्वारा किये गये निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	पीएसयूज की संख्या	पूँजी		कुल पूँजी	दीर्घावधि ऋण			कुल दीर्घावधि ऋण	कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
			राज्य सरकार	अन्य		राज्य सरकार का ऋण	केन्द्र सरकार का ऋण	स्वामित्व धारक कम्पनी/ अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण		
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जेवीएनएल सहित)	2	12305.55	0.00	12305.55	0.00	0.00	12276.81	12276.81	24582.36
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	1	435.33	0.00	435.33	64.65	0.00	85.21	149.86	585.19
3.	यूपी कार्पोरेशन (यूपीपीटीसीएल)	1	14060.07 ⁴	0.00	14060.07	0.00	0.00	10901.70	10901.70	24961.77
4.	यूपीपीसीएल (पूर्वीएनएल, पीवीएनएल, डीवीएनएल, एमबीएनएल एवं केस्को सहित)	6	91110.77 ⁵	0.20 ⁶	91110.97	5507.17	0.00	50602.61	56109.78	147220.75
5.	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	1	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	2.50	2.50	2.66
	योग	11	117911.72	0.36	117912.08	5571.82	0.00	73868.83	79440.65	197352.73

नोट: (i) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में कुल निवेश = (पीएसयूज में पूँजी) + (पीएसयूज में ऋण) = ₹ 1,17,912.08 करोड़ + ₹ 79,440.65 करोड़ = ₹ 1,97,352.73 करोड़।

(ii) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में सरकार के कुल निवेश = (पीएसयूज में जीओयूपी की पूँजी) + (पीएसयूज में जीओयूपी के ऋण) = ₹ 1,17,911.72 करोड़ + ₹ 5,571.82 करोड़ = ₹ 1,23,483.54 करोड़।

⁴ इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से प्राप्त ₹ 2,213.27 करोड़ के जीओयूपी के निवेश को शामिल किया गया है।

⁵ इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2,213.27 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश में इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा, इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से एसयूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2.22 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसयूपीपीटीसीएल को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

⁶ डिस्कॉम्स द्वारा यूपीपीसीएल को आवंटित किए गए प्रवर्तकों के शेयरों का ₹ 0.20 करोड़ को "अन्य" की श्रेणी में दिखाया गया है अर्थात् ₹ 5.00 लाख मूल्य के 500 समता अंश (प्रत्येक ₹ 1000 की दर पर) चारो डिस्कॉम्स को।

परिशिष्ट-1.3
(प्रस्तर 1.7.1 में संदर्भित)

लेखाओं के बकाया की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) में किये गए निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया हैं

क्रम संख्या	पीएसयू का नाम	अवधि जहाँ तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	आवेदित अंश पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	लेखाओं के बकाया के अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश					कुल
					पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	सब्सिडी	
1	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	82991.49	10334.78	615.45	6032.59	11028.71	28011.53	
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	434.53	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
योग					10335.58	615.45	6032.59	11028.71	28012.33	

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-1.4
(प्रस्तर 1.10 में संदर्भित)
2018-19 के दौरान लाभ/हानि अर्जित करने वाली पीएसयूज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	लेखाओं का वर्ष	धनराशि
शीर्ष लाभ कमाने वाले पीएसयूज			
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	123.75
2	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	2.64
योग			126.39
शीर्ष हानि उठाने वाले पीएसयूज			
1	उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	8118.80
2	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2567.16
3	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1290.50
4	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	978.11
5	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	746.48
6	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2018-19	449.64
7	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	356.27
8	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	17.20
9	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1.19
योग			14525.35

परिशिष्ट-1.5
(प्रस्तर 1.12 में संदर्भित)
2000-2001 से 2018-2019 तक राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के चार उपक्रमों में संचारित किये गये कोष को दर्शाता हुआ विवरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूपीजेवीएनएल			यूपीआरवीयूएनएल			यूपीपीटीसीएल			यूपीपीसीएल			कुल योग		
	पूँजी	अनुदान/सब्सिडी	आई एफ एल	पूँजी	अनुदान/सब्सिडी	आई एफ एल	पूँजी	अनुदान/सब्सिडी	आई एफ एल	पूँजी	अनुदान/सब्सिडी	आई एफ एल	पूँजी	अनुदान/सब्सिडी	आई एफ एल
2000-01 तक	372.88	0.00	3.55	1764.25	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4199.34	292.02	0.00	6336.47	294.23	3.55
2001-02	0.00	0.00	0.00	32.82	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	282.21	1035.23	0.00	315.03	1060.39	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	971.73	0.00	225.90	972.15	0.00
2003-04	21.06	0.00	0.00	335.85	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5694.39	1169.87	0.00	6051.30	1171.14	0.00
2004-05	10.50	0.00	0.00	1.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	895.30	1227.93	0.00	906.80	1229.06	0.00
2005-06	10.65	0.00	0.00	389.89	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	394.06	1371.53	0.00	794.60	1372.33	0.00
2006-07	9.16	0.00	0.00	407.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2697.37	1588.40	0.00	3113.53	1588.90	0.00
2007-08	1.00	0.00	0.00	1006.00	0.50	0.00	2213.34	0.00	0.00	1826.64	1983.65	0.00	5046.98	1984.15	0.00
2008-09	2.00	0.00	0.00	778.00	0.52	0.00	428.55	0.00	0.00	5013.79	1919.63	0.00	6222.34	1920.15	0.00
2009-10	3.50	0.00	0.00	812.20	0.53	0.00	891.57	0.00	0.00	3615.10	1908.51	0.00	5322.37	1909.04	0.00
2010-11	1.00	0.00	0.00	775.00	9.15	0.00	500.00	0.00	0.00	3107.52	2160.26	0.00	4383.52	2169.41	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	555.75	0.00	0.00	409.05	0.00	0.00	3349.56	3811.85	0.00	4314.36	3811.85	0.00
2012-13	1.39	0.00	0.00	865.35	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2158.79	5010.13	0.00	3825.53	5010.13	0.00
2013-14	1.39	0.00	0.00	117.89	0.00	0.00	1394.08	0.00	0.00	5067.54	5315.37	0.00	6580.90	5315.37	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	351.90	0.00	0.00	2004.61	0.00	0.00	9189.65	12647.70	0.00	11546.16	12647.70	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	1129.51	0.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	16498.92	22385.92	6083.12	19078.43	22385.92	6083.12
2016-17	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	1695.00	0.00	0.00	9722.97	14817.66	3700.32	12205.97	14817.66	3700.32
2017-18	0.80	0.00	0.00	686.38	0.00	0.00	708.22	13.56	0.00	6839.12	7579.63	0.00	8234.52	7593.19	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	1508.76	0.00	0.00	1565.65	95.79	0.00	10332.60	17061.30	-4891.72	13407.01	17157.09	-4891.72
योग	435.33	0.00	3.55	12305.55	42.19	0.00	14060.07	109.35	0.00	91110.77⁸	104258.32	4891.72	117911.72	104409.86	4895.27

⁷ इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से प्राप्त ₹ 2,213.27 करोड़ के जीओयूपी के निवेश को शामिल किया गया है।

⁸ इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2,213.27 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से एसयूपीपीटीसीएल में जीओयूपी के निवेश का ₹ 2.22 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसयूपीपीटीसीएल को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-2.1
(प्रस्तर 2.2 में संदर्भित)
मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की हानि दर्शाता हुआ विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	माह जिसमें मोबलाइजेशन अग्रिम वसूला गया	मोबलाइजेशन अग्रिम का मूल्य	मोबलाइजेशन अग्रिम समायोजित किया गया	बकाया मोबलाइजेशन अग्रिम	माह जिस तक बकाया मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लिया जाना था	बकाया की अवधि (पूर्ण माह में)	12 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8= (कॉलम 7- कॉलम 3)	9= (कॉलम 6* 12 प्रतिशत * कॉलम 8/12)
1	ठेकेदार को अक्टूबर 2013 में दिया गया कुल मोबलाइजेशन अग्रिम		668.21		668.21			
2	सितंबर 2014 तक समायोजित किये गये मोबलाइजेशन अग्रिम	सितंबर-2014 तक		270.97	397.24	नवंबर-2014 तक	2	7.94
3	सितंबर 2014 के पश्चात बकाया मोबलाइजेशन अग्रिम	दिसंबर-2014		5.80	391.44	जनवरी-2015 तक	2	7.83
4		फरवरी- 2015		28.43	363.01	फरवरी-2015 तक	1	3.63
5		मार्च- 2015		13.08	349.93	मार्च- 2015 तक	1	3.50
6		अप्रैल-2015		23.38	326.55	अप्रैल-2015 तक	1	3.27
7		मई-2015		30.96	295.59	जुलाई-2015 तक	3	8.87
8		अगस्त-2015		16.89	278.70	अगस्त-2015 तक	1	2.79
9		सितंबर-2015		10.54	268.16	सितंबर-2015 तक	1	2.68
10		अक्टूबर-2015		13.34	254.82	अक्टूबर-2015 तक	1	2.55
11		नवंबर-2015		8.91	245.91	नवंबर-2015 तक	1	2.46
12		दिसंबर-2015		2.62	243.29	दिसंबर-2015 तक	1	2.43
13		जनवरी-2016		6.60	236.69	फरवरी- 2016 तक	2	4.73
14		मार्च- 2016		5.40	231.29	मार्च- 2016 तक	1	2.31
15		अप्रैल-2016		12.26	219.03	अप्रैल-2016 तक	1	2.19
16		मई-2016		5.48	213.55	अगस्त-2016 तक	4	8.54
17		सितंबर-2016		12.59	200.96	नवंबर-2016 तक	3	6.03
18		दिसंबर-2016		0.97	199.99	अप्रैल-2017 तक	5	10.00
19		मई-2017		17.48	182.51	मई-2017 तक	1	1.83
20		जून-2017		8.19	174.32	फरवरी- 2018 तक	9	15.69
21		फरवरी- 2018		174.32	00.00			
योग								99.27

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.1, 3.12 एवं 3.13.1 में संदर्भित)

इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन वर्ष के लिये अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन सम्मिलित करते हुए)	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. एकाधिकारी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज										
अ सरकारी कम्पनियाँ										
1	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	2018-19	2018-19	-70.02	-72.11	15.04	2041.00	6509.65	1897.60	-143.40
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2018-19	8.90	-4.89	18.84	1374.97	2557.59	1312.59	-62.38
	उप योग			-61.12	-77.00	33.88	3415.97	9067.24	3210.19	-205.78
ब सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ										
3	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2018-19	2018-19	0.48	0.38	35.21	2.00	7.40	7.33	5.80
4	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.22	-0.22	0.00	0.50	0.28	0.28	-0.22
5	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2018-19	-1.81	-1.82	0.00	216.00	214.17	214.17	-1.83
6	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2018-19	-1.42	-1.42	0.02	2.00	-0.32	-0.32	-2.32
	उप योग			-2.97	-3.08	35.23	220.50	221.53	221.46	1.43
स सांविधिक निगम										
7	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2017-18	2018-19	118.11	118.11	1241.69	0.00	4872.28	4872.28	4872.28
8	उत्तर प्रदेश वन निगम	2017-18	2018-19	81.10	80.38	345.50	0.00	1472.22	1459.22	1523.08
9	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	2018-19	39.85	39.85	4523.19	926.19	-74.59	-116.31	-1042.50

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन सम्मिलित करते हुए)	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि	
										7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2016-17	2018-19	70.75	45.66	474.83	13.00	508.11	508.11	500.00	
11	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2018-19	-256.46	-317.07	462.27	0.00	-100.63	-1156.21	-1156.21	
	उप योग			53.35	-33.07	7047.48	939.19	6677.39	5567.09	4696.65	
	एकाधिकारी वातावरण में कार्यरत पीएसयू का कुल योग			-10.74	-113.15	7116.59	4575.66	15966.16	8998.74	4492.30	
II. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी, आदि निश्चित स्रोत से आय वाली पीएसयूज											
अ सरकारी कम्पनियाँ											
12	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	38.14	24.62	927.83	6.40	117.17	117.17	110.77	
13	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2016-17	2017-18	2.42	1.62	692.29	0.15	73.31	73.31	73.16	
14	श्रीद्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2017-18	2018-19	0.76	0.51	34.01	7.12	13.23	10.60	3.48	
15	अपद्रॉन पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की सहायक)	2017-18	2018-19	0.60	0.31	17.48	4.07	2.53	2.53	-1.54	
16	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.75	0.89	79.65	91.54	145.03	34.61	6.18	
17	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	12.21	8.93	225.40	1.00	20.90	20.90	19.90	
18	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	49.08	49.08	390.21	0.43	267.56	267.56	267.13	
19	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	0.04	0.04	0.18	0.25	1.97	-0.51	-0.76	
20	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.08	-0.45	106.83	3.00	33.10	33.10	30.10	

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन सम्मिलित करते हुए)	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2									
21	उत्तर प्रदेश नियात प्रोत्साहन परिषद	2018-19	2018-19	0.62	0.62	0.93	0.05	6.11	1.11	1.06
22	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	-7.16	-7.16	16.03	4.91	-6.21	-14.95	-19.86
सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी, आदि निश्चित स्रोत से आय वाली पीएसयू का कुल योग										
III. प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज										
अ सरकारी कम्पनियां										
23	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-8.52	-11.69	0.17	93.24	-28.05	-167.53	-260.77
24	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	2016-17	2018-19	6.14	3.35	9.10	135.58	251.18	-230.61	-366.19
प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज का कुल योग										
महायोग										
				85.42	-42.48	9616.70	4923.40 ⁹	16863.99	9146.03 ¹⁰	4354.96
				-2.38	-8.34	9.27	228.82	223.13	-398.14	-626.96

⁹ ₹ 4,923.40 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में क्रम संख्या 16 पर दी गयी स्वामित्व कम्पनी में एक धनराशि ₹ 63.11 करोड़ सम्मिलित है जोकि सरकार द्वारा उनकी सहायक कम्पनियों को दी गयी थी। अतः निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी की गणना में ₹ 63.11 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे, जीओयूपी द्वारा क्रम संख्या 16 पर दी गयी स्वामित्व कम्पनी को इसकी सहायक कम्पनियों के लिए ₹ 2.46 करोड़ ऋण की धनराशि प्रदान की गयी थी। अतः नियोजित पूँजी की गणना में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है।

¹⁰ निवल मूल्य, कुल प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय और आधिक्य में से संचित हानियों तथा आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के पश्चात का योग होता है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (₹ 4.89 करोड़) तथा अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (₹ 0.47 करोड़) के प्रकरण में निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 5.36 करोड़ आस्थगित राजस्व व्यय घटा दिये गये थे।

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.1 में संदर्भित)
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं है

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	अद्यतन लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लामांश, ब्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
अ	सरकारी कम्पनियाँ					
1	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2017-18	95.22	193.45	24.08
2	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2017-18	-1.10	3.32	30.00
3	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	-0.38	0.77	8.10
4	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	11.89	67.74	230.42
5	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	10.86	1535.05	5.50
6	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	2017-18	0.08	0.21	1.50
7	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.36	0.60	5.19
8	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2016-17	-0.21	0.38	5.25
9	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2016-17	10.26	793.26	46.30
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	2018-19	82.47	3438.74	1.00
11	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	24.13	1892.52	15.00
12	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	2018-19	9.97	266.91	5.96
13	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	16.19	456.59	6.92
14	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	1.14	8.68	1.07
15	उत्तर प्रदेश ड्रस एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	2009-10	2012-13	-8.53	0.33	1.10
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	2018-19	-11.50	0.00	880.13
17	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	0.87	100.39	1648.31
18	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	2007-08	2017-18	-0.13	10.65	7.24
19	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	0.34	32.44	32.60
20	लाखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
21	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.00	0.00	0.05

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	अद्यतन लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लामांश, ब्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
22	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
23	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
24	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
25	उत्तर प्रदेश मोडिकल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड* (दिनांक 23.03.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
26	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड* (दिनांक 04.10.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां			241.93	8802.03	2955.72
27	झौंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड* (दिनांक 22.11.2016 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
28	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड * (दिनांक 08.12.2016 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
29	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड * (दिनांक 03.04.2018 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
30	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड * (दिनांक 29.08.2017 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
31	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड * (दिनांक 29.10.2016 को निगमित)	लेखे प्राप्त नहीं हुए	-	-	-	-
स	सांविधिक निगम			0.00	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2015-16	17.38	22.22	179.28
II	अकार्यरत पीएसयूज			17.38	22.22	179.28
अ	सरकारी कम्पनियां					
33	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98	1998-99	-0.40	1.29	1.05
34	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.48	0.00	59.43
35	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	2017-18	-0.71	0.00	81.38
36	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2016-17	2017-18	-0.60	0.00	147.72
37	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2015-16	2017-18	-0.33	0.00	256.80
38	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2012-13	-0.60	0.03	0.22

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	अद्यतन लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लामांश, ब्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
39	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2005-06	-0.29	0.16	1.93
40	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1997-98	2007-08	2.39	0.53	5.38
41	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	-8.80	0.00	197.10
42	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	1997-98	-32.12	97.15	53.16
43	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1999-00	2018-19	-13.84	28.68	47.07
44	उत्तर प्रदेश स्टेट लैडर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-01	2002-03	0.26	3.60	5.74
45	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2018-19	2018-19	-0.60	0.00	53.67
46	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	0.18	0.00	2.73
47	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशेअलिटीज लिमिटेड	2012-13	2018-19	-0.18	0.00	0.50
48	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1984-85	1994-95	-0.67	0.27	1.90
49	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.12	0.00	0.64
50	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	2012-13	-0.16	0.45	1.46
51	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2007-08	-0.09	3.91	1.00
52	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1992-93	-0.11	2.74	0.55
53	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2011-12	-0.39	3.33	1.00
54	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2013-14	-0.07	0.25	1.26
55	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1992-93	0.01	1.70	0.50
56	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	-0.03	0.00	1.00
57	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1991-92	2011-12	-0.19	0.85	0.25
58	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1990-91	-0.04	0.01	0.25
59	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	0.09	0.00	1.23
60	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	-0.38	0.12	8.18
61	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1994-95	-0.14	1.30	1.15
62	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1993-94	-0.03	1.47	0.70
	उप योग			-58.44	147.84	934.95

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	अद्यतन लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लामांश, ब्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाम/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां					
63	कमाण्ड एरिया पौल्ट्री डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1994-95	-	0.01	0.96	0.24
	उप योग			0.01	0.96	0.24
III	परिसमापन के अधीन पीएसयूज					
अ	सरकारी कम्पनियां					
64	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03 (01 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2004-05	-0.18	0.04	0.31
65	उत्तर प्रदेश (रुहेलाखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07 (01 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2008-09	-1.05	0.11	0.71
66	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96 (08 फरवरी 1999 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1996-97	-47.75	113.01	68.28
67	विन्ध्याचल अब्रोसिल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 (28 नवंबर 2002 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	-0.12	0.00	0.00
68	आटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड	1991-92 (14 फरवरी 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1995-96	0.11	6.31	7.50
69	भदोही बूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95 (20 फरवरी 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-1.66	0.27	3.76
70	कान्डीनेटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98 (01 अप्रैल 2002 से परिसमापन के अन्तर्गत)	2002-03	0.00	0.00	46.24
71	कानपुर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	(10 जून 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.05	0.00
72	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76 (19 अप्रैल 1996 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-0.02	0.00	0.05
73	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (19 फरवरी 1994 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	-6.18	2.26	6.58
74	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लायन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1974-75 (नवंबर 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत)	1984-85	-0.01	0.04	0.01
	उप योग			-56.86	122.09	133.44

क्रम संख्या	पीएसयूज का नाम	अद्यतन लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	लामांश, ब्याज एवं कर उपरान्त शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ					
75	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	(14 जुलाई 1981 से परिसमापन के अन्तर्गत)	-	0.00	0.00	0.00
	उप योग			0.00	0.00	0.00
	सभी क्षेत्रों का योग			144.02	9095.14	4203.63

नोट: * वे पीएसयूज जिन्होंने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.3 एवं 3.12 में संदर्भित)
इस अध्याय में शामिल किये गये राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का 31 मार्च 2019 से सम्बंधित पूंजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	क्षेत्र एवं पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर पूंजी			वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया दीर्घवधि ऋण				
				जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
I	एकाधिकारी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज										
	सरकारी कम्पनियाँ										
1	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	आवास एवं शहरी नियोजन	25 नवंबर 2013	1037.95	1003.00	0.05	2041.00	813.05	297.00	3502.00	4612.05
2	नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	11 मई 2014	0.00	687.62	687.35	1374.97	0.00	115.00	1130.00	1245.00
	उप योग			1037.95	1690.62	687.40	3415.97	813.05	412.00	4632.00	5857.05
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ										
3	अल्मोड़ा मैनसाइट लिमिटेड	-	27 अगस्त 1971	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.07
4	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	16 अगस्त 2016	0.00	196.00	186.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	01 सितंबर 2017	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	30 अगस्त 2017	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग			0.00	196.00	406.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	साविधिक निगम										
7	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास एवं शहरी नियोजन	04 मार्च 1966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25 नवंबर 1974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	06 जनवरी 1972	866.18	60.01	0.00	926.19	41.72	0.00	0.00	41.72
10	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19 मार्च 1958	7.61	0.00	5.40	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	06 जून 1975	0.00	0.00	0.00	0.00	538.02	0.00	0.00	538.02
	उप योग			873.79	60.01	5.40	939.20	579.74	0.00	0.00	579.74
	क्षेत्र I का उप योग			1911.74	1946.63	1098.80	4957.17	1392.79	412.00	4632.07	6436.86

क्रम सं०	क्षेत्र एवं पीएसयूज का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर पूंजी			वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण												
				जीओयूपी	जीओआई	अन्य	योग	जीओयूपी	जीओआई	अन्य									
				5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)									
1	सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी, आदि से आय की स्रोत वाले पीएसयूज	3	4																
II	सरकारी कम्पनियाँ																		
12	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कापोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26 मई 1976	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कापोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	25 जून 1976	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कापोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	02 अक्टूबर 1979	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अपट्रान पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कापोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	04 अक्टूबर 1974	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
16	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कापोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	20 मार्च 1974	91.54 ¹¹	0.00	0.00	91.54	112.48 ¹²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.48
17	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कापोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	15 मार्च 1977	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	23 मई 1989	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	27 अगस्त 1975	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27 मार्च 1987	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	11 अगस्त 2016	0.05	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

¹¹ जीओयूपी ने क्रम संख्या 16 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में ₹ 91.54 करोड़ अंशपूँजी के रूप में निवेशित किए जिसमें ₹ 8.95 करोड़ (₹ 6.35 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़) की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 14 एवं 15 पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी इसे निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों की अंशपूँजी से बाहर रखा गया है।

¹² जीओयूपी ने क्रम संख्या 16 पर बताई गई नियंत्रक कम्पनी में ₹ 112.48 करोड़ दीर्घकालिक ऋण के रूप में निवेशित किए जिसमें ₹ 2.46 करोड़ की धनराशि शामिल थी जो कि क्रम संख्या 14 (₹ 2.43 करोड़) एवं 15 (₹ 0.03 करोड़) पर बताई गई इसकी सहायक कम्पनियों को दी गई थी इसे निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इन सहायक कम्पनियों के दीर्घकालिक ऋण से बाहर रखा गया है।

क्रम सं०	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर पूँजी			वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				
				जीओयूपी 5(अ)	जीओआई 5(ब)	अन्य 5(स)	योग 5(द)	जीओयूपी 6(अ)	जीओआई 6(ब)	अन्य 6(स)	योग 6(द)
1	2	3	4	0.05	0.00	4.86	4.91	0.00	0.00	6.57	6.57
22	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	शहरी विकास	27 अप्रैल 2010	101.77	1.00	7.20	109.97	117.48	0.00	9.41	126.89
	उप योग			101.77	1.00	7.20	109.97	117.48	0.00	9.41	126.89
	क्षेत्र II का उप योग										
III	प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत पीएसयूज										
	सरकारी कम्पनियाँ										
23	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	20 अगस्त 1976	93.24	0.00	0.00	93.24	142.37	0.00	0.00	142.37
24	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	29 मार्च 1972	110.58	0.00	25.00	135.58	1121.38	4.10	0.00	1125.48
	उप योग			203.82	0.00	25.00	228.82	1263.75	4.10	0.00	1267.85
	क्षेत्र III का उप योग			203.82	0.00	25.00	228.82	1263.75	4.10	0.00	1267.85
	महायोग (क्षेत्र I + क्षेत्र II + क्षेत्र III)			2217.33	1947.63	1131.00	5295.96	2774.02	416.10	4641.48	7831.60

परिशिष्ट-3.4
(प्रस्तर 3.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के बीच पूंजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं०	क्षेत्र एवं पीएसयूज के नाम	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-6	10=4-7	11=5-8
कार्यरत पीएसयूज										
1	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)	1037.95	813.05	0.00	1003.00	974.05	0.00	34.95	-161.00	0.00
2	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	-0.31	0.00
3	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	866.18	41.72	0.00	766.18	49.18	0.00	100.00	-7.46	0.00
4	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	7.61	0.00	0.00	7.79	0.63	0.00	-0.18	-0.63	0.00
5	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	538.02	0.00	0.00	88.77	0.00	0.00	449.25	0.00
6	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	91.54	112.48	0.00	91.54	31.23	0.00	0.00	81.25	0.00
7	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1.80	0.00	0.00	-1.80
8	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00
9	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
10	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	142.37	0.00	93.24	13.59	0.00	0.00	128.78	0.00
11	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वैस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	110.58	1121.38	1.39	110.58	452.54	1.39	0.00	668.84	0.00
12	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	24.08	1.98	0.00	24.08	143.45	2.85	0.00	-141.47	-2.85
13	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	15.18	0.00	0.00	-15.18	0.00
14	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	0.00	0.00	12.23	0.00	52.65	0.00	0.00	-52.65
15	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34	0.00	0.00	12.34	-7.31	0.00	0.00	7.31	0.00
16	उत्तर प्रदेश स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	58.32	29.00	0.00	59.01	4.69	0.00	-0.69	24.31	0.00

क्रम. सं०	क्षेत्र एवं पीएसयूज के नाम	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार				उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार				अन्तर				
		प्रदत्त पूँजी 3	बकाया ऋण 4	बकाया प्रत्याभूति 5	प्रदत्त पूँजी 6	बकाया ऋण 7	बकाया प्रत्याभूति 8	प्रदत्त पूँजी 9=3-6	बकाया ऋण 10=4-7	बकाया प्रत्याभूति 11=5-8				
1	2													
17	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	15.00	0.00	1000.00	15.00	0.00	600.00	0.00	0.00	400.00				
18	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	5.96	3.57	0.00	5.96	0.41	0.00	0.00	3.16	0.00				
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	880.13	0.00	0.00	-880.13	0.00	0.00				
20	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1648.31	755.00	133.96	1648.31	967.05	0.00	0.00	-212.05	133.96				
21	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	12.44	0.00	6.34	5.95	0.00	0.00	6.49	0.00				
22	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.45	0.00	32.60	2.76	0.00	0.00	-2.31	0.00				
23	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00				
24	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00				
25	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00				
26	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00				
27	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड*	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00				
28	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड*	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00				
29	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.17	345.59	2.46	114.51	15.11	2.46	-0.34	330.48	0.00				
	कार्यरत पीएसयूज का उप योग	4189.90	3922.05	1137.81	4912.99	2757.59	661.15	-723.09	1164.46	476.66				
	अकार्यरत पीएसयूज													
30	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	59.43	18.24	0.00	59.43	4.97	0.00	0.00	13.27	0.00				
31	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	-81.38	0.00	0.00				
32	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	-147.72	0.00	0.00				
33	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	257.19	0.00	0.00	-257.19	0.00	0.00				

क्रम. सं०	क्षेत्र एवं पीएसयूज के नाम	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार				उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार				अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी 3	बकाया ऋण 4	बकाया प्रत्याभूति 5	प्रदत्त पूँजी 6	बकाया ऋण 7	बकाया प्रत्याभूति 8	प्रदत्त पूँजी 9=3-6	बकाया ऋण 10=4-7	बकाया प्रत्याभूति 11=5-8		
1	2											
34	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	0.19	5.33	0.00	0.30	1.11	0.00	-0.11	4.22	0.00		
35	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.09	5.55	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00		
36	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	5.28	1.94	0.00	5.28	0.15	0.00	0.00	1.79	0.00		
37	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	197.10	89.65	0.00	160.79	203.89	0.00	36.31	-114.24	0.00		
38	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	-2.85	0.00		
39	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	36.44	152.09	0.00	36.44	12.53	2.34	0.00	139.56	-2.34		
40	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	5.74	1.91	0.00	5.74	1.40	0.00	0.00	0.51	0.00		
41	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	53.67	62.21	0.00	31.91	9.06	0.00	21.76	53.15	0.00		
42	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.10	0.71	0.00	2.73	1.10	0.00	-0.63	-0.39	0.00		
43	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	2.88	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00		
44	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	6.41	3.34	0.56	8.72	0.00	0.56	-2.31	3.34	0.00		
45	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.70		
46	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.05	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00		
47	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.67	0.66	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00		
48	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.94	0.65	0.00	0.93	0.00	0.00	0.01	0.65	0.00		
49	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	0.70	0.86	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00		
50	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.65	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00		
51	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	1.25	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00		
52	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.05	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00		
53	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	2.47	0.00	8.18	0.31	0.00	0.00	2.16	0.00		

क्रम. सं०	क्षेत्र एवं पीएसयूज के नाम	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-6	10=4-7	11=5-8
54	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड उप योग	1.30	0.35	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
		384.56	347.96	0.56	813.38	237.37	3.60	-428.82	110.59	-3.04
समापन के अधीन पीएसयूज										
55	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	6.55	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00
56	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	68.28	124.77	0.00	68.28	37.45	0.00	0.00	87.32	0.00
57	आटो ट्रेक्टर लिमिटेड	5.63	0.38	0.00	5.63	14.89	0.00	0.00	-14.51	0.00
58	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	11.02	0.00	6.59	0.00	0.00	-6.59	11.02	0.00
	उप योग	74.29	142.72	0.00	80.88	52.34	0.00	-6.59	90.38	0.00
	अकार्यरत पीएसयूज का उप योग	458.85	490.68	0.56	894.26	289.71	3.60	-435.41	200.97	-3.04
	महायोग	4648.75	4412.73	1138.37	5807.25	3047.30	664.75	-1158.50	1365.43	473.62

परिशिष्ट-3.5
(प्रस्तर 3.8.1 में संदर्भित)
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र
(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	पीएसयूज का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश				योग
					पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान / अन्य अनुदान	सब्सिडी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
अ कार्यरत पीएसयूज									
I. एक वर्ष तक बकाया									
1	इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	4.91	0.00	0.00	19.17	0.00	19.17
2	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
3	यू.पी. मोडिकल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड*	-	2018-19	2.66	5.16	0.00	353.34	0.00	358.50
उप योग -I									
II. दो वर्ष तक बकाया									
4	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	2016-17	2017-18 एवं 2018-19	135.58	0.00	237.37	0.00	0.00	237.37
5	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पनिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18 एवं 2018-19	93.24	0.00	11.15	0.00	0.00	11.15
6	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2017-18 एवं 2018-19	0.00	0.00	0.00	1679.74	0.00	1679.74
उप योग -II									
III. तीन वर्ष या उससे ज्यादा का बकाया									
7	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	1648.31	0.00	743.00	0.00	0.00	743.00
8	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	230.42	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
9	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	5.50	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
10	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2018-19	5.19	0.00	0.00	15.14	0.00	15.14
11	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2004-05 से 2018-19	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
12	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2018-19	6.92	0.00	0.00	12.95	0.00	12.95
13	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड*	-	2016-17 से 2018-19	-	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
14	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	46.30	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41

क्रम सं०	पीएसयूज का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	बकाया लेखाओं की अवधि	अघतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखाओं के वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश					योग
					पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान / अन्य अनुदान	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	यूपी. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 से 2018-19	7.24	0.00	5.00	2.68	0.00	7.68	7.68
17	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	2016-17 से 2018-19	1.50	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00
18	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड* (दिनांक 01.02.2010 को निगमित)	2008-09	2009-10 से 2018-19	-	17.84	0.00	73.25	0.00	91.09	91.09
19	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	0.05	0	0.00	15.63	0.00	15.63	15.63
20	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28.04.2010 को निगमित)	2009-10	2010-11 से 2018-19	0	0.05	0.00	47.42	0.00	47.47	47.47
21	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	15-06-2010 को निगमित	2010-11 से 2018-19	-	0.05	0	20.68	0.00	20.73	20.73
22	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	1.07	0.00	0	4.60	0.00	4.60	4.60
23	उत्तर प्रदेश वित्तीय कार्पोरेशन	2012-13	2013-14 से 2018-19	179.28	0.00	52.60	0.00	0.00	52.60	52.60
24	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 से 2018-19	30.00	0.00	0.00	64.22	0.00	64.22	64.22
	उप योग -III			2182.03	43.68	800.60	422.57	0.00	1266.85	
	योग - अ			2419.42	48.84	1049.12	2475.82	0.00	3573.78	
ब. अकार्यरत पीएसयूज										
I. दो वर्ष तक बकाया										
25	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	160.79	0.00	2.27	0.00	0.00	2.27	2.27
	उप योग-I			160.79	0.00	2.27	0.00	0.00	2.27	
II. तीन वर्ष या उससे ज्यादा का बकाया										
26	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	2000-01 से 2018-19	47.07	0.00	109.51	0.00	0	109.51	109.51
27	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	0.22	0.00	0.34	0.00	0	0.34	0.34
	उप योग-II			47.29	0.00	109.85	0.00	0.00	109.85	
	योग - ब			208.08	0.00	112.12	0.00	0.00	112.12	
	महायोग (अ+ब)			2627.50	48.84	1161.24	2475.82	0.00	3685.90	

परिशिष्ट-3.6
(प्रस्तर 3.15 में संदर्भित)
2000-01 से 2018-19 की समायावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में संचारित किये गये कोष को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड)			वर्ष	2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम			वर्ष	3. उत्तर प्रदेश राज्य मण्डारण निगम		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान
1999-2000 तक	0.00	0.00	0.00	1999-2000 तक	252.11	0.00	0.00	1999-2000 तक	7.79		
2000-01	0.00	0.00	0.00	2000-01	0.00	0.00	0.00	2000-01	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	2001-02	0.00	0.00	0.00	2001-02	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	2002-03	0.00	0.00	0.00	2002-03	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	2003-04	0.00	0.00	0.00	2003-04	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	2004-05	0.00	0.00	0.00	2004-05	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	2005-06	0.00	0.00	0.00	2005-06	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	2006-07	47.00	0.00	0.00	2006-07	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	2007-08	0.00	0.00	0.00	2007-08	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	2008-09	10.00	0.00	0.00	2008-09	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	2009-10	0.00	0.00	0.00	2009-10	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	2010-11	0.00	0.00	0.00	2010-11	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	2011-12	39.52	0.00	0.00	2011-12	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	2012-13	6.00	0.00	0.00	2012-13	0.00	0.00	0.00
2013-14	20.00	0.00	0.00	2013-14	3.43	0.00	0.00	2013-14	0.00	0.00	0.00
2014-15	60.00	35.00	0.00	2014-15	151.32	0.00	0.00	2014-15	-0.18	0.00	0.00
2015-16	475.00	150.00	0.00	2015-16	158.47	0.00	0.00	2015-16	0.00	0.00	0.00
2016-17	400.00	350.00	0.00	2016-17	98.33	0.00	0.00	2016-17	0.00	0.00	0.00
2017-18	82.95	150.05	0.00	2017-18	50.00	0.00	0.00	2017-18	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	128.00	0.00	2018-19	50.00	0.00	0.00	2018-19	0.00	0.00	0.00
योग	1037.95	813.05	0.00	योग	866.18	0.00	0.00	योग	7.61	0.00	0.00

वर्ष	4. उत्तर प्रदेश जल निगम			वर्ष	5. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड			वर्ष	6. उत्तर प्रदेश स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान
1999-2000 तक	0.00	0.00	0.00	1999-2000 तक	5.40	0.00	0.00	1999-2000 तक	0.15	0.00	0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	2000-01	0.00	0.00	0.00	2000-01	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	2001-02	0.00	0.00	0.00	2001-02	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	2002-03	0.00	0.00	0.00	2002-03	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	2003-04	0.00	0.00	0.00	2003-04	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	2004-05	0.00	0.00	0.00	2004-05	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	2005-06	0.00	0.00	0.00	2005-06	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	2006-07	0.00	0.00	0.00	2006-07	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	2007-08	0.00	0.00	0.00	2007-08	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	2008-09	0.00	0.00	0.00	2008-09	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	2009-10	0.00	0.00	0.00	2009-10	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	2010-11	0.00	0.00	0.00	2010-11	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	2011-12	0.00	0.00	0.00	2011-12	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	2012-13	0.00	0.00	0.00	2012-13	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	2013-14	0.00	0.00	0.00	2013-14	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	140.61	0.00	2014-15	0.00	0.00	0.00	2014-15	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	2015-16	0.00	0.00	0.00	2015-16	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	300.00	0.00	2016-17	0.00	0.00	0.00	2016-17	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	-300.00	0.00	2017-18	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	2018-19	0.00	0.00	0.00	2018-19	0.00	0.00	0.00
योग	0.00	140.61	0.00	योग	5.40	0.00	0.00	योग	0.15	0.00	0.00

वर्ष	7. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड			वर्ष	8. उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड			वर्ष	9. उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/ अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/ अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/ अन्य अनुदान
1999-2000 तक	77.51	24.99	0.00	1999-2000 तक	1.00	0.00	1.05	1999- 2000 तक	0.43	0.00	0.00
2000-01	0.00	17.75	0.00	2000-01	0.00	0.00	1.05	2000-01	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	2001-02	0.00	0.00	1.05	2001-02	0.00	0.00	0.00
2002-03	10.15	18.75	0.00	2002-03	0.00	0.00	1.05	2002-03	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	6.25	0.00	2003-04	0.00	0.00	1.05	2003-04	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	5.34	0.00	2004-05	0.00	0.00	1.05	2004-05	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	2005-06	0.00	0.00	1.45	2005-06	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	2006-07	0.00	0.00	1.45	2006-07	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	2007-08	0.00	0.00	0.80	2007-08	0.00	0.00	0.00
2008-09	3.88	0.00	0.00	2008-09	0.00	0.00	0.65	2008-09	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	2009-10	0.00	0.00	1.45	2009-10	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	32.70	0.00	2010-11	0.00	0.00	2.00	2010-11	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	2011-12	0.00	0.00	2.00	2011-12	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	2012-13	0.00	0.00	2.00	2012-13	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	2013-14	0.00	0.00	0.00	2013-14	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	2014-15	0.00	0.00	2.00	2014-15	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	2015-16	0.00	0.00	2.00	2015-16	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	-0.28	0.00	2016-17	0.00	0.00	2.00	2016-17	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.00	0.00	1.00	2017-18	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	-0.40	0.00	2018-19	0.00	0.00	1.00	2018-19	0.00	0.00	0.00
योग	91.54	105.10	0.00	योग	1.00	0.00	26.10	योग	0.43	0.00	0.00

वर्ष	10. उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड			वर्ष			11. उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड			वर्ष			12. उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/अन्य अनुदान
1999-2000 तक	0.15	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	0.15	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00

वर्ष	13. इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			वर्ष	14. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड			वर्ष	15. दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ यू. पी. लिमिटेड		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/ अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/ अन्य अनुदान		पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	राजस्व/ अन्य अनुदान
1999-2000 ₹क	-	-	-	1999-2000 ₹क	88.65	17.58	0.00	1999-2000	110.58	33.53	0.00
2000-01	-	-	-	2000-01	0.00	0.00	0.00	2000-01	0.00	0.00	0.00
2001-02	-	-	-	2001-02	0.00	0.00	0.00	2001-02	0.00	-33.53	0.00
2002-03	-	-	-	2002-03	0.00	0.00	0.00	2002-03	0.00	0.00	0.00
2003-04	-	-	-	2003-04	0.00	0.00	0.00	2003-04	0.00	0.00	0.00
2004-05	-	-	-	2004-05	4.59	5.83	0.00	2004-05	0.00	0.00	0.00
2005-06	-	-	-	2005-06	0.00	8.66	0.00	2005-06	0.00	59.88	0.00
2006-07	-	-	-	2006-07	0.00	13.57	0.00	2006-07	0.00	68.65	0.00
2007-08	-	-	-	2007-08	0.00	0.00	0.00	2007-08	0.00	0.00	0.00
2008-09	-	-	-	2008-09	0.00	-0.44	0.00	2008-09	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	2.63	2009-10	0.00	0.00	0.00	2009-10	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	2.78	2010-11	0.00	9.74	0.00	2010-11	0.00	9.08	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	2011-12	0.00	33.11	0.00	2011-12	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	2012-13	0.00	9.88	0.00	2012-13	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	2013-14	0.00	-0.94	0.00	2013-14	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	2014-15	0.00	0.00	0.00	2014-15	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	2015-16	0.00	11.79	0.00	2015-16	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	5.49	2016-17	0.00	0.00	0.00	2016-17	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	8.89	2017-18	0.00	4.19	0.00	2017-18	0.00	30.27	0.00
2018-19	0.00	0.00	19.17	2018-19	0.00	0.00	0.00	2018-19	0.00	2.37	0.00
योग	0.05	0.00	38.96	योग	93.24	112.97	0.00	योग	110.58	170.25	0.00

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.4 में संदर्भित)
त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों एवं अधिक अनुबंधित भार के कारण कोनिया एसपीएस (अनुबंधित भार 2000 केवीए) में विद्युत शुल्क के परिहार्य भुगतान को दर्शाता विवरण

माह/वर्ष	मीटर के अनुसार प्रत्येक माह में वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में)	विद्युत विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क										आवश्यकता से अधिक अनुबंधित भार के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क	
		दैनिक के अनुसार (वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित 2000 केवीए भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो (केवीए में))	बिल की गयी वास्तविक मांग (केवीए में)	बिल की गयी मांग और बिल योग्य मांग का अंतर (केवीए में)	फिक्स्ड डिमांड चार्ज ¹³ की दर	अधिक बिल की गयी मांग ¹⁴ की घनराशि	अतिरिक्त बिल की गयी मांग ¹⁵ पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की घनराशि	अधिक बिल की गयी मांग की कुल घनराशि	कैपसिटर अधिभार की सत्यापित और भुगतान की गई घनराशि	त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण कुल घनराशि	600 केवीए ¹⁶ पर अतिरिक्त अनुबंधित भार की घनराशि	अधिक अनुबंधित मांग की राशि पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की घनराशि	अतिरिक्त अनुबंधित भार के कारण कुल घनराशि
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5*6	8=7 * 7.5 % + 7 * 5.22/ 7.12 /4.28 %	9=8+7	10	11=9+10	12= 6*600 केवीए ¹⁴	13=12*7.5% + 12*5.22 /7.12 /4.28%	14= 12+ 13
जून-15	595	1500	2000	500	230	103500	13165	116665	-	116665	124200	15798	139998
जुलाई-15	437	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358
अगस्त-15	455	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358
सितम्बर-15	606	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358
अक्टूबर-15	439	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358
नवम्बर-15	439	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358
दिसम्बर-15	615	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358
जनवरी-16	616	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358

¹³ जून 2015 से अप्रैल 2016 तक प्रति किलोवाट और मई 2016 से मार्च 2019 तक प्रति केवीए।

¹⁴ डिमांड चार्ज की दर *अतिरिक्त मांग* 0.9, जून 2015 से जुलाई 2016 तक और डिमांड चार्ज की दर *अतिरिक्त मांग अगस्त 2016 से मार्च 2019 तक।

¹⁵ विद्युत दर 7.5 प्रतिशत और नियामक अधिभार जून 2015 में 5.22 प्रतिशत, जुलाई 2015 से अप्रैल 2016 तक 7.12 प्रतिशत और मई 2016 से 4.28 प्रतिशत की दर से।

¹⁶ वर्तमान अनुबंधित मांग (2000 केवीए) पर बिल योग्य मांग (1500 केवीए) एवं संशोधित किये जाने वाले अनुबंधित मांग (1200 केवीए) पर बिल योग्य मांग (900 केवीए) का अंतर।

माह / वर्ष	मीटर के अनुसार प्रत्येक माह में वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में)	विद्युत विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क										आवश्यकता से अधिक अनुबंधित भार के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क		
		टैरिफ के अनुसार बिल योग्य मांग (वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित 2000 केवीए भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो (केवीए में))	बिल की गयी वास्तविक मांग (केवीए में)	बिल की गयी मांग और बिल योग्य मांग का अंतर (केवीए में)	फिक्स्ड डिमांड चार्ज ¹³ की दर	अधिक बिल की गयी मांग ¹⁴ की धनराशि	अतिरिक्त बिल की गयी मांग ¹⁵ पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की धनराशि	अधिक बिल की गयी मांग की कुल धनराशि	कैपसिटर अधिभार की सत्यापित और भुगतान की गई धनराशि	त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण कुल धनराशि	600 केवीए ¹⁶ पर अतिरिक्त अनुबंधित भार की धनराशि	अधिक अनुबंधित मांग की राशि पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की धनराशि	अतिरिक्त अनुबंधित भार के कारण कुल धनराशि	
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5*6	8=7 * 7.5 % + 7 * 5.22/ 7.12 /4.28 %	9=8+7	10	11=9+10	12= 6*600 केवीए ¹⁴	13=12*7.5% + 12*5.22 /7.12 /4.28%	14= 12+ 13	
फरवरी-16	616	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358	
मार्च-16	555	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358	
अप्रैल-16	471	1500	2000	500	230	103500	15132	118632	-	118632	124200	18158	142358	
मई-16	490	1500	2000	500	230	103500	12192	115692	-	115692	124200	14631	138831	
जून-16	625	1500	2000	500	230	103500	12192	115692	-	115692	124200	14631	138831	
जुलाई-16	277	1500	2000	500	230	103500	12192	115692	-	115692	124200	14631	138831	
अगस्त-16	312	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	107385	253258	156600	18447	175047	
सितम्बर-16	420	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	251429	397302	156600	18447	175047	
अक्टूबर-16	420	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	269472	415345	156600	18447	175047	
नवम्बर-16	436	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	241333	387206	156600	18447	175047	
दिसम्बर-16	436	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	333375	479248	156600	18447	175047	
जनवरी-17	603	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	326179	472052	156600	18447	175047	
फरवरी-17	602	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	296429	442302	156600	18447	175047	
मार्च-17	454	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	220820	366693	156600	18447	175047	
अप्रैल-17	590	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	300833	446706	156600	18447	175047	
मई-17	428	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	280642	426515	156600	18447	175047	
जून-17	373	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	252825	398698	156600	18447	175047	
जुलाई-17	412	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	364736	510609	156600	18447	175047	

माह / वर्ष	मीटर के अनुसार प्रत्येक माह में वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में)	विद्युत विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क										आवश्यकता से अधिक अनुबंधित भार के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क																																																																																																																																																																																																																																															
		टैरिफ के अनुसार बिल योग्य मांग (वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित 2000 केवीए भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो (केवीए में))	बिल की वास्तविक मांग (केवीए में)	बिल की गयी मांग और बिल योग्य मांग का अंतर (केवीए में)	फिक्स्ड डिमांड चार्ज ¹³ की दर	अधिक बिल की गयी मांग ¹⁴ की धनराशि	अतिरिक्त बिल की गयी मांग ¹⁵ पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की धनराशि	अधिक बिल की गयी मांग की कुल धनराशि	कैपसिटर अधिभार की सत्यापित और भुगतान की गई धनराशि	त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण कुल धनराशि	600 केवीए ¹⁶ पर अतिरिक्त अनुबंधित भार की धनराशि	अधिक अनुबंधित मांग की राशि पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की धनराशि	अतिरिक्त अनुबंधित भार के कारण कुल धनराशि																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5*6	8=7 * 7.5 % + 7 * 5.22/ 7.12 /4.28 %	9=8+7	10	11=9+10	12= 6*600 केवीए ¹⁴	13=12*7.5% + 12*5.22 /7.12 /4.28%	14= 12+ 13	अगस्त-17	525	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	236822	382695	156600	18447	175047	सितम्बर-17	377	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	215128	361001	156600	18447	175047	अक्टूबर-17	380	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	273446	419319	156600	18447	175047	नवम्बर-17	484	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	253147	399020	156600	18447	175047	दिसम्बर-17	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	233106	409160	189000	22264	211264	जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264
अगस्त-17	525	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	236822	382695	156600	18447	175047	सितम्बर-17	377	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	215128	361001	156600	18447	175047	अक्टूबर-17	380	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	273446	419319	156600	18447	175047	नवम्बर-17	484	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	253147	399020	156600	18447	175047	दिसम्बर-17	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	233106	409160	189000	22264	211264	जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264														
सितम्बर-17	377	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	215128	361001	156600	18447	175047	अक्टूबर-17	380	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	273446	419319	156600	18447	175047	नवम्बर-17	484	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	253147	399020	156600	18447	175047	दिसम्बर-17	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	233106	409160	189000	22264	211264	जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																												
अक्टूबर-17	380	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	273446	419319	156600	18447	175047	नवम्बर-17	484	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	253147	399020	156600	18447	175047	दिसम्बर-17	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	233106	409160	189000	22264	211264	जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																										
नवम्बर-17	484	1500	2000	500	261	130500	15373	145873	253147	399020	156600	18447	175047	दिसम्बर-17	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	233106	409160	189000	22264	211264	जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																								
दिसम्बर-17	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	233106	409160	189000	22264	211264	जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																						
जनवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	369807	545861	189000	22264	211264	फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																				
फरवरी-18	490	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	232546	408600	189000	22264	211264	मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																		
मार्च-18	390	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	258541	434595	189000	22264	211264	अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																
अप्रैल-18	577	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																														
मई-18	483	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	249689	425743	189000	22264	211264	जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																												
जून-18	502	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	282520	458574	189000	22264	211264	जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																										
जुलाई-18	438	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	301680	477734	189000	22264	211264	अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																																								
अगस्त-18	593	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	287674	463728	189000	22264	211264	सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																																																						
सितम्बर-18	431	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	207110	383164	189000	22264	211264	अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																																																																				
अक्टूबर-18	418	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	143018	319072	189000	22264	211264	नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																																																																																		
नवम्बर-18	466	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	272435	448489	189000	22264	211264	दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																																																																																																
दिसम्बर-18	789	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	358826	534880	189000	22264	211264																																																																																																																																																																																																																																														

माह / वर्ष	मीटर के अनुसार प्रत्येक माह में वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में)	विद्युत विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क							आवश्यकता से अधिक अनुबंधित भार के कारण परिहार्य विद्युत शुल्क				
		टैरिफ के अनुसार बिल योग्य मांग (वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित 2000 केवीए भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो (केवीए में))	बिल की वास्तविक मांग (केवीए में)	बिल की गयी मांग और बिल योग्य मांग का अंतर (केवीए में)	फिक्स्ड डिमांड चार्ज ¹³ की दर	अधिक बिल की गयी मांग ¹⁴ की धनराशि	अतिरिक्त बिल की गयी मांग ¹⁵ पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की धनराशि	अधिक बिल की गयी मांग की कुल धनराशि	कैपसिटर अधिभार की कैपसिटर अधिभार की सत्यापित और भुगतान की गई धनराशि	त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण कुल धनराशि	600 केवीए ¹⁶ पर अतिरिक्त अनुबंधित भार की धनराशि	अधिक अनुबंधित मांग की राशि पर विद्युत शुल्क और नियामक अधिभार की धनराशि	अतिरिक्त अनुबंधित भार के कारण कुल धनराशि
1	2	3	4	5=4-3	6	7=5*6	8=7 * 7.5 % + 7 * 5.22/ 7.12 /4.28 %	9=8+7	10	11=9+10	12= 6*600 केवीए ¹⁴	13=12*7.5% + 12*5.22 /7.12 /4.28%	14= 12+13
जनवरी-19	674	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	-	176054	189000	22264	211264
फरवरी-19	758	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	-	176054	189000	22264	211264
मार्च-19	732	1500	2000	500	315	157500	18554	176054	-	176054	189000	22264	211264
योग										7268400	892647	8161047	

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.4 में संदर्भित)
त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के कारण दीनापुर एसटीपी (अनुबंधित भार 1200 केवीए) में विद्युत शुल्क के परिहार्य भुगतान को दर्शाता विवरण
(धनराशि ₹ में)

माह/वर्ष	मीटर के अनुसार प्रत्येक माह में वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में)	आधिक्य मांग शुल्क बिल							कैपसिटर अधिभार कैपसिटर अधिभार की धनराशि सत्यापित और भुगतान की गई	त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण कुल धनराशि
		टैरिफ के अनुसार बिल योग्य मांग (वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित 1200 केवीए भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो (केवीए में))	बिल की गयी वास्तविक मांग (केवीए में)	बिल की गयी मांग और योग्य मांग का अंतर (केवीए में)	फिक्स्ड डिमांड चार्ज ¹⁷ की दर	अधिक बिल की गयी मांग ¹⁸ की धनराशि	अतिरिक्त बिल की गयी मांग ¹⁹ पर विद्युत शुल्क नियामक अधिभार की धनराशि	अधिक बिल की गयी मांग की कुल धनराशि		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 5 * 6	8 = 7 * 7.5 % + 7 * 5.22 / 7.12 / 4.28 %	9 = 7 + 8	10	11 = 9 + 10
जून-15	555	900	1200	300	230	62100	7899	69999	-	69999
जुलाई-15	579	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
अगस्त-15	482	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
सितम्बर-15	529	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
अक्टूबर-15	543	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
नवम्बर-15	543	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
दिसम्बर-15	553	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
जनवरी-16	527	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
फरवरी-16	527	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
मार्च-16	599	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
अप्रैल-16	542	900	1200	300	230	62100	9079	71179	-	71179
मई-16	542	900	1200	300	230	62100	7315	69415	-	69415
जून-16	612	900	1200	300	230	62100	7315	69415	-	69415

¹⁷ जून 2015 से अप्रैल 2016 तक प्रति किलोवाट और मई 2016 से मार्च 2019 तक प्रति केवीए।

¹⁸ डिमांड चार्ज की दर *अतिरिक्त मांग* 0.9 जून 2015 से जुलाई 2016 तक और डिमांड चार्ज की दर* अतिरिक्त मांग अगस्त 2016 से मार्च 2019 तक।

¹⁹ विद्युत दर 7.5 प्रतिशत और नियामक अधिभार जून 2015 में 5.22 प्रतिशत, जुलाई 2015 से अप्रैल 2016 तक 7.12 प्रतिशत और मई 2016 से 4.28 प्रतिशत की दर से।

माह/वर्ष	मीटर के अनुसार प्रत्येक माह में वास्तविक अधिकतम मांग (केवीए में)	आधिक्य मांग शुल्क बिल							कैपसिटर अधिभार कैपसिटर अधिभार की घनराशि सत्यापित और भुगतान की गई	त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण कुल घनराशि
		दैनिक के अनुसार बिल योग्य मांग (वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित 1200 केवीए भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो (केवीए में))	बिल की गयी वास्तविक मांग (केवीए में)	बिल की गयी मांग और बिल योग्य मांग का अंतर (केवीए में)	फिक्स्ड डिमांड चार्ज ¹⁷ की दर	अधिक बिल की गयी मांग ¹⁸ की घनराशि	अतिरिक्त बिल की गयी मांग ¹⁹ पर विद्युत शुल्क नियामक अधिभार की घनराशि	अधिक बिल की गयी मांग की कुल घनराशि		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 5 * 6	8 = 7 * 7.5 % + 7 * 5.22 / 7.12 / 4.28 %	9 = 7 + 8	10	11 = 9 + 10
जुलाई-16	308	900	1200	300	230	62100	7315	69415	-	69415
अगस्त-16	472	900	1200	300	261	78300	9224	87524	91348	178872
सितम्बर-16	492	900	1200	300	261	78300	9224	87524	324973	412497
अक्टूबर-16	503	900	1200	300	261	78300	9224	87524	327871	415395
नवम्बर-16	425	900	1200	300	261	78300	9224	87524	253044	340568
दिसम्बर-16	561	900	1200	300	261	78300	9224	87524	354530	442054
जनवरी-17	579	900	1200	300	261	78300	9224	87524	356978	444502
फरवरी-17	579	900	1200	300	261	78300	9224	87524	321013	408537
मार्च-17	499	900	1200	300	261	78300	9224	87524	224807	312331
अप्रैल-17	542	900	1200	300	261	78300	9224	87524	363707	451231
मई-17	542	900	1200	300	261	78300	9224	87524	409556	497080
जून-17	567	900	1200	300	261	78300	9224	87524	164436	251960
जुलाई-17	555	900	1200	300	261	78300	9224	87524	419087	506611
अगस्त-17	524	900	1200	300	261	78300	9224	87524	258904	346428
सितम्बर-17	462	900	1200	300	261	78300	9224	87524	236849	324373
अक्टूबर-17	450	900	1200	300	261	78300	9224	87524	331638	419162
नवम्बर-17	470	900	1200	300	261	78300	9224	87524	258840	346364
दिसम्बर-17	488	900	1200	300	315	94500	11132	105632	248272	353904
जनवरी-18	516	900	1200	300	315	94500	11132	105632	346260	451892
फरवरी-18	516	900	1200	300	315	94500	11132	105632	321721	427353
मार्च-18	516	900	1200	300	315	94500	11132	105632	293820	399452
अप्रैल-18	970	970	1200	230	315	72450	8535	80985	279567	360552

परिशिष्ट-6.1
(प्रस्तर 6.2 में संदर्भित)
लखनऊ विकास प्राधिकरण में नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) के भुगतान से छूट के कारण हानि को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	विकासकर्ता का नाम	ले-आउट के अनुमोदन का दिनांक	ले-आउट का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	ले-आउट का क्षेत्रफल जिसपर सीडीसी नहीं लगाया गया (एकड़ में)	शुद्ध क्षेत्रफल अनुमोदित ले-आउट के अनुसार (एकड़ में)	शुद्ध क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीडीसी की दर प्रति एकड़ (सम्बंधित वर्ष के लागत सूचकांक के अनुसार परिकल्पित)	नहीं लगाए गए सीडीसी शुल्क की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7 = (5 * 6)	8	9 = (7 * 8)
1.	अंसल प्रोपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	18.11.2006 (प्रथम चरण)	639.55	639.55	0.648	414.43	3.00	1243.29
		10.05.2007 (द्वितीय चरण)	407.95	407.95	0.648	264.35	3.00	793.05
		27.11.2008 (तृतीय चरण)	717.50	717.50	0.648	464.94	3.13	1455.26
योग								3491.60

*जीओयूपी के आदेश (अप्रैल 2010) के अनुसार, सीडीसी की गणना के लिए शुद्ध क्षेत्रफल घटक, शुद्ध क्षेत्रफल में से सड़क, पार्क, खुले तथा हरित स्थान में उपयोग किये गये क्षेत्रफल को घटाने के बाद है।

परिशिष्ट-6.2
(प्रस्तर 6.2 में संदर्भित)
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क लगाए बिना उच्चतर एफएआर अनुमत्य करने के कारण विकासकर्ता को अनुमत्य लाभ प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	मानचित्र का विवरण	तकनीकी समिति की अनुशंसा की दिनांक	सर्किल दर (₹)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भवन उपविधि के अनुसार अनुमत्य निःशुल्क एफएआर	हाई-टेक टाउनशिप में अनुमत्य मूल एफएआर	बिना शुल्क के हाई-टेक टाउनशिप के लिए स्वीकृत एफएआर	अतिरिक्त एफएआर	अतिरिक्त एफएआर क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	एलडीए द्वारा अतिरिक्त एफएआर के लिए न लगाए गए शुल्क (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-6)	10=(5 * 9)	11 ²⁰ =(कॉलम 4 * कॉलम 10 * 0.4/ कॉलम 7)
1	सेक्टर-आई पॉकेट-ए, बी, सी, डी पैराडाइज डायमण्ड-2 एंड सेलिब्रेटी मीडोज	20.09.2010	6,000.00	121813.50	1.5	2.5	2.005	0.505	61515.82	55364238.00
2	सेक्टर-एम जीएच-01 पॉकेट-1	08.10.2015	19,000.00	35936.34	1.5	2.5	2.50	1.00	35936.34	109246473.60
3	सेक्टर-एम एक्सटेंशन जीएच-2 पॉकेट-1 ओल्मस	06.05.2015	19,000.00	24757.95	1.5	2.5	1.93	0.43	10645.92	32363596.80
4	सेक्टर-एच गुप हाउसिंग भूखण्ड-5	21.02.2013	8,000.00	27101.70	1.5	2.5	2.73	1.00	27101.70	34690176.00
5	सेक्टर-जे पॉकेट-4 जीएच-2 जीवन इनक्लेव	02.07.2013	8,000.00	15416.43	1.5	2.5	2.34	0.84	12949.80	16575744.00
6	सेक्टर-बी पॉकेट-1, गुप हाउसिंग भूखण्ड-1	19.05.2010	6,000.00	47566.85	1.5	2.5	2.27	0.77	36626.47	32963823.00

²⁰ 04 अगस्त 2011 से पहले जीओयूपी के आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2008 के अनुसार 1.5 से 2.5 अतिरिक्त अनुमत्य एफएआर के लिए शुल्क की गणना 15 प्रतिशत (अतिरिक्त एफएआर क्षेत्रफल x डीएम सर्किल दर) की दर से की गयी थी। इसके आगे, जीओयूपी के आदेश दिनांक 04 अगस्त 2011 के बाद इसकी गणना, सूत्र = अतिरिक्त एफएआर क्षेत्रफल x डीएम सर्किल दर x 0.4/2.5 के अनुसार की गयी है।

क्रम संख्या	मानचित्र का विवरण	तकनीकी समिति की अनुशंसा की तिनांक	सर्किल दर (₹)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भवन उपविधि के अनुसार अनुमत्य निःशुल्क एफएआर	हाई-टेक टाउनशिप में अनुमत्य मूल एफएआर	बिना शुल्क के हाई-टेक टाउनशिप के लिए स्वीकृत एफएआर	अतिरिक्त एफएआर	अतिरिक्त एफएआर क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	एलडीए द्वारा अतिरिक्त एफएआर के लिए न लगाए गए शुल्क (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(5*9)	11 ²⁰ =(कॉलम 4 * कॉलम 10 * 0.4/ कॉलम 7)
7	सेक्टर-एच गुप हाउसिंग-01	17.12.2015	19,000.00	67782.18	1.5	2.5	2.498	0.998	67646.62	205645724.80
8	सेक्टर-के पॉकेट-3 गुप हाउसिंग-06 एलआईजी/ इंडब्ल्यूएस	27.11.2012	8,000.00	68594.93	1.5	2	1.981	0.481	32994.16	52790656.00
9	सेक्टर-बी 1 गुप हाउसिंग भूखण्ड-03	23.02.2012	8,000.00	43121.80	1.5	2.5	1.90	0.40	17248.72	22078361.60
10	सेक्टर-बी पॉकेट-2 लक्ष्य हाईट	06.05.2015	19,000.00	14568.57	1.5	2.5	2.50	1.00	14568.57	44288452.80
11	सेक्टर-जी पॉकेट-5 गुप हाउसिंग भूखण्ड-2	22.12.2017	19,000.00	14524.99	1.5	2.5	2.33	0.83	12055.74	36649449.60
12	सेक्टर-जी पॉकेट-5 गुप हाउसिंग भूखण्ड-1	02.11.2015	19,000.00	40250.87	1.5	2.5	2.50	1.00	40250.87	122362644.80
13	सेक्टर-जी पॉकेट-5 गुप हाउसिंग-3	26.09.2017	19,000.00	10828.06	1.5	2.5	2.46	0.96	10394.94	31600617.60
14	सेक्टर-सी पॉकेट-7 गुप हाउसिंग भूखण्ड-01	17.12.2015	21,500.00	32782.11	1.5	2.5	2.50	1.00	32782.11	112770458.40
15	सेक्टर-सी पॉकेट-7 गुप हाउसिंग भूखण्ड-02	17.12.2015	21,500.00	17924.45	1.5	2.5	2.49	0.99	17745.21	61043522.40
16	सेक्टर-के पॉकेट-2 इंडब्ल्यूएस गुप हाउसिंग भूखण्ड-02	06.05.2015	19,000.00	26304.17	1.5	2.5	2.50	1.00	26304.17	79964676.80
17	सेक्टर-बी पॉकेट-2	04.02.2016	21,500.00	3322.85	1.5	2.5	1.616	0.116	385.45	1325948.00
18	सेक्टर-बी गुप हाउसिंग भूखण्ड-3	11.02.2016	21,500.00	43121.80	1.5	2.5	2.49	0.99	42690.58	146855595.20

क्रम संख्या	मानचित्र का विवरण	तकनीकी समिति की अनुशंसा की तिनांक	सर्किल दर (₹)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भवन उपविधि के अनुसार अनुमत्य निःशुल्क एफएआर	हाई-टेक टाउनशिप में अनुमत्य मूल एफएआर	बिना शुल्क के हाई-टेक टाउनशिप के लिए स्वीकृत एफएआर	अतिरिक्त एफएआर	अतिरिक्त एफएआर क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	एलडीए द्वारा अतिरिक्त एफएआर के लिए न लगाए गए शुल्क (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(5 * 9)	11 ²⁰ =(कॉलम 4 * कॉलम 10 * 0.4/ कॉलम 7)
19	सेक्टर-जी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड 1 बी पॉकेट-5	04.02.2016	19,000.00	67291.87	1.5	2.5	2.50	1.00	67291.87	204567284.80
20	सेक्टर-एफ पॉकेट-1	04.08.2016	19,000.00	22000.43	1.5	2.5	2.47	0.97	21340.42	64874876.80
21	सेक्टर-बी पॉकेट-3 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड-02	20.07.2018	21,500.00	10611.33	1.5	2.5	2.075	0.575	6101.51	20989194.40
22	सेक्टर-बी पॉकेट-01 ग्रुप हाउसिंग-01 सैलिब्रेटी ग्रीन	11.10.2018	21,500.00	1167.917	1.5	2.5	2.208	0.708	826.89	2844501.60
23	सेक्टर-एम ब्लॉक ए2 एंड ए3 ग्रुप हाउसिंग-03	27.03.2019	15,000.00	51571.46	1.5	2.5	2.32	0.82	42288.60	101492640.00
24	सेक्टर-जी पॉकेट-5 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड-1 बी	28.05.2019	19,000.00	67291.87	1.5	2.5	2.07	0.57	38356.37	116603364.80
योग										1709952021.80
										875654.427 या 216.38 एकड़

परिशिष्ट-6.3
(प्रस्तर 6.6 में संदर्भित)
एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली भूमि के कुल अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क को शामिल नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विकासकर्ता कम्पनी का नाम (सै0)	भूमि का स्थान	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एसएलएओ द्वारा धारा 4/6 निर्गत करने के लिए मांगी गयी क्षतिपूर्ति की धनराशि के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता से वसूल की गयी धनराशि	विकासकर्ता से वसूल किया जाने वाला 10 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क
1	2	3	4	5	6
1	अग्रवाल एसोसिएट्स प्रोमोटर्स लिमिटेड	शाहपुर बमैटा	21.1293	2378.12	237.81
2	अग्रवाल एसोसिएट्स प्रोमोटर्स लिमिटेड	शाहपुर बमैटा	1.2315	135.47	13.55
कुल				2513.59	251.36

परिशिष्ट-6.4
(प्रस्तर 6.7 में संदर्भित)
प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	पट्टाधारक का नाम	भारत सरकार के अनुमोदन की तिथि	उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन की तिथि	पट्टे पर दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पट्टा निष्पादित होने की अवधि (वर्षों में)	भूमि को दिए जाने की तिथि	प्रीमियम की धनराशि	अवधि जिसके लिए पट्टा किराया लगाया जाना है	पट्टा किराये की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	प्रभागीय वनाधिकारी, गोंडा	बजाज हिन्दुस्तान शगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	दिसम्बर 2011	मई 2012	1.660	25	सितम्बर 2013	41.35*	सितम्बर 2013 से सितम्बर 2019 (6 वर्ष)	32.18*
2.	प्रभागीय वनाधिकारी, जी. बी. नगर, नोएडा	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	नवम्बर 2015	अक्टूबर 2016	11.809	25	अक्टूबर 2016	1643.22	अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2019 (3 वर्ष)	492.97
3.	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर	यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	जुलाई 1999	अगस्त 2000	7.500	30	अगस्त 2000	6.49 [#]	अगस्त 2000 से अगस्त 2019 (19 वर्ष)	37.15 [#]
योग										562.30
महायोग (पट्टा प्रीमियम + पट्टा किराया) = ₹ 1,691.06 लाख + ₹ 2,253.36 लाख = ₹ 2,253.36 लाख या ₹ 22.53 करोड़										1691.06

* प्रीमियम की गणना पट्टाधारक के द्वारा आज तक ₹ 7.38 लाख के जमा को छोड़ते हुए तथा पट्टा किराया की गणना ₹ 0.74 लाख के जमा को छोड़ते हुए की गयी है।

** उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन की तिथि ही भूमि देने की तिथि मानी गयी है।

जैसा कि विभाग ने गणना किया तथा अपने उत्तर में प्रदान किया।

परिशिष्ट-6.5
(प्रस्तर 6.8 में संदर्भित)
जीएनआईडीए द्वारा केन्द्रीय ब्रशों एवं वर्दियों की आधिक्य विश्लेषित लागत

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	मासिक लागत के लिये ली गयी दर		प्रति हेक्टेयर उच्चतर दर
		जीएनआईडीए के द्वारा	लेखपरीक्षा के द्वारा	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय ब्रशों की लागत: (दो मशीनों के लिए दो केन्द्रीय ब्रशों का सेट ₹ 70,980.71)	141961.42	70980.71	70980.71
2.	₹ 1000 प्रत्येक की दर से 86 श्रमिकों के लिए दो सेट वर्दी की वार्षिक लागत	172000.00	14333.33	157666.67
3.	लागत प्रति माह	313961.42	85314.04	228647.38
4.	लागत प्रति दिन (क्रम संख्या 3/30)			7621.58
5.	लागत प्रति हेक्टेयर प्रति दिन (भाग-1 के लिये ₹ 7621.58/260.27 हेक्टेयर)			29.28
6.	क्रम संख्या 5 का एक प्रतिशत की दर से जल शुल्क			0.29
7.	योग (5+6)			29.57
8.	क्रम संख्या 7 का दस प्रतिशत की दर से ठेकेदार का लाभ			2.96
प्रति हेक्टेयर प्रति दिन की आधिक्य दर (क्रम संख्या 7 + क्रम संख्या 8)				32.53

